षोडश माला, खंड 13, अंक 7

शुक्रवार, 4 दिसंबर, 2015
13 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

इंदु बक्शी
संयुक्त निदेशक

मदन गोपाल
उप निदेशक

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 13, छठा सत्र, 2015 / 1937 (शक)
अंक 7, शुक्रवार, 4 दिसंबर, 2015 / 13 अग्रहायण, 1937 (शक)

विषय **पृष्ठ संख्या**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 84 12-40

प्रश्नों के लिखित उत्तर 41

तारांकित प्रश्न संख्या 85 से 100

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र	42-54
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
8वां प्रतिवेदन	55
सभा का कार्य	56-61
समिति के लिए निर्वाचन	
राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति	62
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	63
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015	103-122
श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा	103-105
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	105-109
श्री सत्यपाल सिंह	110-113
श्री कल्याण बनर्जी	114-119
डॉ. के. कामराज	120-121
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 14वें और 15वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	122
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक – पुरःस्थापित	123-146, 168-169

(एक) भारत का उच्चतम न्यायालय (जबलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015

श्री राकेश सिंह 123

(दो) तेलंगाना राज्य (विशेष श्रेणी का दर्जा और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2015 125

श्री बी. विनोद कुमार

(तीन) अविवाहित जनजातीय महिलाएं (संरक्षण और कल्याण) विधेयक , 2015 126

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 ***(अनुच्छेद 58 का संशोधन, आदि)*** 126-127

डॉ. भोला सिंह

(पाँच) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 ***(अनुच्छेद 275क और 371ट का संशोधन)***

डॉ. भोला सिंह 127

(छः) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 ***(नए अनुच्छेद 31 का अंतःस्थापन)***

डॉ. भोला सिंह 128

(सात) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक , 2015 ***(नई धारा 17क का अंतःस्थापन)***

श्री फिरोज़ वरुण गांधी 129

(आठ) आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक , 2015 ***(धारा 4 का संशोधन आदि)***

श्री फिरोज़ वरुण गांधी 129-130

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 ***(नए अनुच्छेद 340 का प्रतिस्थापन)***

श्री राजीव सातव 130

(दस) संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 (छठी अनुसूची का संशोधन)

श्री विंसेंट पाला 131

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 ***(सातवीं अनुसूची का संशोधन)***

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 132

(बारह) केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी (अनिवार्य राष्ट्रीय विपद अनुक्रिया प्रशिक्षण) विधेयक, 2015

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 132-133

(तेरह) नस्लीय भेदभाव संरक्षण विधेयक, 2015

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 133-134

(चौदह) साक्षी (पहचान का संरक्षण) विधेयक, 2015

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 134

(पंद्रह) राष्ट्रीय सड़क परिवहन सुरक्षा और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक , 2015

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 135

(सोलह) कैंसर रोगी (निःशुल्क चिकित्सीय उपचार) विधेयक, 2015

श्री पी. करुणाकरण 136

(सत्रह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015

श्री महेश गिरी 136-137

(अट्ठारह) गरीब और निराश्रित कृषि कर्मकार (कल्याण) विधेयक , 2015
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल 137-138

(उन्नीस) विधवा (संरक्षण और भरण-पोषण) विधेयक, 2015
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल 138-139

(बीस) न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक, 2015 *(धारा 3 का संशोधन आदि)*
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 140

(इक्कीस) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 *(धारा 12 का संशोधन)*
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 140-141

(बाईस) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 *(पैरा 3 का संशोधन)*
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 142

(तेईस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 *(अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)*
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 142

(चौबीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 *(अनुच्छेद 51 क का संशोधन)*
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 142-143

(पच्चीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 *(नए अनुच्छेद 16क और 29क का अंतःस्थापन)*
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 143-144

(छब्बीस) भारत के उच्चतम न्यायालय (अहमदाबाद में एक स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक, 2015
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 144

(सत्ताईस) अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण विधेयक, 2015

श्रीमती सुप्रिया सुले 167

(अट्ठाईस) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2015 ***(नए अध्याय 3क का अंतःस्थापन)***

श्रीमती सुप्रिया सुले 168

(उनतीस) शैक्षणिक संस्थाओं में वित्तीय शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक , 2015

श्रीमती सुप्रिया सुले 168 -169

(तीस) **मानसिक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2015** ***(नए अध्याय 3क का अंतःस्थापन)***

श्रीमती सुप्रिया सुले 169

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 145-199

श्री निशिकान्त दुबे 145-157,

170-178

श्री अधीर रंजन चौधरी 179-192

श्री महेश गिरी 192-197

श्री निनोंग इरिंग 198-199

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

<u>शुक्रवार, 4 दिसंबर, 2015 / 13 अग्रहायण 1937 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यो, मुझे श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा से 'वन रैंक वन पेंशन' योजना के आंशिक कार्यान्वयन के कारण व्यापक असंतोष के संबंध में; जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की आवश्यकता के संबंध में श्री जय प्रकाश नारायण यादव से; आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के संबंध में श्री एम. बी. राजेश से; केरल के इडुक्की जिले के मुल्लापेरियार में एक नए बांध के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में श्री एंटो एंटोनी से; और श्री कोडिकुन्नील सुरेश से देश में दलितों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

हालांकि ये मामले काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिन के कामकाज में रुकावट की आवश्यकता नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है।

इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 81

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मेरे समक्ष कोई स्थगन सूचना नहीं है। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप इसे बाद में उठा सकते हैं।

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 81, कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल।

(प्रश्न संख्या 81)

[हिन्दी]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : अध्यक्ष महोदया, मैं बुंदेलखण्ड से आता हूँ। हमारे बुंदेलखण्ड क्षेत्र में विगत दस वर्षों से निरंतर सूखे की स्थिति है। पूरे बुंदेलखण्ड के किसान कर्ज से डूबे हुए हैं और परेशान हैं। इसलिए बहुत लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि बुंदेलखण्ड के किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की कुछ व्यवस्था बनाई जाए। मैंने उसका प्रश्न पूछा था। माननीय मंत्री महोदय ने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। उसका उत्तर तो मुझे मिल गया, लेकिन उसके साथ मैं अनुपूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि कृषि पर जो ऋण प्राप्त होता है, वहां पर कृषि में कुछ भी पैदा होने की स्थिति में इस समय नहीं है। जब तक किसानों को, उनके खेतों को साधन संपन्न बनाने के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक उसकी स्थिति बड़ी भयावह बनी रहेगी। मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि किसानों को निवेश के लिए भी ऐसी ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने खेत पर, जो भारत सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी की यह सोच है कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रूके तो हर खेत में तालाब खोदने के लिए, ट्या्ूबवेल लगाने के लिए, वहां पर विद्युत का कनेक्शन कराने के

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए और उसके खेत को साधन संपन्न बनाने के लिए ऐसी योजना बनाई जाए, ताकि उससे किसान संपन्न हो सकें और बैंकों का ऋण माफ कर सकें। क्या मंत्री महोदय इस कृषि निवेश पर ऋण देने की योजना बना रहे रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद ने बहुत सही प्रश्न पूछा है। सूखाड़ बुंदेलखण्ड तथा और भी कई क्षेत्रों में आई हुई है। उसके लिए हम लोगों ने शॉर्ट टर्म में काफी कुछ किया है और लॉन्ग टर्म में जो हम लोगों को करना है, उसमें भी हम लोगू काफी कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जहां-जहां सुखाड़ आता है या अन्य कोई नैचुरल क्लैमिटी आती है तो वहां जो एक स्पष्ट प्रक्रिया बनी हुई है कि किस प्रकार से हम वहां लोगों को रिलीफ दें और लोगों का जो ऋण है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो और साथ-साथ अगर फ्रेश लोन देने हों तो वह भी हम लोग देते हैं, अगर इंट्रेस्ट सब्वेंशन चल रहा है, अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो इंट्रेस्ट सब्वेंशन में भी दो प्रतिशत आतिरिक्त सब्वेंशन किया जाता है। यह शॉर्ट टर्म रिलीफ मेज़र्स हैं और जब जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन से हम लोगों को सूची आती है कि सुखाड़ आ गया है या कोई नैचुरल क्लैमिटी है तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, उन्हें वहां सीधे तरीके से जल्द से जल्द इंप्लिमेंट किया जाता है और जितने रैपिडली हम लोग वहां लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर करते हैं। यह शॉर्ट टर्म में किया जाता है।

जैसा माननीय सांसद ने कहा है कि बुन्देलखण्ड और ऐसे क्षेत्रों में कई सालों से सुखाड़ आया हुआ है, तो सिर्फ जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, हम लोग उनसे संतुष्ट नहीं हैं, हम लोगों को लाँग टर्म मेजर्स की तरफ देखना है। वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने घोषणा की है कि एक कृषि सिंचाई योजना को हम लोग लागू करेंगे। कृषि सिंचाई योजना में, जैसे माननीय सांसद कह रहे थे कि निवेश भी हम लोगों को करना है और इरीगेशन वर्क्स, चाहे वे सरफेस वाटर के हों, चाहे वे नहर के द्वारा हों, चैक डैम हों या बड़े-बड़े डैम बनाने हों तो कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से इन लोगों को हम लोग समाधान पहुँचाएंगे और रिलीफ पहुँचाएंगे।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : महोदया, हमारे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसान कर्ज से डूबा होने के कारण दोबारा लोन लेने से तो भयभीत रहता ही है, बल्कि यह कहा जाए कि बैंक के आसपास निकलने से भी उसको भय लगता है। उसके मन में यह बात बैठी रहती है कि अगर हम बैंक का ऋण ले रहे हैं तो शायद हम उसको चुका नहीं पाएंगे। उसको हर समय यह भय बना रहता है। मेरा एक निवेदन है कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्तर पर उनको प्रशिक्षित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि उनको लगे कि ऋण प्राप्त करना किसान का आधिकार है। हमारी सरकार, वित्त मंत्रालय किसानों को ऋण देने के लिए हमेशा तत्पर है। 8.5 लाख करोड़ रूपए का किसानों को जो ऋण दिया जा रहा है, वह उनका आधिकार बनता है। मैं इस अवसर पर आपसे यह बात करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो बैंक को भी उससे मुनाफा प्राप्त होता है, दूसरी तरफ फसल का बीमा कराते हैं, तो बीमा कम्पनियों को भी लाभ प्राप्त होता है, लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोई अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, जब किसान की पैदावार नहीं होती है तो वह बैंक का ऋण चुकाने में अपने आपको अक्षम पाता है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रश्न है कि जिस प्रकार से लाभ में बैंक और बीमा कम्पनियाँ किसान की साझीदार होती हैं, क्या वे हानि में भी किसान के साझीदार होंगे और तत्काल प्रभाव से जो भी उन्होंने कर्ज लिया है, अपने खेत में फसल पर जो उन्होंने निवेश किया है, घाटे की स्थिति में और सूखे की स्थिति में क्या वे उसके साझीदार होंगे? विशेष तौर पर हमारे बुन्देलखण्ड में दस साल से लगातार सूखे की स्थिति वाले क्षेत्र में क्या वित्त मंत्री महोदय ऐसा प्रावधान करेंगे ताकि बीमा कम्पनियाँ उनके ऋण की भरपाई कर सकें।

श्री जयंत सिन्हा : महोदया, अगर सुखाड़ की स्थिति आती है या और कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे हम लोगों ने पहले ही पूरे विस्तार से समझाया है और प्रश्न के उत्तर में भी बताया है कि उस समय जब डैमेज रिपोर्ट्स आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहले 50 परसेंट का डैमेज जो था, अब हम लोगों ने उसे कम करके 33 प्रतिशत बना दिया है, इसलिए अगर 33 प्रतिशत डैमेज की भी रिपोर्ट आ जाती है तो जो शॉर्ट टर्म रिलीफ मेजर्स हैं, उनको लागू किया जाता है। इस रिलीफ मेजर्स में जैसा मैंने कहा कि जो उनके ऋण हैं, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग होती है, इंट्रेस्ट सब्वेन्शन जारी रहता है और अगर साथ-साथ नए लोन

भी देने की जरूरत पड़ती है तो नए लोन भी दिए जाते हैं। आपको मालूम है कि हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कन्सल्टेटिव कमेटी है, सब बैंकर्स इसमें शामिल होते हैं, वे लोग तय करते हैं कि किस प्रकार से यह रीस्ट्रक्चरिंग होगी और कैसे-कैसे फ्रेश लोन आएंगे। ये जो लोन हैं, वे सिर्फ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के लिए नहीं हैं, अगर निवेश के लिए भी आपने लोन लिया है, चाहे वह आपने ग्रीन हाउस के लिए लिया हो या सिंचाई के लिए लिया हो या आप फिशरीज का काम कर रहे हों या डेयरी का काम कर रहे हों, अगर आपने निवेश के लिए भी लोन लिया है तो इन लोन्स की भी रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। इस प्रकार से जो शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया जाता है, वह डिस्ट्रिक्ट कन्सल्टेटिव कमेटी के द्वारा और जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटीज हैं, उनके द्वारा किया जाता है। फिर एक बात उठती है कि क्रॉप इंश्योरेंस, मुआवजे का जो मामला है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी है तो मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है। मुआवजा भी दिया जाता है। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि इसकी भी एक स्पष्ट प्रक्रिया बनी हुई है कि डैमेज रिपोर्ट्स जिला प्रशासन से आती हैं, फिर राज्य के स्तर पर जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, उस माध्यम से लोगों को मुआवजा मिलता है और अगर वहाँ कोई कमी होती है तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, वहाँ से मुआवजा मिलता है तो यह मुआवजा दिया जा रहा है। साथ-साथ आज के समय सरकार के सामने कई प्रस्ताव आए हुए हैं कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस किस प्रकार लागू किया जाए, उस पर भी चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है और जल्द से जल्द इस पर भी कार्रवाई होगी। ये सब साधन हमारे कृषि भाइयों और बहनों को मिले हुए हैं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, देश भर में सूखे की वजह से या ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों की हालत बहुत गम्भीर है। किसान जब आत्महत्या करता है तो उसके परिवार वालों को केन्द्र और राज्य से राजसहायता मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है।किसानों का कर्ज़ा माफ होता है, ब्याज माफ होता है, लेकिन आगे चलकर किसानों के परिवारजनो को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आत्महत्या ग्रस्त किसानों के परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देकर उसका परिवार खड़ा किया जाए या उनको आर्थिक सहायता देने के लिए उनकी कोई मदद की जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न छोटे छोटे पूछो नहीं तो मैं अधिक सदस्यों को पूछने का मौका नहीं दे पाऊँगी।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या उन किसान के परिवार के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी शिक्षा देने का प्रावधान करने की सरकार की तरफ से कोई कामना है?

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर सरकार में बहुत विचार हुआ है और हम लोगों ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। आप सब सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि जो हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसके 330 रुपये देने पर हर किसान या भाई-बहन को जीवन बीमा मिल सकता है और अगर किसी का देहान्त भी होता है तो उस पर जो कवरेज मिलता है, वह 2 लाख रुपये का है। आप सब माननीय सदस्यों से निवेदन है, मैंने खुद अपने क्षेत्र में किया हुआ है और आप लोग भी करिए, कि जितना इस विषय पर आप प्रचार कर सकते हैं, जिसमें किसी भी कारण किसी का देहान्त हो तो उनको इस इंश्योरेन्स पॉलिसी का फायदा मिल सकता है। इस तरीके से हम सब लोगों को यह साधन और लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ-साथ जब किसी भी जिले में या कहीं भी किसी गाँव में किसी की इस प्रकार से दुखद घटना में मृत्यु होती है तो जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई न कोई रिलीफ हम लोग देते हैं। वह भी एक साधन है। उसका भी आप उपयोग करिये। इस तरह से जीवन बीमा को लेकर मौके पर ही हस्तक्षेप करके, हम लोगों की कोशिश है कि कोई भी अगर इस दुखद हालत में है तो उसकी हम किसी न किसी तरीके से मदद करें।

[अनुवाद]

श्री एम. बी. राजेश: अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि ब्याज में छूट है और समय पर पुनर्भुगतान के लिए ब्याज की दर 4 प्रतिशत है। लेकिन, इसके बावज़ूद, देश में व्यापक कृषि संकट और किसानों की आत्महत्याएँ हो रही हैं। इसका मुख्य कारण सस्ते संस्थागत कृषि ऋण का अभाव है। प्रसिद्ध

कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की थी कि 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर पर कृषि ऋण होना चाहिए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस व्यापक कृषि संकट और किसान आत्महत्याओं के बावजूद इस सरकार को राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश को लागू करने में क्या बाधा आ रही जिसमें कहा गया था कि कृषि ऋण पर ब्याज दर 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? धन्यवाद, महोदया।

श्री जयंत सिन्हा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि किसान समय पर अपनी अदायगी कर रहे हैं, तो ब्याज दर 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी जाती है। इसलिए, मैं निश्चित रूप से उन सभी से अनुरोध करूंगा जो इस ऋण का लाभ उठा रहे हैं तो कृपया समय पर भुगतान करें ताकि वे 4 प्रतिशत का लाभ उठा सकें।

इसके अलावा, अधिकांश राज्यों में अतिरिक्त कार्यक्रम हैं जो 4 प्रतिशत से कम छूट प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश राज्यों में ऐसे अतिरिक्त कार्यक्रम हैं जो 4 प्रतिशत से नीचे की सब्सिडी प्रदान करते हैं। इसलिए, देश भर के अधिकांश किसान वास्तव में 4 प्रतिशत भी नहीं चुका रहे हैं। यदि वे समय पर अपनी ऋण अदायगी कर रहे हैं, तो वे असल में 2 या 3 प्रतिशत जैसे कम ब्याज दर पर भुगतान कर रहे हैं। तो, उन सिफारिशों को वास्तव में लागू किया गया है।

[हिन्दी]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदया, जैसे अभी एम.बी.राजेश जी कह रहे थे कि देश में एक एग्रेरियन क्राइसेज़ बिल्ड अप हो रहा है, कृषि संकट के बादल मँडरा रहे हैं। पिछले तीन फसलों के मौसम किसानों के लिए अच्छे नहीं रहे। दोनों खरीफ की फसलों में डैफिशिएन्ट मानसून हुआ, 12 परसेंट पिछले साल और 14 परसेंट डैफिशिएन्ट मानसून इस साल रहा। रबी के समय बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से देश के तकरीबन 35 प्रतिशत किसान प्रभावित हुए।

इन सबकी वजह से कृषि क्षेत्र में किसानों पर एक संकट की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मेरा वित्त मंत्री से प्रश्न है कि क्या वित्त मंत्रालय और भारत सरकार, जिस प्रकार से यूपीए के समय किसान कर्ज़ा माफी की योजना आई थी, उसमें 72 हजार करोड़ रुपये के कर्ज़े माफ किए गए थे, साढ़े चार करोड़ किसानों को फायदा हुआ था, क्योंकि अब समय है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : थोड़े शब्दों में प्रश्न पूछिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : यह केवल पिछली तीन फसलों की बात नहीं है। जो गेहूं की बुवाई का सीजन चल रहा है, आज के अखबारों में रिपोर्ट है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शॉर्ट क्वश्चन प्लीज़। जो लम्बे प्रश्न पूछेगा, आइन्दा उसको मौका नहीं दूंगी। आप लोग प्रश्न पूछने में बहुत समय लेते हो।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं अपना प्रश्न खत्म करता हूं। इस हफ्ते जो गर्मी है, वह औसतन गर्मी सर्दी से ज्यादा है तो उसमें भी नुकसान होने का अंदेशा है तो क्या कर्जा माफी की योजना, यू.पी.ए. की तर्ज पर यह सरकार भी लाने का काम करेगी?

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आज के समय कृषि क्षेत्र में संकट आया हुआ है और संकट इसलिए आया कि दो साल हम लोगों का जो मानसून, जो रेनफॉल रहा है, वह डैफीसिट रहा है। साथ-साथ आपको मालूम है कि विदेश के बाजार में कई सारी जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइसेज़ भी कम हुए हैं और इस कारण विश्व भर में और खास कर हमारे देश में संकट आया हुआ है, पर अब हम सब लोगों को यह तय करना चाहिए कि अगर यह संकट है तो इसका समाधान किस प्रकार से किया जाये। माननीय सांसद ने कहा है कि यू.पी.ए. सरकार के दौरान एक एग्रीकल्चरल डेट वेवर किया गया। आज के समय आप अगर किसी विशेषज्ञ से पूछिये कि यह जो किया गया था, इससे जो कृषि संकट है, उसका सुधार हुआ था कि नहीं, आधिकतर जो विशेषज्ञ हैं, वे कहेंगे, जो एग्रीकल्चर इकोनोमिस्ट्स हैं, वे कहेंगे कि वह सही नहीं था और अगर हमें कुछ सही समाधान इसका करना है, अगर हमें

इसे लाँग टर्म में ठीक करना है तो हम लोगों को निवेश करना है, लाँग टर्म जो हम लोगों की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना है, जिसमें कि इर्रीगेशन हम लोग लायें, क्रॉप इंश्योरेंस हम लोग लायें, सोइल हैल्थ कार्ड हम लोग लायें, फर्टीलाइजर सब्सिडी का हम लोग सही तरीके से सुधार कर दें और इसी सब पर हमारी सरकार अब नीति बना रही है और इसी सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो कृषि संकट आया हुआ है, उसका सुधार होगा।

माननीय अध्यक्ष : चन्द्रकान्त खैरे जी, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, भाषण नहीं।

श्री चन्द्रकांत खैरे : लगातार चार वर्षों से हमारे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सूखा पड़ रहा है और मैं कहूंगा कि किसानों की हालत इतनी खराब है कि एक जनवरी से आज तक 997 किसानों ने मराठवाड़ा के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आत्महत्याएं कीं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सब परिस्थिति आ चुकी है।

श्री चंद्रकांत खैरे : मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि मराठवाड़ा में किसानों के नाम पर जितने भी ऋण हैं, उनका पूरा ऋण माफ करना चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड है, क्योंकि सैण्ट्रल गवर्नमेंट की दो कमेटियां वहां जाकर देखकर आई हैं, वहां 33 परसेंट भी क्रॉप नहीं आई है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न नहीं, आपका सुझाव।

श्री चंद्रकांत खैरे : सजेशन नहीं, मैंने यह मांग की है कि उनका कर्जा माफ करना चाहिए तो माफ करेंगे क्या?

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, आपका सुझाव है, हम लोग इस पर विचार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : बुत्ता रेणुका जी।

आप इस पर पूरा डिस्कशन मांगियेगा, हम देंगे, यह प्रश्न इंपोर्टेंट है।

[अनुवाद]

श्रीमती बुत्ता रेणुका: धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी। सूखे के कारण बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इसका कारण यह है कि अधिकांश बैंक ऋण देने से इनकार कर रहे हैं। किसान का पेशा मौसम पर आधारित है। यदि किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाए, तो वे मौसम का लाभ उठाने से चूकेंगे नहीं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या ऐसी कोई योजना है जो राज्य सरकारों से जुड़ी नहीं है या क्या कोई अन्य माध्यम है जिसके द्वारा हम उन किसानों को ऋण प्रदान कर सकते हैं जिन्होंने पहले ही सूखा या बाढ़ के कारण नुकसान उठाया है।

श्री जयंत सिन्हा: माननीय अध्यक्ष महोदया, किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया वास्तव में बैंकों के माध्यम से काम करती है। बेशक, जिला स्तर और राज्य स्तर पर सलाहकार समितियाँ हैं लेकिन यह प्रक्रिया राज्य मशीनरी से स्वतंत्र बैंकों द्वारा चलाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है और नुकसान की रिपोर्ट आती है, तो इस प्रक्रिया को भी तेज किया जाता है। तो, यह सब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह सब कुछ इस तरह से स्थापित किया गया है कि किसानों की जरूरतों पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सके और इसलिए, हम उस अर्थ में सोचते हैं और इसलिए, हमें लगता है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो राज्य मशीनरी स्वतंत्र रूप से प्रभावी रूप से काम कर सकती है।

(प्रश्न संख्या 82)

[हिन्दी]

श्री सी.आर. चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही डिटेल में क्रिस्टल क्लियर रिप्लाई दी है। इस समय मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत आभिनन्दन करूंगा और उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 'स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत' की परिकल्पना को साकार करने के लिए 'मिशन इन्द्रधनुष' नाम की योजना चलायी। सात जानलेवा बीमारियों का मुक़ाबला करने के लिए इस योजना का प्रारंभ 25 दिसम्बर, 2014 को किया गया। इसका प्रथम फेज, जो 201 जिलों में किया गया, वह पूरा हो चुका है। दूसरा फेज अभी चल रहा है। इस समय मैं माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 'आरोग्य राजस्थान' नाम की एक हेल्थ कार्ड योजना चलायी है, जिसमें निःशुल्क परीक्षण और निःशुल्क दवाइयों की भी व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री सी.आर. चौधरी: महोदया, पिछले तीन दशकों से यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे थे। पर, आज तक भारत केवल 65% बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ही इसमें कवर कर पाया है। जबकि श्री लंका 99% और पड़ोसी देश बांग्लादेश 93% पर पहुंच चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सी.आर. चौधरी: महोदया, मेरी अर्ज़ यह है कि इस तरह से भारत में जो कमी है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी ने 'मिशन इन्द्रधनुष' नामक योजना चलायी है, जिसके लिए वे स्वागत के पात्र हैं। मैं इनका आभिनन्दन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : फिर आपका कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री सी.आर. चौधरी: महोदया, हालांकि माननीय मंत्री जी ने डिटेल में जवाब दिया है, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहूंगा कि तीन दशकों से यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, परन्तु आज भी हम केवल 65% को ही कवर कर पाए हैं। वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2013 तक इसमें केवल 1% की वृद्धि हुई है। अब हमारा लक्ष्य 5% है, तो क्या इस 5% को अचीव करने के लिए माननीय मंत्री महोदय यह बताएंगे कि पिछले तीस सालों में हम इसमें कम क्यों रहे हैं? उन कारणों का निराकरण करने के लिए क्या इस योजना में कोई उपाय सम्मिलित किए हैं अथवा नहीं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने इस योजना के बारे में चर्चा करते हुए डिटेल में खुद ही यह बताया है कि किस प्रकार स्वास्थ्य विभाग इस पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को ले रहा है। इसमें जो इंटरवेंशन का विषय है, उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं।

हमारे यहां प्रति वर्ष लगभग दो करोड़ 70 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से लगभग 89 लाख बच्चे या तो पार्शियली इम्युनाइज्ड हैं और उसमें से लगभग 17 लाख बच्चे ऐसे हैं, जो टोटली अन-इम्युनाइज्ड हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह प्रयास किया कि 'मिशन इन्द्रधनुष' कार्यक्रम के माध्यम से सात तरीके के टीकाकरण बच्चे के पैदा होने के दो वर्ष के अन्दर ही कर दिए जाएं, जिसमें डिप्थीरिया, व्हुपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, ट्युबरक्युलोसिस, मीज़ल्स और हेपेटाइटिस-बी हैं। इसके साथ-साथ पेंटावलन वैक्सीन कॉम्बीनेशन भी दिए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में, जैसे जो 189 जिले हैं, जहां जापानी इंसेफ्लाइटिस फैला है, वहां जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीकाकरण करने की योजना है। हम लोगों ने यह देखा है कि ये जो लेफ्ट-आउट्स हैं, जिनकी संख्या 89 लाख है, उनके लिए हमें रूटीन इम्युनाइजेशन के साथ-साथ अलग से करने की जरूरत है। इसलिए हमने रूटीन इम्युनाइजेशन के साथ-साथ 'मिशन इन्द्रधनुष' के सातों टीकाकरण और प्लस-टू, को करना तय किया। 07 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, एक सप्ताह तक, जो लेफ्ट-आउट्स हैं, उनको मैप करके हमने उनका टीकाकरण शुरू किया। रूटीन इम्युनाइजेशन के साथ-साथ हमने इस कार्यक्रम को भी लिया। इसके चार फेज हैं। एक फेज को हमने चार महीनों में कवर किया - अप्रैल, मई, जून और

जुलाई। यह पहला फेज था और इस फेज में हमने 201 जिलों को लिया। ये जिले वैसे जिले थे, जहां 50% से ज्यादा लोग अन-इम्युनाइज्ड थे, जिनका इम्युनाइजेशन नहीं हुआ था। उन्हें हमने इसमें कवर किया। उसके बहुत अच्छे नतीज़े आए। उन नतीज़ों से प्रोत्साहित होते हुए हमने सेकन्ड फेज अक्टूबर में शुरू किया। वह 07 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक, इसी तरह 07 नवम्बर से लेकर 14 नवम्बर तक चला। अभी हम उसे फिर दिसम्बर में करेंगे और फिर जनवरी, 2016 में करेंगे। इस सेकन्ड फेज में हमने जिन जिलों को लिया है, उसमें हमने कोशिश यह की कि 279 मीडियम फोकस्ड जिलों को लिया जाए, जहां 50-60% इम्युनाइजेशन हो गया है और 40% नहीं हुआ है। उन जिलों को हमने इसमें लिया है।

साथ में 73 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स लिए, जो फर्स्ट फेज में अच्छा नहीं कर पाए, उनको भी हमने साथ में ले लिया और 352 डिस्ट्रिक्ट्स में हम इम्युनाइजेशन कर रहे हैं। इस इम्युनाइजेशन में हम लोगों ने डिटेक्ट किया है, जैसे माइग्रेट्री लेबर्स हैं, वे कभी इधर से उधर माइग्रेशन कर जाते हैं, तो उनको ट्रेस करना होता है। बहुत सी ऐसी मातायें है जो डर के मारे या अंधविश्वास के कारण अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं कराती हैं, तो उनकी स्पेशल काउंसिलिंग की जाती है। जहां-जहां हमारे यहां एएनएम की कमी है, स्टाफ की कमी है, जिसके कारण इम्युनाइजेशन नहीं हुआ, उनको मैप करते हुए वहां पर स्पेशल अटेंशन देते हुए, स्पेशल एएनएम को भेजकर वहां पर इम्युनाइजेशन करते हैं। अभी इसके टार्गेट्स पूरे नहीं आए हैं, लेकिन हमारा मानना है कि तीन-चार साल के अंदर हम 90 प्रतिशत पहुंच जायेंगे। इस टीकाकरण में, पहले चरण में, यानी एक वर्ष में, हम पांच प्रतिशत के करीब पहुंचेंगे। हम इसको अभी आथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाटा कलेक्शन चल रहा है। लेकिन जो पर ईयर 1 परसेंट था, वह 5 परसेंट हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है और इसको अगर हम थर्ड और फोर्थ फेज लेंगे तो इस तरीके हम 90 परसेंट तक पहुंच जाएंगे। हमने इस पर कांस्टेंट विजिलेंस रखी है।

माननीय सदस्य ने पूछा कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमने मानीटर्स लगाए हैं। ये मानीटर्स इन सारी चीजों को देख रहे हैं। हमने लगभग 3500 मॉनिटर यानी प्रति जिले

औसतन 17 मॉनिटर तैनात किए हैं। ताकि हम इसको मानीटर कर सकें कि फेज मैनर में यह काम कैसे चल रहा है। वैसे रूटीन इम्युनाइजेशन के बारे में हम सबको खुशी होनी चाहिए कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इतना बड़ा प्रोग्राम मैन पॉवर का इस्तेमाल करते हुए यहां आप सबके सहयोग से संभव हुआ है और आपका सहयोग आगे भी मिलेगा।

श्री सी.आर.चौधरी: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने काफी विस्तार से हर चीज को क्लियर किया। आपने बताया कि भारत में 2.7 करोड़ बच्चे हर साल जन्म ले रहे हैं, इनमें से 5 लाख बच्चे दूसरा जन्म दिवस नहीं देख पाते हैं और 1.8 मिलियन बच्चे पांचवां जन्म दिवस नहीं देख पा रहे हैं। इसके पीछे निमोनिया और डायरिया, ये दो मेन बीमारियां हैं, जिनके कारण काफी बच्चे पांचवां जन्म दिवस नहीं देख पा रहे हैं। इसके साथ ही कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। क्या मंत्री महोदय बताना चाहेंगे कि इन तीनों पर हेल्थ विभाग और इनके विभाग की कोई विशेष योजना चलाई जाएगी, ताकि बच्चे जिन बीमारियों से, आधिकतर इन दो बीमारियों से बच्चे ज्यादातर कालग्रस्त हो रहे हैं, इनके उपाय के लिए माननीय मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं, विभाग इनके बारे में क्या सोच रहा है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : इस इंटरवेंशन के कारण जो हमारा आईएमआर है, वह वर्ष 2008 में 69 पर 1000 लाइफ बर्थ था, वह रेड्यूस होकर 49 हो गया है। हम लोगों ने कुछ और वैक्सींस को इंट्रोड्यूस करना तय किया है। पेंटावेलेन, रोटा वायरस, मीजल्स रूबेला के साथ-साथ जापानीज इंसेफ्लाइटिस एडल्ट्स यानी अब हम 7 से बढ़कर 11 हो जाएंगे। हमने अपना बास्केट इनक्रीज किया है। न्यूट्रिशन की दृष्टि से हमने कहा कि लाइफ साइकल एप्रोच हमने डेवलप की है। प्रेगनेंट मदर को हम दो टिटनस टॉक्साइड का टीकाकरण करते हैं और उसके बाद बच्चे के लिए दो साल के अंदर ये सारे टीकाकरण करते हैं। इससे हम इन्फैंट मोटेलिटी रेट को रेड्यूस कर पा रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री ओम बिरला - उपस्थित नहीं।

डॉ. रत्ना डे (नाग): महोदया, टीकाकरण केवल बीमारी को रोकने के बारे में नहीं है, यह बच्चों को उनके जीवन को उसकी पूरी क्षमता से जीने का मौका देने के बारे में है। मिशन इंद्रधनुष वास्तव में भारत में बाल मृत्यु दर पर प्रभाव डालेगा, जो आज हर साल लगभग 1.3 मिलियन बाल मृत्यु या दुनिया के कुल आंकड़े का लगभग पांचवां हिस्सा है।

तपेदिक और हेपेटाइटिस बी सहित सात जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने वाले मिशन इंद्रधनुष के बारे में माननीय मंत्री की सराहना करते हुए, मैं उनसे जानना चाहती हूं कि क्या वे मिशन इंद्रधनुष को पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में विस्तारित करने के बारे में सोच रहे हैं। इस मिशन इंद्रधनुष के तहत कई लाभार्थियों को टीका लगाया गया था और पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया था, क्योंकि इसे 25 दिसंबर, 2014 को लॉन्च किया गया था।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: धन्यवाद। माननीय सदस्य ने बहुत ही उचित प्रश्न उठाया है। पहले चरण में, हमने उच्च फोकस वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जहां अप्रतिरक्षित बच्चे 50 प्रतिशत से अधिक थे। मध्य फोकस वाले जिलों में, जहां 50 से 60 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण हो चुका है और 40 प्रतिशत बच्चे अभी भी अप्रतिरक्षित हैं। इस प्रक्रिया में, हम सभी जिलों में नियमित टीकाकरण जारी रखेंगे। यह नियमित कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसके अलावा, मिशन इंद्रधनुष को अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हम इसके परिणामों का मूल्यांकन करेंगे और फिर उसी के अनुसार निर्णय लेंगे।

डॉ. कुलमणि सामल: धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैंने उन रिपोर्ट्स का अध्ययन किया है जो माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। भले ही माननीय मंत्री ने सराहनीय कदम उठाए हैं, इंद्रधनुष मिशन ने 201 उच्च फोकस वाले जिलों और 279 मध्यम फोकस वाले जिलों को लक्षित किया है, जो देश के 650 जिलों में से केवल 480 जिले हैं। मैंने पाया है कि मिशन की प्रगति बहुत धीमी है। प्रगति की धीमी गति को देखते हुए, यह कहना मुश्किल है कि मिशन पूरे देश में कब तक लागू होगा।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: नहीं, मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मिशन धीमा नहीं है। हम केवल परिस्थितियों के अनुसार काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चे का टीकाकरण दो साल की आयु तक करना होता है। कुछ टीके दो सप्ताह में देने होते हैं, कुछ टीके दस सप्ताह में, और कुछ बीस सप्ताह में दिए जाते हैं।

पहले चरण में पचहत्तर लाख बच्चों को शामिल किया गया है। बीस लाख बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। यह वह प्रक्रिया है जो चल रही है। दूसरे चरण के बाद ही प्रमाणीकरण हो पाएगा और उसके बाद ही हम कह पाएंगे। हम अनुमान लगा रहे हैं कि हर साल लगभग पांच प्रतिशत टीकाकरण में वृद्धि होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हम तीन या चार वर्षों में 90 प्रतिशत से अधिक कवरेज तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। यही वर्तमान स्थिति है और हम इस मिशन की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं। हम सभी जिलों तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। नियमित टीकाकरण जारी है। जहाँ अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या अधिक है हमने उन जिलों को प्राथमिकता दी है क्योंकि यदि इन जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो आंकड़े जल्दी सुधारेंगे। यही हमारी योजना है। इसके बाद, अब हम मध्य फोकस जिलों पर ध्यान दे रहे हैं। अंततः हम उन जिलों तक भी पहुंचेंगे जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि हमारी सरकार ने जो 'मिशन इंद्रधनुष' लाँच किया है, उसकी वजह से टोटल अनवैक्सिनेटेड बच्चों को कवर किया जायेगा। मैं अपनी सरकार को इसलिए बधाई देता हूं कि वर्ष 2013 तक करीब 65 फीसदी बच्चों को वैक्सिनेट किया गया था और आने वाले पांच वर्षों में हमारी सरकार ने 90 प्रतिशत बच्चों को वैक्सिनेट करने का लक्ष्य निधाररित किया है। अभी-अभी हमने पोलियो पर विजय पाई है। हमने पूरे देश से पोलियो को इरैडिकेट कर दिया है। अभी हेल्थ मंत्रालय की ओर से पोलियो के लिए दवा ड्रॉप के रूप में आती है, पोलियो वैक्सीनेशन का भी प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिए मंत्री जी और सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। बच्चों की

सात जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा से संबंधित सात वैक्सिन की जो बास्केट है, वह ठीक है, मगर कुछ अन्य बीमारियां फैल रही हैं, जैसे - डेंगू, एच वन एन वन, खासकर हेपेटाइटिस सी भी प्रचलित है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन बीमारियों को भी वैक्सिनेट करने का प्रयास करेगी।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, जहां तक डेंगी का सवाल है, उसमें सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसके कारण यह रोग होता है। लेकिन अभी इस तरह का विचार नहीं है, स्वाइन फ्लू के लिए भी विचार नहीं है, क्योंकि इसकी कितनी इफेक्टिविटी है, उसको भी हम देख रहे हैं, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन के लिए मेडिसिन का प्रावधान किया गया है और हम हॉस्पिटल्स में इस बात की व्यवस्था रखते हैं। अभी भी हमने एच वन एन वन, स्वाइन फ्लू की दृष्टि से सारे हॉस्पिटल्स में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विप्मेंट्स, दवाइयां, टेस्टिंग कैपेसिटी, सभी चीजों को रखा है।

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदया, बिहार में उच्च प्राथमिकता में आपने जो 14 जिले लिए हैं, उनमें बहुत सारे जिले ऐसे हैं जैसे पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा जहां इनफ्लूएंजा, एंसेफेलाइटिस, क्षय रोग और खसरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें नहीं लिया गया है। दरभंगा को लिया गया है लेकिन मधुबनी को नहीं लिया गया है। क्या बीच में उन्हें लेने का प्लान है? साथ ही आपके मिशन इन्द्रधनुष में 64 प्रतिशत बिहार में ज्यादातर कोसी और सीमांचल के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। क्या कुपोषण को भी उसमें जोड़ने का सरकार का कोई प्लान है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, जहां तक जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस का सवाल है, 21 राज्यों में 204 एनडैमिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं। [अनुवाद] यह अभियान 184 जिलों में पूरा हो चुका है। महोदया, असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में वयस्कों में जापानी एन्सेफलाइटिस टीकाकरण के लिए 21 ऐसे जिलों की पहचान की गई है जहाँ इससे प्रभावित लोगों की संख्या अधिक है। असम के तीन जिलों, पश्चिम बंगाल के तीन जिलों के चयनित ब्लॉकों और उत्तर प्रदेश के छह जिलों के चयनित ब्लॉकों में वयस्क जे.ई. टीकाकरण अभियान

पूरा हुआ। [हिन्दी] यह जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस का है। लेकिन जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस के जो 184 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें बिहार कवर किया गया है। आपने प्रश्न पूछा कि रूटिन इम्युनाइजेशन के तहत जो कार्य चल रहा है, क्या उसमें बिहार के और डिस्ट्रिक्ट्स को भी लिया जाएगा। मैंने कहा कि ये हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनके बाद मीडियम फोकस डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, इस तरह बताना मुश्किल होगा, लेकिन यदि वहां के आंकड़े सैटिसफैक्ट्री नहीं होंगे तो निश्चित रूप से वहां भी हम करेंगे।

(प्रश्न संख्या 83)

श्री परेश रावल : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से जानना चाहूंगा कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो बंद हो रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई योजना बनाई गई है? अगर है, तो उसका ब्यौरा दीजिए।

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, एमएसएमई क्षेत्र जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बार आंकड़े दिए थे और बड़ी स्पष्टता से समझाया था कि आज के समय 5 से 6 करोड़ ऐसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जिनमें 11 से 15 करोड़ लोग काम करते हैं। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी सरकार में बनती है कि उन्हें प्रोत्साहन दें, साधन दें जिससे उनकी और बढ़ोतरी हो और और लोगों को उसमें रोजगार मिले। इसके लिए हमने कई योजनाएं तैयार की हैं जो आज के समय में लागू हैं। एक यह है कि हमने क्रैडिट गारंटी स्कीम तैयार की है जिसके द्वारा माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को क्रैडिट गारंटी मिलती है और किसी गारंटी या कोलैटरल की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने एक करोड़ रुपये तक लोन लिया है तो उसके लिए कोई गारंटी की जरूरत नही है। यह क्रैडिट गारंटी जो सिडबी द्वारा दी जाती है, इससे आज के समय एक लाख करोड़ क्रैडिट को हमने गारंटी की है। जब यह क्रैडिट माइक्रो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलता है तो उन्हें जो इंटरस्ट रेट देना पड़ता है, वह कम होता है क्योंकि जीरो रिस्क वेटिंग होती है। साथ ही कई उद्योग ऐसे हैं, चाहे टैक्सटाइल या लैदर देख लीजिए, जहां इंटरस्ट सब्सिडी या कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है। इस प्रकार इन्हें हम इन विशेष इंडस्ट्रीज और उद्योगों के लिए और साधन दे रहे हैं। हाल में हमने जो प्रधान मंत्री मुद्रा येजना लागू की है, उसमें 66 लाख लोगों को मुद्रा लोन मिले हैं और आज के समय में 42 हजार करोड़ मुद्रा लोन हमने दिए हैं। अगर हम इन सब योजनाओं को जोड़ लें तो माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है और हम सब लोगों की अपेक्षा है कि इससे रोजगार भी बढ़ेंगे।

श्री परेश रावल: अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि कितने लोगों को लाभ मिला। मेरा दूसरा सवाल है कि एमएसएमई के अंतर्गत एससी, एसटी और ओबीसी लोगों को ऋण सहायता में कोई प्रॉयोरिटी मिलती है या नहीं?

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, हमारे बैंक की जो शाखाएं हैं, उन सबको यह आदेश गया हुआ है कि खासकर जो नीचे तबके के वर्ग हैं, जिन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके लैंडिंग प्रैक्टिसेज में यह आदेश गया हुआ है कि इन लोगों को प्रोत्साहन देना जरूरी है और जितने साधन दे सकते हैं, जरूर दें। आज के समय में हमारी बैंकिंग कम्पनीज, सिडबी, और सब संस्थाएं हैं जो माइक्रो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को ऋण वगैरह देती हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें।

[अनुवाद]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या विभिन्न मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय समिति है, क्योंकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या, सब्सिडी और ऋण का अनुपात अन्य क्षेत्रों से बहुत भिन्न है, और कई उद्योगों जैसे खादी, कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता को समन्वित करने की आवश्यकता है। तो, क्या हमारे पास ऐसा कोई समन्वय तंत्र है? विशेष रूप से बांस के संदर्भ में, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या हम बांस को एक स्वतंत्र उद्योग के रूप में मानने पर विचार कर रहे हैं।

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी विभिन्न समन्वय तंत्र हैं। केंद्रीय स्तर पर, निश्चित रूप से, नोडल मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) है। लेकिन निश्चित रूप से वित्त मंत्रालय और विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लाभ के लिए नीतियाँ तैयार करने में भागीदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक महत्वपूर्ण पहल चला रहे हैं जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने 'स्टार्टअप इंडिया' के तहत शुरू किया है, जिसमें हम इस प्रकार के उद्यमों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

इसके अलावा, राज्यों के आधार पर, कई अलग-अलग कार्यक्रम लागू किए गए हैं। हाल ही में, मैं मेघालय गया था, जहां मुझे वर्चुअल रूप से हर जिले में मौजूद एक केंद्र दिखाया गया, जिसे उद्यम सुविधा केंद्र कहा जाता है, जहां एम.एस.एम.ई. कंपनियों के उद्यमियों को लाया जाता है और प्रशिक्षण और ऋण प्रदान किया जाता है ताकि वे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर सकें।

इसी तरह, कई अन्य राज्यों में भी ऐसे उद्यम सुविधा केंद्र और इस प्रकार के उद्यमिता कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं और यह समन्वय तंत्र वहां हो रहा है।

अंत में, जिला स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि औद्योगिक क्लस्टर और औद्योगिक क्षेत्रों को एकत्रित किया जाए, जहाँ छोटे उद्यमियों के लिए सभी प्रकार की सेवाएँ, जैसे भूमि, बिजली की आपूर्ति और क्रेडिट, उपलब्ध हों।

श्री के. सी. वेणुगोपाल : मुझे माननीय मंत्री से प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद महोदया। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र देश में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है।

उनके उत्तर के अनुसार, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए एस.सी.बी. के लिए समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (ए.एन.बी.सी.) का 7.5 प्रतिशत या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि, में से जो भी अधिक हो, के आधार पर होगा।

मैं अपने जिले में राष्ट्रीय बैंकों की सभी जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में भाग ले रहा हूं। पिछली बैठक में, मैंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए ऋण के प्रतिशत के बारे में पूछा था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को एक प्रतिशत से कम ऋण वितरित किया गया है। इस सरकार द्वारा दिए गए वादे नौकरशाहों, विशेषकर बैंक अधिकारियों के रवैये को नहीं दर्शाते हैं।

महोदया, कॉयर उद्योग केरल के प्रमुख उद्योगों में से एक है। कॉयर उद्योग में अधिकांश श्रमिक महिलाएं हैं। वे अपने जीवनयापन को लेकर एक बहुत गंभीर समस्या का सामना कर रही हैं। आजकल बैंकों ने उनके

खिलाफ राजस्व वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, महोदया, क्या सरकार ने बैंक अधिकारियों को ऋण प्रदान करने और एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए राजस्व वसूली की कार्यवाही को रोकने के लिए कोई निर्देश दिए हैं, साथ ही ऋण माफी योजनाओं या अन्य आकर्षक योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को राहत प्रदान करने का कोई कदम उठाया है?

श्री जयंत सिन्हा: मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि माननीय सदस्य हम सभी की तरह एक जन प्रतिनिधि की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे जिला स्तर पर सतर्कता समिति की बैठकों और बैंकर्स की बैठकों में बैठना और उनकी देखरेख और निगरानी करना है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्हें लग रहा है कि लक्ष्य में कमी है। जैसा कि माननीय सदस्य ने सही बताया है, जहां तक प्राथमिक क्षेत्र ऋण का सवाल है, एक दिशा निर्देश है। यह है कि पूरे वित्तीय तंत्र में जाने वाले सभी ऋण का 7.5 प्रतिशत एम.एस.एम.ई. को जाना चाहिए। इसके अलावा, अन्य लक्ष्य भी हैं। मुझे उन्हें पढ़ने दीजिए। एक लक्ष्य है जो कहता है कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के सूक्ष्म भाग को उस 7.5 प्रतिशत का 60 प्रतिशत मिलना चाहिए जो उन्हें दिया जा रहा है। इसलिए, हम इस लक्ष्य को लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उस पर अभी तक सितंबर, 2014 से सितंबर, 2015 तक की उपलब्धि 50.46 प्रतिशत है। इसलिए, वहां और काम किया जाना है। हम दबाव बना रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वित्तीय प्रणाली के माध्यम से हम इस 60 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करें।

दूसरा, हम कह रहे हैं कि एम.एस.एस.ई. क्षेत्र को दिए जाने वाले कुल ऋण के मामले में दस प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम इस पर 28 प्रतिशत तक पहुंच चुके हैं। इसलिए, हम उस लक्ष्य को पार कर रहे हैं।

जहां तक एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को समग्र ऋण के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का संबंध है, वह संख्या 20 प्रतिशत है लेकिन वर्तमान में हम 12 प्रतिशत पर हैं, जिससे एक कमी है।

वास्तव में, पूरी वित्तीय प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर, मंत्रालय में, हम इन लक्ष्यों की निगरानी कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम बैंकों पर दबाव डालें ताकि वे, वास्तव में, इन लक्ष्यों को पूरा कर सकें। जैसा कि हम सभी को करने की आवश्यकता है, हमें जिला स्तर पर इन लक्ष्यों का आकलन करने की आवश्यकता है ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र को आवश्यक ऋण प्रदान किए जाने चाहिए।

श्री वी. एलुमलाई: आज एम.एस.एम.ई. के सामने एक बड़ी समस्या बैंकों से वित्तीय सहायता की कमी है। एम.एस.एम.ई.एस. को बनाए रखने के लिए ऋण के प्रवाह को दोगुना करने की आवश्यकता है। आज जो हम देख रहे हैं वह वित्तीय प्रतिबंधों और कई अन्य समर्थन की कमी के कारण एम.एस.एम.ई. का बंद होना है।

तमिलनाडु में, अम्मा सरकार बड़े पैमाने पर एम.एस.एम.ई. का समर्थन कर रही है क्योंकि हमारे दूरदर्शी और प्रिय नेता का मानना है कि यह एम.एस.एम.ई. ही हैं जो ग्रामीण जनता को रोजगार प्रदान कर सकते हैं और ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या एम.एस.एम.ई. के लिए ऋण सीमा को दोगुना करने के लिए कोई निर्देश दिया गया है।

श्री जयंत सिन्हा: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने निश्चित रूप से वही किया है जैसा मान्य सदस्य सुझाव दे रहे हैं, यानी यह सुनिश्चित किया है कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो। और इससे भी बढ़कर, हमने यह निर्देश भी दिया है कि प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उद्यमी को ऋण मिलना चाहिए, साथ ही एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमी को भी ऋण मिलना चाहिए। इस प्रकार, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को ऋण मिल रहा है और यह समाज के कमजोर वर्गों तक भी पहुंच रहा है।

मुद्रा योजना के माध्यम से, विशेष रूप से, जहां हम कह रहे हैं कि 10 लाख रुपये तक, कोई संपार्श्विक या कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों को वह ऋण मिले जो उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले कहा

था, 66 लाख लोग **मुद्रा** योजना के लाभार्थी बन गए हैं। इसके अलावा, इस साल अप्रैल में घोषणा के बाद से **मुद्रा** योजना में 42,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

प्रो. सौगत राय: महोदया, मैं सबसे पहले मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि उन्होंने वस्त्र और जूट उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस योजना के तहत कितना पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि ये आंकड़े राज्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, मेरा सवाल इससे संबंधित है।...

माननीय अध्यक्ष: आपके पास केवल एक पूरक प्रश्न है।

प्रो. सौगत राय : मैंने यह बताया था। मेरे पास केवल एक पूरक प्रश्न है।

महोदया, मैं मंत्री जी का ध्यान अनुबंध 2 की ओर आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना में दो राज्यों के प्रति गंभीर भेदभाव किया गया है, जहाँ पश्चिम बंगाल को केवल 17 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 21 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो शायद आपके लिए रुचिकर हो सकते हैं। इसके मुकाबले, गुजरात को 584 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 303 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 266 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल एक पुराना औद्योगिक राज्य है जो विशेष रूप से छोटे उद्योगों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से हावड़ा क्षेत्र में। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के तहत धन के वितरण में इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए वे क्या कदम उठाएंगे, खासकर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में।

क्या वे हमें सूचित करेंगे कि ऐसी विसंगति क्यों है? एक राज्य, गुजरात को 583 करोड़ रुपये मिलते हैं और दूसरे राज्य को केवल 17 करोड़ रुपये मिलते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वे मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? ... (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: यह अन्य राज्यों के साथ भी हो रहा है। केरल को भी इस योजना में बहुत कम राशि प्राप्त हुई है।… (*व्यवधान*)

श्री जयंत सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य का ध्यान अनुबंध-1 की ओर आकर्षित करूंगा, जो कि क्रेडिट गारंटी योजना है। यदि आप वास्तव में क्रेडिट गारंटी योजना में पश्चिम बंगाल को देखिए, तो आप देखिएगे कि क्रेडिट गारंटी के मामले में पश्चिम बंगाल वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल, क्रेडिट गारंटी में, 1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी में से 6,000 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल को गए हैं और जहां तक इस मैट्रिक्स का सवाल है, कम से कम, पश्चिम बंगाल काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। … (*व्यवधान*)

पूंजी योजना एक मांग-संचालित योजना है। यह इस पर आधारित है कि कौन से उद्यम - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम - वास्तव में क्या मांग करते हैं। … (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: यह क्या जवाब है? … (*व्यवधान*)

श्री जयंत सिन्हा : माननीय सदस्य, मैं समझा रहा हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया उन्हें उत्तर पूरा करने दें। यह कोई तरीका नहीं है ।

… (*व्यवधान*)

श्री कल्याण बनर्जी: ऐसा क्यों है? … (*व्यवधान*) ऐसा क्यों है कि केवल गुजरात और किसी अन्य राज्य से मांग है? … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिमलित नहीं किया जाएगा। पहले उन्हें अपना जवाब पूरा करने दें।

… (*व्यवधान*)... *

श्री जयंत सिन्हा : यह एक मांग-संचालित योजना है, और मांग-संचालित योजना में यह सब्सिडी का अनुरोध करने के लिए एक निचली प्रक्रिया है। … (*व्यवधान*) इसलिए, यदि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से इन संख्याओं में ये सब्सिडी मांगी जा रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम इसे संख्याओं में दर्शाते हैं।... (*व्यवधान*) निःसंदेह, हम सिडबी के माध्यम से काम करने के लिए तैयार होंगे - यदि माननीय सदस्य चाहे - पश्चिमी बंगाल के लिए जो भी सहायता की आवश्यकता हो, वे प्रदान करें। … (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: राज्यों को धन वितरित करने में विसंगति है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं। यह कोई तरीका नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती रीती पाठक: माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों में क्रमश: कितना अधिकतम ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है और चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आती हूं, इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में जिलेवार कितने उद्यमियों को उनके उद्यम इकाइयों के लिए विगत वर्षों में और चालू वर्षो में ऋण उपलब्ध कराया गया है?

श्री जयंत सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग में 7.5 प्रतिशत क्रैडिट एम.एस.सैक्टर को जाना है और कुल मिलाकर वह काफी बड़ी रकम हो जाती है। आज के समय में फाइनेंशियल सिस्टम में करीब 70 करोड़ पूरे क्रैडिट एडवांसेज हैं जिसमें से 7.5 प्रतिशत आज के समय में जा रहे हैं। फिर जो आपने कहा कि आपके राज्य में कितना ऋण गया है, अगर वह आप एनैक्सचर-

---

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक और एनैक्सचर-दो में देख लें तो उसमें आपको दिख जाएगा कि मध्य प्रदेश के लिए आज के समय में अगर आप क्रैडिट गारंटी देखिए तो 3731 करोड़ रुपया गया है और अगर आप सीएलसीएसएस देख लें जो कैपिटल लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है, उसमें मध्य प्रदेश के लिए आज के समय में 21 करोड़ रुपया गया हुआ है।

(प्रश्न संख्या 84)

श्री रमेश चन्द्र कौशिक: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना- सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत क्या कोई नया चिकित्सा औषधालय खोलने की योजना है जबकि मेरा संसदीय क्षेत्र सोनीपत एन.सी.आर. में आता है और लाखों की संख्या में केन्द्रीय कर्मचारी और पेंशनर रहते हैं, जो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना सीजीएच के लाभ से वंचित होने के कारण भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अत: मेरी सरकार से मांग है कि तत्काल सी.जी.एच.एस. के अन्तर्गत एक नया औषधालय सोनीपत जिले में जी.टी.रोड पर तुरंत खोला जाए ताकि वहां के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल सके जो काफी बड़ी संख्या में वहां रहते हैं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सी.जी.एच.एस. की डिस्पेंसरी खोलने का सवाल है, मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि यह एक ऑन गोइंग प्रोसैस है और हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसमें जोड़ सकें। एन.डी.ए. की सरकार के आने के पश्चात बहुत से ऐसे स्टेट कैपिटल्स या राज्य थे जहां वैलनैस सेंटर नहीं था। हम लोगों ने इस तरीके से 12 स्टेट केपिटल्स में में वेलनेस सेंटर नहीं था तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रोइयोरिटी बेसिस पर इन स्टेट्स को लिया। रायपुर छत्तीसगढ़ में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, पणजी गोवा में, अगरतला त्रिपुरा में, इम्फाल मणिपुर में, आईजोल मिजोरम में, नगालैण्ड का कोहिमा में, सिक्किम का गैंगटोक में, गुजरात का गांधीनगर में और पुदुचेरी में, मध्य प्रदेश का इंदौर में और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में सीजीएचएस के वेलनस सेंटर को खोला है। इस तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम वेलनस सेंटर को ज्यादा से ज्यादा डिमांड के हिसाब से और जितने हमारे रिसोर्सिज हैं, उसके हिसाब से जितना हम कर सकते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। 274 एलोपैथिक डिसपेंसरीज, 85 आयुष डिसपेंसरीज और इम्पैनल्ड सेंटर्स, कुल-

मिलाकर 949 एलोपैथिक और 165 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हमारे पास हैं। हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकें।

जहां तक हरियाणा का सवाल है गुड़गांव में दो डिस्पेंसरीज हैं और फरीदाबाद में एक डिसपेंसरी है। हमने इसको खोलने का प्रयास किया है। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्पलॉइज होते हैं, वहां की डिमांड आती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से कर सकेंगे, लेकिन इस सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है कि हर प्रदेश की कैपिटल में तो वेलनस सेंटर हो, यह एक महत्वपूर्ण कदम है और यह ऑनगोइंग प्रोसैस में हैं।

श्री रमेश चन्द्र कौशिक: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीजीएचएस आरोग्य केन्द्र की संख्या 274 है। लेकिन इनमें से एक भी हरियाणा में नहीं है। दूसरा, 12 नये शहरों में जो आरोग्य केन्द्र खोलने की बात है, उनमें भी हरियाणा का कहीं नाम नहीं है। इसके अलावा 558 अस्पताल हैं, जो सीजीएचएस से संबद्ध हैं, उनमें भी हरियाणा का नाम नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे हरियाणा के सोनीपत में भी खोलने की कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैंने पहले भी बताया कि गुड़गांव और फरीदाबाद में है और ज्यादातर यह दिल्ली-एनसीआर से कवर होता है, लेकिन हम माननीय सदस्य की मांग को ध्यान में रखेंगे।

श्री शेर सिंह गुबाया: महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पंजाब में सीजीएचएस की कितनी डिस्पेंसरी हैं? हमारे पंजाब में कैंसर से सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं। मालवा क्षेत्र में एक ट्रेन ऐसी है जो कैंसर ट्रेन के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान जाती है। क्या सरकार कैंसर के रोग के लिए ऐसे कुछ सेंटर खोलने की कोई योजना है? क्या कैंसर के इलाज के लिए कोई बड़ा अस्पताल या डिस्पेंसरी खोलने के लिए सरकार कुछ कर रही है?

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न सीजीएचएस से संबंधित है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : जहां तक वेलनस सेंटर और डिस्पेंसरी खोलने की बात है, चंडीगढ़ के 9 हॉस्पीटल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, आई क्लीनिक्स 6 जुड़ी हुई हैं, डेंटल सेंटर दो हैं और 6 डाइग्नॉस्टिक सेंटर्स हैं। पंजाब के लिए चंडीगढ़ में यह व्यवस्था की गयी है। लेकिन इसके साथ-साथ हम लोग हर स्टेट में एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और टर्शरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित कर रहे हैं, जिसमें पंजाब भी इनक्लूडेड है, वहां भी हम इसको करेंगे। साथ में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पंजाब को दिया है। एक साल में ही इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत से कार्य हुए हैं और कैंसर टर्शरी केयर सैंटर में भी जुड़ा हुआ है और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भी व्यवस्था की गई है और आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस में भी इसकी व्यवस्था की गई है।

श्री राजीव सातव : महोदया, महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा क्षेत्र है, उसमें एक भी सैंट्रल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी नहीं है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या मंत्री जी मराठवाड़ा में पर्टिकुलरी हिंगोली या नांदेड़ में डिस्पेंसरी खोलने पर विचार करेंगे?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री जगत प्रकाश नड्डा : हमारा हमेशा विचार है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जाए। यह काम अभी हम प्रायोरिटी के मुताबिक कर रहे हैं। [अनुवाद] जब राज्यों की राजधानियों में कल्याण केंद्र नहीं था, तो हम दूर के क्षेत्र के बारे में कैसे सोच सकते थे? इसलिए, हम चरणबद्ध तरीके से और चरण दर चरण आगे बढ़ रहे हैं। तो हम प्रयास जरूर करेंगे, मराठावाड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हम उसके अनुसार इसकी जांच करेंगे।

---

†□प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 85 से 100

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150)

†□ प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। माननीय मंत्री जी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3227/16/15]

(2) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3228/16/15]

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक- एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 203(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 15 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 289(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (पांचवा संशोधन) नियम, 2015 जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 611(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3229/16/15]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारोबार के स्थान) विनियम, 2015 जो 21 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. आई.आर.डी.ए.आई./ रेग./9/99/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिलेख रखना) विनियम, 2015 जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. आई.आर.डी.ए.आई./ रेग./10/100/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन) विनियम, 2015 जो 26 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. आई.आर.डी.ए.आई./रेग./12/102/2015 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3230/16/15]

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2013 जो 25 अक्टूबर, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 42 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2014 जो 24 अक्टूबर, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 42 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3231/16/15]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के तहत जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 2015 जो 24 मई, 2014 को भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 199 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण]।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3232/16/15]

(5) सीमा- शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) सा.का.नि. 813(अ) जो 28 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्टूबर, 2010 की अधिसूचना सं. 108/2010-सीमा शुल्क, में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 825(अ) जो 30 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और संबंध शुल्क महानिदेशालय द्वारा प्रारंभ की गई नई शिपर समीक्षा को अंतिम रूप

दिए जाने तक पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाकिस्तान (निर्यातक) द्वारा निर्यातित 4 एम.एम. से 12 एम.एम. (दोनों सम्मिलित) के नॉमिनल मोटाई वाले क्लियर प्लेट ग्लास के आयातों के अंतिम निर्धारण का आदेश देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 591(अ) जो 28 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और संबंध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स जो ब्लास्ट या ब्लास्ट के बिना या कंट्रोल गियर या चोक के बिना, चाहे असेम्बल्ड हुए रूप में या नहीं, या पूर्ण रूप से नोक डाउन या सेमी नोक डाउन कंडीशन में हो" के आयातों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात 28 जुलाई 2015 से पांच वर्ष की अवधि तक निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.609(अ) जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स फोशन दिहाई ट्रेडिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) के माध्यम से मेमर्स गाओयाओं मार्शल सिरेमिक कंपनी के सभी आयातों पर अंतरिम निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने हेतु विहित किया जाना हैं जो 15 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. 109/2011-सीमा शुल्क के अनुसरण में अंतिम निर्धारण के अध्यधीन है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। इस तरह का अंतिम रूप दिया जाना प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा 2 जून 2015 की अधिसूचना संख्या 15/38/2010-डी.जी.ए.डी. के द्वारा नई शिपर समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष के अनुपालन में है तथा 2 दिसंबर, 2009 की अधिसूचना सं. 127/2009-सीमा शुल्क के द्वारा विहित दर पर किया जाना है।

(पांच) सा.का.नि. 610(अ) जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 15 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. 109/2011-सीमा शुल्क को निरस्त करना है जिनके द्वारा चीन

जनवादी गणराज्य से सिरामिक ग्लेज़्ड टाइल्स के आयात के मामले में अंतरिम निर्धारण विहित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 616(अ) जो 6 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 26 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. 76/2010-सीमा शुल्क, में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 617(अ) जो 6 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें चीन के जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित 'विटामिन सी' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाने की मांग की गई है, जो प्रतिपाटन और संबद्ध कर्तव्यों के महानिदेशालय द्वारा की गई प्रतिपाटन जांच में अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में है।

(आठ) सा.का.नि. 624(अ) जो 12 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डंपिंग रोधी और संबद्ध कर्तव्यों के महानिदेशालय द्वारा की गई डंपिंग रोधी जांच में किए गए अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 50 प्रतिशत से अधिक फ्लैक्स या लिनन फैब्रिक के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, जो चीन और हांगकांग के लोगों के गणराज्य में मूलत: उत्पादित या पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्यात किया गया है।

(नौ) सा.का.नि. 625(अ) जो 12 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ, जो पांच वर्षों की अवधि के लिए डंपिंग रोधी और संबद्ध कर्तव्यों के महानिदेशालय द्वारा की गई डंपिंग रोधी जांच में अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में कोरिया आरपी और ताइवान से उत्पन्न या निर्यातित पोटेशियम कार्बोनेट पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाने की मांग करता है।

(दस) सा.का.नि. 637(अ) जो 17 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ 'डिकेटोपाइरोलो पाइरोल पिगमेंट रेड 254' के आयात पर

निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, जो चीन जनवादी गणराज्य और स्विट्जरलैंड से पांच वर्षों की अवधि के लिए उत्पन्न या निर्यात किया गया है, जो प्रतिपाटन महानिदेशालय और संबद्ध कर्तव्यों द्वारा की गई प्रतिपाटन जांच में अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 640(अ) जो 18 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया आर.पी. से उद्भूत या वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा पर, पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन और संबद्ध कर्तव्यों के महानिदेशालय द्वारा की गई प्रतिपाटन जांच में अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(बारह) सा.का.नि. 641(अ) जो 18 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 अगस्त 2011 की अधिसूचना सं. 82/2011-सीमा शुल्क, में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 642(अ) जो 18 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31वें अगस्त 2009 की अधिसूचना सं. 89/2009 -सीमा शुल्क, में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 652(अ) जो 24 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ सभी ग्रेडों के फॉस्फोरिक एसिड और सभी सांद्रताओं (कृषि या उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, जो पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन और संबद्ध कर्तव्यों के महानिदेशालय द्वारा की गई प्रतिपाटन जांच में अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में कोरिया आर.पी. से उत्पन्न या निर्यात किया गया है।

(पंद्रह) सा.का.नि. 675(अ) जो 4 वें नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पांच वर्षों की अवधि के लिए कोरिया आर.पी. से उद्भूत या निर्यातित "एक्रेलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर" के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(सोलह) सा.का.नि. 687(अ) जो 8 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ स्पष्ट और टिंटेड किस्म (हरित कांच के अलावा) के "फ्लोट ग्लास ऑफ मोटाई 2 मि.मी. से 12 मि.मी. (दोनों समावेशी) के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्टिव ग्लास, सजावटी, औद्योगिक या ऑटोमोटिव उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त प्रसंस्कृत ग्लास शामिल नहीं है, जो कि लोगों के चीन जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या निर्यातित है" पांच वर्षों की अवधि के लिए है।

(सत्रह) सा.का.नि. 694(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिनका आशय ग़ैर धातु के बने विनिर्दिष्ट हॉटरोल्ड फ्लैट उत्पाद और अन्य धातु उत्पाद जो की छल्ले के रुप में हैं और जिसकी मोटाई 600 एम.एम. या इससे अधिक हो, पर 200 दिनों की अवधि के लिए 20 प्रतिशत मुल्यानुसार की दर से अंतरिम रक्षोपाय शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 801(अ) जो 21 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ''प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड ऑफ मोटाई 6 मि.मी. और उससे अधिक के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना चाहते हैं।

(उन्नीस) सा.का.नि. 802(अ) जो 21 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डंपिंग रोधी और संबद्ध कर्तव्यों के महानिदेशालय द्वारा की गई सूर्यास्त समीक्षा जांच में अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाना है।

(बीस) सा.का.नि. 803(अ) जो 21 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डंपिंग रोधी और संबद्ध कर्तव्यों के महानिदेशालय द्वारा की गई डंपिंग रोधी जांच के

अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और यू.एई. के लोगों से उद्भूत या वहां से निर्यातित 'हेक्सामीन' के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(इक्कीस) सा.का.नि. 804(अ) जो 21 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निदेशालय द्वारा की गई प्रतिपाटन जांच में किए गए अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 'सभी पूरी तरह से तैयार या पूरी तरह से उन्मुख यार्न/स्पिन ड्रॉ यार्न/फ्लैट यम ऑफ पॉलिएस्टर (गैर-बनावट और गैर-पोय)' के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, जो चीन जनवादी गणराज्य और थाइलैंड के लोगों से उद्भूत है, या वहां से पाँच वर्षों की अवधि के लिए निर्यात किया गया है। एंटी-डंपिंग और संबद्ध कर्तव्यों के जनरल।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3233/16/15]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 799(अ) जो 21 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 25/2015-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 842(अ) दिनांक 6 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिनके द्वारा 15 नवम्बर 2015 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस दिन से वित्त अधिनियम 2015 के अध्याय 6 के उपबंध प्रवृत्त होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 843(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी कराधेय सेवाओं पर स्वच्छ भारत उपकर की दर के रूप में 0.5 प्रतिशत की दर विहित करना है और स्वच्छ भारत उपकर की ऐसी राशि के भुगतान से छूट प्रदान करना है, जो कर योग्य सेवाओं के मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से परिकलित उपकर से अधिक है।

(चार) सा.का.नि. 853(अ) जो 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 नवम्बर 2015 की अधिसूचना सं. 22/2015-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 854(अ) जो 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें अधिसूचना सं. 30/2012-सेवा कर दिनांक 20 जून, 2012, रिवर्स चार्ज तंत्र के बारे में, स्वच्छ भारत उपकर के प्रयोजनों के लिए लागू होगा।

(छह) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 855(अ) दिनांक 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3234/16/15]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 791(अ) जो 19 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवैट क्रेडिट (पांचवां संशोधन) नियम, 2015 जो 16 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 818(अ) जो 29 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 844(अ) जो 6 वें नवम्बर, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 560(अ) जो 17 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मार्च 2004 की अधिसूचना सं. 30/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 561(अ) जो 17 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. 1/2011-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 562(अ) जो 17 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 571(अ) जो 21 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. 30/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 572(अ) जो 21 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. 1/2011-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 573(अ) जो 21 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक जिनके द्वारा 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 600(अ) जो 30 जुलाई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 नवम्बर 2013 की अधिसूचना सं. 30/2013-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 716(अ) जो 17 वें सितम्बर, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सेनवैट क्रेडिट (चौथा संशोधन) नियम, 2015 जो 16 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 764(अ) जो 7 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3235/16/15]

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) सा.का.नि. 598(अ) जो 30 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 नवम्बर 2013 की अधिसूचना सं. 49/2013-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 599(अ) जो 30 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई 1996 की अधिसूचना सं. 39/96-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 613(अ) जो 4 अगस्त, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा तथा जिनके द्वारा 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 716(अ) जो 17 वें सितम्बर, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 731(अ) जो 22 सितम्बर, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दूरसंचार ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण के लिए एच.डी.पी.ई. पर प्रदान की गई मूल सीमा शुल्क छूट को वापस लेना है।

(छह) सा.का.नि. 748(अ) जो 30 वें सितम्बर, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 756(अ) जो 5 अक्टूबर, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 788(अ) जो 16 अक्टूबर, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 790(अ) जो 19 अक्टूबर, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3236/16/15]

(9) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अंतर्गत राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध (दूसरा संशोधन) नियम, 2015, जो 2 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3237/16/15]

(10) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3238/16/15]

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

8वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 'केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उपव्रड्ढमों में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' विषय पर सरकारी उपव्रड्ढमों संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) का 8वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

सभा का कार्य

[अनुवाद]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, आपकी अनुमति से, मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 7 दिसंबर, 2015 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

1. आज के आदेश पत्र से लिए गए सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार करना।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करनाः-

   (क) भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015;

   (ख) बोनस का भुगतान (संशोधन) बिल, 2015;

   (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

3. इस पर चर्चा तथा मतदान:-

   (क) वर्ष 2015-16 (दूसरा प्रक्रम) के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

   (ख) वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगें (सामान्य)।

4. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 के राज्य सभा से पारित किए जाने के बाद इस पर विचार तथा पारित करना।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा अंतर्गत प्रत्येक किसानों के खेतों की सिंचाई हेतु 500 फीट की गहराई से पानी के लिए ट्यूबवेल लगाने हेतु सब्सिउ की व्यवस्था कराई जाए। 99 प्रतिशत सब्सिडी की व्यवस्था कराई जाए, जिससे किसानों में खुशहाली हो सके।

2. देश में प्रत्येक वृद्ध, महिला, मजदूर-किसान, जिसकी आयु 60 साल से आधिक हो, उसके लिए पेंशन में बीपीएल श्रेणी की सीमा जो बांधी गई है, उसे समाप्त किया जाए। उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि देश के सभी लोग आत्मनिर्भर हो सकें और भुखमरी का सामना नहीं करना पड़े।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में, महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति, विशेषकर मराठवाड़ा और विदर्भ में जो अकाल की स्थिति है, पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. रवीन्द्र गायकवाड़ - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदया, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो मदों को सम्मिलित किया जाए।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता बढ़ाने और लोगों की इच्छा और कानून के क्षेत्र में संसद की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्रियाविधि पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. भारत के सभी संसदीय क्षेत्रों को सुचारू रूप से विकसित करने के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सांसद निधि (एमपीलैड्स) में राशि बढ़ाने के संबंध में।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) के कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियां प्रखंड में मरीजों के इलाज हेतु कैंसर सेंटर स्थापित करने के संबंध में।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडकारा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगले सप्ताह की कार्यसूची के लिए लोक सभा में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. प्राकृतिक रबर की कीमत में भारी गिरावट के मद्देनजर 10 लाख से अधिक रबर किसानों के सामने गहरा संकट है।
2. दिल्ली में प्रदूषण के असामान्य स्तर से उत्पन्न चिंताजनक स्थिति।

[हिन्दी]

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. राजस्थान की राजधानी जयपुर एवं उसके पश्चात् जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा शहर जोधपुर है। इन दोनां प्रमुख शहरों के बीच जो रेलवे लाइन जयपुर-फुलेरा-डेगाना-मेड़ता रोड-जोधपुर है, उसका दोहरीकरण एवं विद्युतिकरण होना आति आवश्यक है। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सम्मिलित किया जाए।

2.पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जिलों में खरीफ फसल वर्ष 2015 में 60 प्रतिशत से अधिक खराब होने के बावजूद अकालग्रस्त जिलों में उसका नाम नहीं है। अतः इस महत्वपूर्ण विषय को भी चर्चा में सम्मिलित कराने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूँ:

1. भारत के संविधान के तहत परिकल्पित केंद्र-राज्य संबंधों को वित्तीय, प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि सहकारी संघवाद सुनिश्चित हो सके। संसद की सहमति के बिना अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रभाव की समीक्षा की जानी चाहिए।

2. भोपाल गैस त्रासदी के 31 साल बाद भी, हज़ारों लोग खतरनाक रासायनिक दुष्प्रभावों से पीड़ित हैं, जबकि यह भी बताया गया है कि वर्ष 1984 त्रासदी के पीड़ितों के अंग नमूने रहस्यमय ढंग से मध्य प्रदेश मेडिको कानूनी संस्थान से गायब हो गए हैं, जो यू.सी.आई. के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत थे।

माननीय अध्यक्ष: केवल विषयवस्तु, बस इतना ही।

प्रो. सौगत राय (दम दम): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 7 दिसंबर 2015 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों की सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:

1. देश में कच्चे जूट का उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता से कम होने के कारण भारी कमी है। यह बांग्लादेश द्वारा कच्चे जूट का निर्यात बंद कर दिए जाने से और बढ़ गया है। जूट आयुक्त के कार्यालय द्वारा जमाखोरी मुक्त करने के संचालन की तत्काल आवश्यकता है। अन्यथा जूट मिलें ढाई लाख श्रमिकों को रोज़गार से बाहर कर देंगी।

माननीय अध्यक्ष: केवल विषय वस्तु का उल्लेख करना होगा। यह इतना विस्तृत नहीं होना चाहिए।

प्रो. सौगत राय: यह बहुत संक्षिप्त है। जो कुछ भी लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं।

2. उनके साथ भेदभाव करने वाले नेपाल के नए संविधान के विरोध में मधेसियों और थारूओं के चल रहे आंदोलन के कारण भारत-नेपाल सीमा पर स्थिति गंभीर और तनावपूर्ण है। उनके द्वारा 110 दिनों के लिए नाकेबंदी की गई है जिससे नेपाल में ईंधन, भोजन और दवाओं की कमी हो गई है। इससे भारत विरोधी दुष्प्रचार हो रहा है जो गलत है। भारत सरकार को स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कूटनीतिक हस्तक्षेप करना चाहिए।

[हिन्दी]

मैडम, इस विषय पर एक चर्चा होनी चाहिए, राज्य सभा में इस विषय पर चर्चा हुई है। आज नेपाल की स्थिति बहुत खराब है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

1. डॉ.भीमराव अम्बेडकर जी के 125 वीं जन्म जयंती पर अनुसूचित जाति, जनजाति बस्तियों में केंद्रीय विद्यालय तर्ज पर अम्बेडकर विद्यालयों की स्थापना की जाए।
2. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी के समाधि स्थल अभय घाट, अहमदाबाद की सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करके, उसका चहुंमुखी विकास किया जाए।

अपराह्न 12.09 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मद सं. 6। श्री राव इंद्रजीत सिंह।

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): महोदया, श्री मनोहर पर्रिकर की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)(अ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेटकोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)(अ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेटकोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>अपराह्न 12.11 बजे</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसा कि देखा गया है कि 'शून्य काल' के दौरान कई सदस्य उन मामलों की सूचना देते हैं जो राज्य विधानमंडलों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संविधान के तहत प्रदान की गई चीजों की योजना में, कोई भी विषय जो राज्य विधायिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में हो, संसद में उठाया जा सकता है।

इसलिए, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि वे उन विषयों को न उठाएं जो सदन में राज्य विधानमंडलों के अधिकार क्षेत्र में हैं। [हिन्दी] मुझे बार-बार यहां से कहना न पड़े कि यह स्टेट मैटर है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका आप लोग ध्यान रखें।

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदया, कृपया हमें वन-रैंक-वन-पेंशन का महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दें। … (*व्यवधान*) महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कृपया हमें इस महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दें। … (*व्यवधान*)

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): महोदया, मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, भारतीय इलायची के छोटे किसान अपने बाज़ार मूल्य में गिरावट के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। पहले इलायची, इलायची बोर्ड के अधीन थी जिसे अब समाप्त कर दिया गया है और यह अब मसाला बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इलायची के विकास की जिम्मेदारी सौपी गई है। लेकिन, दुर्भाग्य से, मसाला बोर्ड अब पूरे कार्यालय को इडुक्की से स्थानांतरित कर रहा है। महोदया, इलायची का 90 प्रतिशत हिस्सा इडुक्की जिले में उगाया जा रहा है। सभी क्षेत्र अधिकारियों को देश के कुछ अन्य हिस्सों में स्थानांतरित किया जा रहा है जहां कोई इलायची नहीं उगाई जा रही है और इसके कारण विकासात्मक गतिविधियां नहीं की जा रही हैं। इलायची की कीमत में कमी आ रही है। पहले हमें 1800 रुपये प्रति किलो मिलता था. इलायची के लिए, लेकिन अब हमें केवल 500 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है, यह इलायची की उत्पादन लागत से काफी कम है। कम से कम 750 रुपये इलायची की कीमत होनी चाहिए ताकि उत्पादन लागत को पूरा किया जा सके। हमें इतना पैसा नहीं मिल रहा है। इलायची की कीमत में अचानक आई इस गिरावट से मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को लगभग 3500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और मसाला बोर्ड के कोच्चि कार्यालय के साथ इलायची की विपणन जिम्मेदारी बनाए रखें, साथ ही उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत

अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करें, ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गरीब इलायची किसानों के हितों और उनके जीवन को बचाया जा सके। धन्यवाद, महोदया।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.के. बिजू को एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदया, यह माना जाता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार के तहत सतर्कता और निगरानी समिति का गठन प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास से संबंधित खर्च की निगरानी के उद्देश्य से किया गया था। मैं मुर्शिदाबाद नाम के जिले का रहने वाला हूं, जिसका प्रतिनिधित्व तीन एम.पी. करते हैं। वर्ष 2012 में मेरे जिले की सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष पद पर कोई और नहीं बल्कि माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी थे। जब उन्हें राष्ट्रपति भवन में पदोन्नत किया गया, तब से अब तक सतर्कता और निगरानी समिति की बैठकें बंद हो गईं जिला कलेक्टर और राज्य सरकार से कई बार निवेदन किए जाने के बावजूद, मेरे जिले मुर्शिदाबाद में अब तक एक भी समिति बैठक आयोजित नहीं की गई है। अब, तीन साल से अधिक समय बीत चुका है और एक भी सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक नहीं हुई है। मैंने जिला कलेक्टर को कई पत्र लिखे हैं लेकिन उन्होंने उसका मेरे पत्र का जवाब तक नहीं दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि पश्चिम बंगाल में जिला कलेक्टर इस तरह का साहस कैसे दिखाते हैं। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार के सत्ताधारी दल के इशारे पर जिला कलेक्टर ने ऐसा किया है। मेरी केवल एक गलती यह है कि मैं पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल से संबंधित हूं। इसलिए, मुझे इस विषय पर केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह एक विशेषाधिकार है जिसका मेरे राज्य में सत्तारूढ़ शासन के इशारे पर जिला कलेक्टर द्वारा उल्लंघन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया , मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर को स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलिति किया गया है। भागलपुर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा सिल्क नगरी के नाम से भी मशहूर है।

लेकिन वर्तमान में जो शहर की स्थिति है, वह पूरी तरह जाम से भयाक्रांत है, जिसके चलते व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भागलपुर शहर में बाहर से आने वाले वाहनों के चलते अंदर का यातायात पूरी तरह से चरमरा जाता है। बिहार से होकर अन्य राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम आदि जाने वाले वाहन भागलपुर शहर के अंदर से होते हुए जाते हैं, जिसके चलते भी बहुत परेशानियां होती हैं। भागलपुर राष्ट्रीय गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगर नाथनगर से पिरपैंती तक गंगा नदी के किनारे-किनारे मुम्बई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर सड़क का निर्माण करा दिया जाए तो भागलपुर शहर के अंदर की यातायात की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगी तथा यह सड़क भविष्य में स्मार्ट सिटी के यातायात के दृष्टिकोण से भी उपयोगी सिद्ध होगी।

महोदया, मेरा कहना यह है कि अगर स्मार्ट सिटी के अंदर उस सड़क को ले लेते हैं, अगर उस तरह का दिशा-निर्देश दे दिया जाता है तो निश्चय ही भागलपुर जो सिल्क नगरी के नाम से मशहूर है, निश्चित रूप से उसके देश के एक बहुत बड़े उद्योग केन्द्र के रूप में विकसित होने की संभावना है। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे, श्री जयप्रकाश नारायण यादव एवं श्री कौशलेन्द्र कुमार को श्री शैलेश कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, जो कि अंतरराज्यीय जल वितरण समझौते को लेकर है। 31 दिसम्बर, 1981 में हुए अंतरराज्यीय समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का रावी ब्यास के आधिक्य जल में 52.69 प्रतिशत हिस्सा है। प्राय: यह विवाद बना रहता है कि सहभागी राज्यों द्वारा प्रतिवर्ष पीने के पानी व सिंचाई के पानी की कमी झेल रहे राजस्थान प्रदेश को आवंटित जल में कटौती की जाती रही है।

पंजाब पुनर्गठन आधिनियम 1966 के क्लॉज 79 (2) के तहत भारत सरकार द्वारा पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष बीबीएमबी आरंभ से ही सदस्य राज्यों से न होकर एक अन्य राज्य से नियुक्त किये जाते रहे हैं। इसके आतिरिक्त सदस्य (ऊर्जा) की नियुक्ति पंजाब तथा सदस्य

(सिंचाई) की नियुक्ति हरियाणा से की जाती रही है। राजस्थान के आधिकारी को बीबीएमबी में सदस्य पद पर नियुक्त करने से हमेशा इनकार किया जाता रहा है। सदस्यों को केवल पंजाब व हरियाणा राज्य से नियुक्त किये जाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी किया जाता रहा है, जिसके कारण राजस्थान हमेशा से अपने हक को खो देता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन मंडल (बीबीएमबी) में राजस्थान राज्य से पूर्णकालीन सदस्य व सचिव की नियुक्ति का मामला भारत सरकार में लम्बित है। वर्ष 1986 में हुई बीबीएमबी बोर्ड़ की 122वीं बैठक में भी यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक सहभागी राज्य का प्रतिनिधित्व हो। इस प्रकरण पर राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा 10 से आधिक बार अनुरोध किया जा चुका है। इसी तर्ज पर भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड में ब्यास परियोजना न भाखड़ा कांप्लैक्स के पदों में भी राजस्थान के प्रतिनिधित्व की कमी है, जिसके लिए भी भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है।

अत: मेरा आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालयों से और उनके मंत्रियों से विशेष अनुरोध है कि राजस्थान राज्य को उसका हक दिलाने हेतु उचित कार्रवाई करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी.सोलंकी, श्री देवजी.एम.पटेल, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, डॉ.मनोज राजोरिया, श्री सी.पी. जोशी एवं श्री सी.आर. चौधरी को श्री पी.पी.चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हू। साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय दूरसंचार मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर बिहार में राजनगर प्रखंड जिला - मधुबनी के रांटी ग्राम में वर्ष 2003 में आकाशवाणी केंद्र (एफएम) की स्थापना के लिए भारत सरकार के तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी कि द्वारा नींव रखी गई थी। लेकिन उसके बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चूंकि मधुबनी जिला मिथिलांचल का मध्य जिला माना जाता है। यहां पर पर अगर आकाशवाणी केंद्र (एफएम) की स्थापना कर दी जाती है, तो वहां के लोगों में एक नया

उत्साह पैदा हो जाएगा। साथ ही इस पिछड़े जिले के लोगों को घर-घर तक सूचनाएं पहुँचाने की काम करेगी तथा मिथिलांचल को इस से एक वरदान साबित होगा।

अतः आपके माध्यम से माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र जाँच करा कर मिथिलांचल के मधुबनी रांटी में आकाशवाणी केंद्र (एफएम) की स्थापना करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सुश्री महबूबा मुफ्ती - उपस्थित नहीं।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदया, मैं केरल राज्य में विशेष रूप से कासरगोड जिले में एंडोसल्फान के पीड़ितों के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने के केरल राज्य के अनुरोध के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदया, मैं आपकी अनुमति से इस विषय को विभिन्न अवसरों पर उठाता रहा हूँ। काजू बागान में 25 वर्षों तक एंडोसल्फान के निरंतर उपयोग के कारण, मानव जीवन और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब तक लगभग 600 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 लोग इसका इलाज करा रहे हैं। इस संदर्भ में केरल सरकार ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन यह गंभीर समस्या अकेले राज्य सरकार के लिए संभव नहीं हो सकती।

यह बहुत गंभीर है कि 25 वर्ष के बाद भी छोटे बच्चे, दो से तीन वर्ष के बच्चे, कैंसर, टीबी और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। यह इस घातक कीटनाशक की भयावहता और गंभीरता है जिसका उपयोग वहां किया गया है।

बेशक, केरल की सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। मैंने इस विषय को कई बार उठाया है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने राज्य को 475 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के लिए पत्र लिखा है, बल्कि इन पीड़ितों को मुख्यधारा में भी लाना है और यह हर तरह से ही संभव है। कई एन.जी.ओ. और अन्य एजेंसियां अपने हिस्से

की कार्रवाई कर रही हैं। मैं इससे सहमत हूँ लेकिन साथ ही, केंद्र सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना होगा और केरल की राज्य सरकार के हित में इस वित्तीय सहायता को मंजूरी देनी होगी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री पी.के. बिजू, श्री राजीव सातव को श्री पी.करुणाकरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र के जिला अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील में गोविंद साहब का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थाल है, जहां पर हर साल बहुत बड़ा मेला लगता, जिसमें देश भर के हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनके रहने की समुचित व्यवस्था तथा अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेले में श्रद्धालुओं द्वारा लाखों रूपये का चढ़ावा भी आता है जो कि सरकारी खजाने में जमा होता है। लेकिन उसमें से इस स्थान के संरक्षण और विकास के लिए एक रूपया भी खर्च नहीं किया जाता है। इस कारण उस क्षेत्र के लोगों की भावनाएं काफी आहत हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से सराकार से तत्काल चाहूंगा कि उस स्थल के विकास पर ध्यान दें और कम से कम वहां से हो रही आय को स्थान के विकास में लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तथा इसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य,श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदया, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी कैंसर सेंटर नहीं है, जिसके आभाव में कैंसर के मरीजों का इलाज तत्काल नहीं पाता है, इलाज के आभाव में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

ज्ञातव्य हो कि मेरे क्षेत्र में आधिकतम आतिपिछड़ा, एवं गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों की बहुलता है। जिला रोहतास एवं केमूर के पहाड़ी तथा सुदूर क्षेत्र जहां आति पिछड़ा, आदवासी एवं गरीब वर्ग के लोग बाहर दवा कराने में आर्थिक असमर्थता के कारण इलाज के आभाव में दम तोड़ा देते हैं।

महोदया, बिहार झारखण्ड के बंटवारे के बाद यदि सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या है, तो वह हमरे संसदीय क्षेत्र में है और सबसे ज्यादा कैंसर से पीड़ित आदिवासी हैं। सरकार का भी विशेष ध्यान है कि हर जगह कैंसर सेंटर खोले जाएं।

अतः आपसे विशेष आग्रह है कि कैंसर मरीजों के इलाज हेतु शीघ्र कैमूर जिले के प्रखंड-मोहनियॉ में कैंसर सेंटर स्थापित करने हेतु सदन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री रविन्द्र कुमार जेना को श्री छेदी पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक बहुत ही गम्भीर मुद्दे को उठाने का मुझे मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर की तरफ ले जाना चाहता हूँ और खास तौर पर जम्मू से लेकर पुंछ तक हमारे जितने भी जिले हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है और ये सीमावर्ती क्षेत्र के साथ लगते हुए जिले हैं। यहाँ पर रेल की सुविधा नहीं है। रेल लाइन बिछाने का सर्वे काफी समय पहले से हुआ पड़ा है, लेकिन अभी तक यहाँ रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय और सरकार से यह प्रार्थना है कि ये जो चार जिले हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र के साथ लगते हैं, यहाँ रेल लाइन बिछाने का काम जल्द प्रारम्भ किया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को आने-जाने की सुविधा मिले। इसके साथ ही बॉर्डर एरिया में आर्मी की एक्टिविटीज रहती हैं, उनका यहाँ आना-जाना रहता है, इससे आर्मी को भी सुविधा होगी और बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं, वे वहाँ के लोगों को मिल सकें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री चंद्र प्रकाश जोशी को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने स्थान से ही बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

कुमारी सुष्मिता देव: माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाना चाहती हूँ, जो मेरे जिले, कछार और बराक घाटी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। कछार और बराक घाटी, एक क्षेत्र के रूप में, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो हमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से जोड़ते हैं। सिलचर से अपनी राजधानी जाने के लिए, मुझे मेघालय से गुजरना पड़ता है। इस संदर्भ में, मैंने देखा है कि भारत सरकार ने नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी की स्थापना की है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूँ कि सबसे पहले इसे कार्यात्मक बनाया जाए क्योंकि आज तक वहां कोई अभियंता नहीं हैं। दूसरा, यदि कछार के किसी भी जिले में एक कार्यालय स्थापित किया जा सकता है, तो मेरा मानना है कि इन सभी राज्यों को लाभ होगा। केवल एक उदाहरण देने के लिए, आज सिल्चर *वाया* करीमगंज से चुराईबाड़ी तक राजमार्ग जो हमें अगरतला ले जाता है बहुत खराब स्थिति में है। मैंने सुना है कि भारत सरकार इसे सुधारने की योजना बना रही है। मैं उनसे इसमें तेजी लाने का अनुरोध करती हूं।

आज गुवाहाटी जाने वाला राजमार्ग मालिडोर तक खस्ताहाल है। मैं अनुरोध करूंगी कि गेमन पुल को फिर से बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह देखना हमारा सपना है कि सिल्चर सौराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, जो बाजपेई जी के समय में स्वीकृत किया गया था। बाद में इसे सिलचर निर्वाचन क्षेत्र में लाया गया, जो कि यू.पी.ए. सरकार के दौरान मेरा निर्वाचन क्षेत्र है।

इस परियोजना के साथ पर्यावरणीय मंजूरी एक बड़ा मुद्दा है। बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूंगी कि बोरैल वन्य जीवन अभयारण्य के भीतर 24 हेक्टेयर हैं; 59 हेक्टेयर अवर्गीकृत राज्य वन; और 12 हेक्टेयर दीमा

हसाओ जिले में हैं। मैं सराहना करती हूं कि उच्चतम न्यायालय का एक मत है। इसलिए, यह पूरी तरह से भारत सरकार पर नहीं है। जितना जल्दी हम ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस कर सकते हैं, मैं मानती हूँ कि यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मैं गडकरी जी से मिली थी, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वह वैकल्पिक राजमार्ग के साथ हमारी मदद करेंगे, जो गुवाहाटी के माध्यम से हरांगजाओ और तुर्क से होकर जाएगा।

मैं बराक घाटी के लोगों की ओर से सरकार से उस राजमार्ग को मंजूरी देने का अनुरोध करूंगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री राधेश्याम बिस्वास, श्री भैरों प्रसाद मिश्रा और श्री राजीव सातव को कुमारी सुष्मिता देव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर, राजस्थान की ब्रॉडबैंड और इंटरनेट से सम्बन्धित सेवाओं की कमी के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो भी सरकार की योजनाए हैं, वे प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुँचें। जो प्रधानमंत्री जी ने अच्छी योजनाएं शुरू की हैं, चाहे वह डीबीटीएल योजना हो या अन्य योजनाए हों, जो उनका पारदर्शिता का सपना है, डायरेक्ट बेनीफिट आम आदमी को देने का जो सपना है, उन सबको निभाने में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की बहुत बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य का विषय है कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर में ब्रॉडबैंड और इंटरनेट तो बहुत दूर का सपना है, सामान्य जो मोबाइल सुविधा है और जो लैंडलाइन फोन की सुविधा है, उसमें भी बीएसएनएल द्वारा बहुत लापरवाही बरती जा रही है। आज बी.एस.एन.एल. के जो मूल एक्सचेन्ज थे, उनको भी बी.एस.एन.एल. के आधिकारियों की लापरवाही की वजह से उखाड़ा जा रहा है और इंटरनेट की सुविधा तो छोड़ो, मोबाइल टावर्स की संख्या भी वहाँ इतनी कम है कि बी.एस.एन.एल. के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज़ बी.एस.एन.एल. से छोड़ दी है और मजबूरी में उनको प्राइवेट कंपनियों में

जाना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि ऐसे आधिकारी जो सरकारी सेवाओं को ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मांग कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा टावर्स लगें।

डॉ. मनोज राजोरिया : जी हाँ। ऐसे अधिकारियों को निर्देशित करें कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. के टावर्स अधिक से अधिक संख्या में लगाएँ जिससे कि क्षेत्र के लोगों को बी.एस.एन.एल. की सुविधाएँ मिल सकें और मोबाइल की कॉल ड्रॉप बंद हो सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे लोक महत्व के इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जो रिवरसैंड, मोरंग और ग्रिट जो सड़क और भवन निर्माण के उपयोग में आती है, लगभग आधे उत्तर प्रदेश की सड़कों का निर्माण हमारे यहाँ के खनिज पदार्थों से होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नदी के किनारे और पहाड़ों के नज़दीक का जितना क्षेत्र है, वहां की सड़कें जर्जर हैं। बुज़ुर्ग लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। विद्यार्थी विद्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं, यात्री बेहाल हैं। मार्ग दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : वे सड़कें केन्द्र सरकार की तो नहीं हैं, वे नेशनल हाईवेज़ तो नहीं हैं।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि केन्द्र सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करके ऐसा इंतज़ाम करे कि जिस जनपद से हज़ारों करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है, वह राजस्व वहाँ क्यों नहीं लग रहा है। छात्र विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और मरीज़ अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि दिल्ली क्षेत्र हमारे भारत की राजधानी भी है। आपने कई बार बीच में टीवी पर देखा होगा कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने की वजह से हड़तालें हुईं और दिल्ली की सड़कों पर कचरे का अंबार लगाया गया। उस पीड़ा को कहीं न कहीं राज्य सरकारों द्वारा महसूस नहीं किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली एक केन्द्र शासित प्रदेश है। इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 2012 में केन्द्र सकार द्वारा निर्णय लिया गया, जब यूपीए की गवर्नमैंट थी, कांग्रेस की गवर्नमैंट थी और राज्य में भी कांग्रेस की गवर्नमैंट थी। उस समय एक से तीन नगर निगम अलग किए गए। उस समय यह आशंका भी जताई गई थी कि इसमें राजस्व का वितरण अगर सही नहीं हुआ तो कई क्षेत्रों में विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उस वक्त मैं राजनीति में तो नहीं था, लेकिन पता नहीं उस निर्णय को उस गवर्नमैंट ने अपने किस लाभ से लिया या क्या हुआ, पर आज हालात इतने गंभीर हैं कि मैं उन सफाई कर्मचारियों के घरों में जाकर उनसे मिला हूँ। दीवाली जैसे त्योहारों में दीवाली नहीं मनाई गई, छः-आठ महीने से उनको वेतन तक नहीं मिला और जब राज्य सरकार को कहा गया कि इस नगर निगम को वह धन आबंटित किया जाए जिसका उनको हक है, तो राज्य सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा यह कहा गया कि आप पी.एम. मोदी से मांग लो क्योंकि वहाँ आपकी ही पार्टी की सरकार है। यह एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे उत्तर मिलने के बाद सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने की वजह से कचरे का अंबार लग रहा है। उनको जल्द से जल्द वेतन मिले, नगर निगमों को उनका आबंटित धन मिले, ताकि दिल्ली का क्षेत्र स्वच्छ रहे और स्वच्छ भारत की जो संकल्पना हमारे प्रधान मंत्री जी की है, वह हम बहुत अच्छे से पूर्ण कर पाएं। मैं आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को श्री महेश गिरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहा हूँ।

महोदया, आप जांनती होंगे कि लक्षद्वीप को पी.डी.एस. के तहत आपूर्ति की जाने वाली चावल की कुल मात्रा 4620 एम.टी. है और यह आवंटन 2001 जनगणना पर आधारित है। अब, हमने 2011 जनगणना को मंजूरी दे दी है। हमने चार साल भी पूरे किए हैं। इसके बावजूद लक्षद्वीप को एक भी राशि का एन्हांसमेंट नहीं दिया गया है। आप जांनती हैं कि लक्षद्वीप पूरी तरह से पी.डी.एस. पर निर्भर है क्योंकि धान उत्पादक का कोई अन्य निजी चावल विक्रेता नहीं है क्योंकि लक्षद्वीप भौगोलिक रूप से बहुत अलग है।

यह स्थिति होने के नाते, 1 अगस्त, 2015 को लक्षद्वीप प्रशासन ने 33 प्रतिशत आबादी को कवर करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) लागू किया था। यह 33 प्रतिशत जो एन.एफ.एस.ए. द्वारा कवर किया गया है, मौजूदा आवंटन से है, अर्थात, 4,620 मीट्रिक टन अब, मुद्दा कम आवंटन के कारण है। महोदया, आपातकालीन राशन से 4 किलोग्राम चावल कम कर दिया गया है, जिसे ए.पी.एल. मात्रा कहा जाता है। लक्षद्वीप पर चावल को लेकर भारी संकट है।

लक्षद्वीप में विशेष रूप से संयुक्त परिवार प्रणाली है। अन्य स्थानों में जहाँ सूक्ष्म प्रणाली होती है, यहां पर व्यापक (मैक्रो) प्रणाली है। एक राशन कार्ड में, 10 से 15 व्यक्ति होंगे। ऐसे में ए.पी.एल. मात्रा में 4 किलोग्राम की कटौती करने से समस्या पैदा हो रही है। महोदया, एपीएल मात्रा में 4 किलो चावल की कमी का मतलब लगभग 50 से 60 किलो चावल की कमी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने से चावल की मात्रा कम हो गई है। इस विषय पर मेरी कुछ बात है जो मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कवरेज के बारे में कहना चाहता हूं।

जब भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 90 प्रतिशत जनसंख्या को कवर कर रही है, जैसे कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में 3 रुपये प्रति किलो चावल की दर निर्धारित की गई है, तो लक्षद्वीप भी इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, लक्षद्वीप एक भौगोलिक रूप से अलग-थलग क्षेत्र है, जहाँ 100 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। यहां पर धान या अन्य कोई फसल उगाने की संभावना नहीं है। मैं जानता हूं कि सभा इस विषय पर मेरा साथ देगी। मैं इस पर आपका सहयोग चाहता हूं, महोदया।

भारत सरकार के पास दो विकल्प हैं। एक बार जब एन.एफ.एस.ए. किसी स्थान पर लागू हो जाता है, तो, वहाँ पर टाइड ओवर क्वांटिटी के लिए कोई सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध नहीं कराया जाता। अब तक उपलब्ध एकमात्र सुविधा आर्थिक दर पर खुले बाजार में आपूर्ति है, जिसकी लागत रु. 35 प्रति किलोग्राम है। लक्षद्वीप के लोगों की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर है। आप जानते हैं कि पूरी आबादी को अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक भी व्यक्ति रु. 35 प्रति किलोग्राम चावल खरीदने में सक्षम नहीं है मैंने इस मुद्दे को कई बार सभा में उठाया है। मैं श्री राम विलास पासवान से मिला था, और मैंने उन्हें कई बार पत्र लिखा था, यह अनुरोध करते हुए कि लक्षद्वीप को एक विशेष समर्थन दिया जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महोदया, कि मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने पार्टी अध्यक्ष, श्री शरद पवार जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी, ताकि लक्षद्वीप को विशेष प्राथमिकता या समर्थन दिया जाए।

हम 1,000 या 2,000 मीट्रिक टन प्रतिमाह नहीं चाहते हैं। मैं प्रति माह केवल 100 मीट्रिक टन की मांग कर रहा हूं जो कि हमारे गोदामों से प्राप्त मात्रा की एक बड़ी मात्रा है। हमारे गोदामों में अभी तक बहुत सारे स्टॉक हैं। मुझे लगता है कि केवल प्रतिबंध के कारण, हम देने की स्थिति में नहीं हैं। या तो सरकार को उस विधेयक में संशोधन का समाधान निकालना चाहिए। ऐसे समय तक, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि टाइड ओवर क्वांटिटी की मात्रा को 140 मीट्रिक टन प्रतिमाह बढ़ाया तक बढ़ाया जाए या सब्सिडी की आपूर्ति फिर

से शुरू की जाए, ताकि लक्षद्वीप की गंभीर स्थिति के कारण कम से कम लोगों की जरूरत पूरी की जा सके, जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूर स्थित है।

मुझे केवल आपके सामने यह विषय उठाना है। महोदया, आपको इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को कम से कम श्री पासवान को एपीएल मात्रा के रूप में प्रति माह कम से कम 140 मीट्रिक टन चावल देने के लिए सूचित करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय महोदया।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव सातव को श्री मोहम्मद फैजल द्वारा विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश के सतना लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह पर्यटन एवं औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण जिला है। लंबा समय बीत गया, लेकिन मेरे जिले को केन्द्रीय सड़क निधि से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई।

मेरा प्रस्ताव है, नंबर एक - गाजन-छिबौरा रोड से मझियार, कंदवा, बकिया, गोलहटा, टिकुरी, लौलाछ, खाम्हा, भटिगवां, ढ़ोंढ़ी, किचवरिया, इटौर, मैनपुरा, अकौरा, टिकरी, खम्हरिया से गोरईया तक। नंबर दो - रामपुर बाघेलान से तपा, बगहाई, बैरिहा, झांझर, करमऊ, रघुनाथपुर, रामनगर, मझियार, बरती, गढ़वा कला, खोहर, रेहुटा तक।

नंबर तीन- अमरपाटन रामनगर रोड से गोरसरी से जिगना।

नम्बर चार, सज्जनपुर से छिवौरा, गाजन रोड का निर्माण कराया जाये।

उक्त चारों सड़कों का केन्द्रीय निधि से निर्माण कराया जाये, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 75 जो सतना शहर से होकर निकलती है, किन्तु अत्यधिक खराब है उसके पुनर्निर्माण तथा रेलवे पर जो ओवर ब्रिज

बना है, वह अत्यंत जर्जर हो गया है, उसके पुनर्निर्माण के साथ-साथ सोहावल मोड़ से मरौहा तक सड़क के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है, उसकी स्वीकृति दी जाये। साथ ही दो राज्य मध्य प्रदेश एवं उत्तर पद्रेश को जोड़ने वाली सड़क सतना, सेमरिया, सिरमौर, जवा, सूती, पटहट, शंकरगढ़, इलाहाबाद रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2004 में रिजर्वेशन बिल इनैक्ट करने के लिए राजसभा में पेश किया गया था, वह वर्ष 2009 में पास भी हुआ। उसमें कुछ त्रुटियां आईं, जब उसका अपोज हुआ तो [अनुवाद] विधेयक को इस शर्त पर वापस लिया गया कि विधेयक दोबारा पुरःस्थापित किया जाएगा। हालांकि इसे दोबारा पुरःस्थापित नहीं किया जा सका है। [हिन्दी] यूपीए का दूसरा सेशन आया, उस टेन्योर में भी यह नहीं हुआ, अभी वह बिल है। रिजर्वेशन एक्ट यह है कि हम अलग से कोई एडिशनल रिजर्वेशन की पावर या राइट्स नहीं मांग रहे हैं, बल्कि आरक्षण, अब तक, कार्यकारी आदेशों द्वारा विनियमित किया गया है। जो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुए हैं, उनमें अनॉमलिज बहुत थीं तो एक काम्प्रिहेन्सिव लॉ बन जाना चाहिए, अगर ऐसा हुआ होता तो गुजरात हाई कोर्ट के माननीय ‡ यह नहीं कहते कि रिजर्वेशन और करप्शन दो चीजें देश के लिए हिंडरैंस पैदा कर रही हैं। जजेज ऐसा कहने लगे हैं *

माननीय अध्यक्ष : नाम लेकर, उनके संबंध में आप नहीं कहें।

... (व्यवधान)

डॉ. उदित राज : मैं सारी पार्टियों से उम्मीद करता हूं कि इम्पीच किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : जजेज के नाम से ऐसा न कहें।

‡ कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात सदन में रखें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जज का नाम कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... *(व्यवधान)*... [§]

डॉ. उदित राज : आरक्षण की तुलना भ्रष्टाचार से की जा रही है। [हिन्दी] यह कॉलेजियम सिस्टम की देन है।

माननीय अध्यक्ष : कुछ भी हो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कहां से कहां जा रहे हैं। आप अपनी बात सदन में रखें।

डॉ. उदित राज : मैडम, हाउस ने जो पास किया है, नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन उसको कॉलेजियम में खारिज किया। इस देश में एक न्यायिक तंत्र है, जो निर्वाचित नहीं है और जो इस संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर रहा है। यह इस देश में चल रहा है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी डिमोट हो रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम ने ऐसे जजेज को प्रोड्यूस किया है, ...(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि ऐसे जजेज के खिलाफ में इम्पीचमेंट लाया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आपका यह नोटिस नहीं था।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

[§]कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. यशवंत सिंह, और कुमारी शोभा कारंदलाजे को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) : अध्यक्ष महोदया, देश में धान उत्पन्न करने वाले राज्यों में किसानों को धान का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान आर्थिक रूप से टूट गये हैं। धान की लागत अधिक आती है लेकिन धान का मूल्य किसानों को लागत के बराबर भी नहीं मिला है। यहां तक कि सरकार जो किसानों की फसलों का मूल्य निर्धारण करती है, वह भी किसानों को नहीं मिल पाया है। प्रारंभ में, धान 1150 रुपये और 1250 रुपये प्रति क्विंटल बिक चुका है। अभी किसान पुरानी प्राकृतिक आपदा की भरपाई नहीं कर पाये थे कि धान की कीमत कम होने के कारण वे और ज्यादा टूट गये हैं। अब समय आ गया है कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से संपर्क करके किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना चाहिए। किसान बहुत रोष में हैं और इस दिशा में सोचने लगे हैं कि जब उद्योगपतियों को अपने उत्पाद का खुद लाभकारी मूल्य निर्धारण करने का अधिकार है तो किसानों को यह अधिकार क्यों नहीं है? किसानों को उनकी फसल का मूल्य निर्धारण करने में बिचौलियों के हाथ में शोषण के लिए छोड़ दिया जाता है। वे अपने अनुसार प्रतिदिन मूल्य का निर्धारण करते हैं। साथ ही, वे किसानों से सस्ते मूल्य पर उनके उत्पादों को खरीद कर जमाखोरों को फायदा पहुंचाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, अब समय है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से वार्ता कर किसानों के आर्थिक शोषण पर अंकुश लगाये और आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों से मिलकर किसानों पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए कोई नयी नीति बनाये।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, श्री देवजी एम. पटेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री राजीव सातव और कुमारी शोभा कारंदलाजे को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : मान्यवर, आज आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका अधिकार से नम्बर आया है।

... (व्यवधान)

डॉ. भोला सिंह : बिहार संभावनाओं का राज्य है। विडम्बनाएं कदम-कदम पर इन्हें परेशान करती रही हैं। इसकी मिट्टी, इसकी जलवायु एवं मानवीय शक्ति तथा प्रकृति की भंगिमाओं ने इसके इन्द्रधनुषी स्वरूप का निर्माण किया है। असंख्य नदियां गंगा का हजारों किलोमीटर इसकी धरा को पखारना बूढ़ी गंडक, कोसी अधवारा समूह की नदियां इसका शाश्वत जलाभिषेक करती रहती हैं। पर राजनीति के दंश ने इसे लहूलुहान करके रखा है। यह बीमारू राज्य के रूप में आज भी कलंकित स्वरूप लिए हुए है। यह इसकी आकृति नहीं बल्कि राजनीति की दी हुई है।

बिहार सर्व धर्म सम्भाव प्रजातंत्र की जन्म भूमि एवं कई विराट प्रतिभाओं की जननी है। पर ये आज प्रति वर्ष भीषण बाढ़ और सुखाड़ से प्रताड़ित है। उत्तर बिहार में जहां प्रति वर्ष बाढ़ से करोड़ों की क्षति होती है वहीं दक्षिण बिहार प्रति वर्ष भयानक सुखाड़ का हिस्सा रहा है। राजनीति प्रति वर्ष अथवा प्रति पांच वर्ष में इसी बाढ़ और सुखाड़ को चुनाव का मुद्दा बना कर इसे अंगूठा दिखाती रही है। कोसी शोक नदी के रूप में आज भी इसके रग-रग को तोड़ती रही है। गंगा अपने कटाव और बाढ़ से इसे परेशान करके रखा है। अन्य नदियां भी अपनी उग्रता प्रति वर्ष प्रदर्शित करती रही हैं। ऐसी अवस्था में बिहार के प्राण केन्द्र के हाथ में गिरवी के रूप में पड़े हुए हैं। कोसी नेपाल से आती है। नेपाल की सरहद पर डैम बनाने की आवश्यकता है। उससे सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। केन्द्र सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। आज भी पूर्व की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण बिहार की नदियां बरसात में कहर ढाती हैं, चैत बैसाख में सूख जाती हैं।...(व्यवधान) अटल नदियों को जोड़ने की योजना के माध्यम से दक्षिण बिहार को धन्य-धान्य से भरा जा सकता था। वह भी निष्प्राण पड़ा हुआ है। अत: सरकार को सदन के माध्यम से आग्रह करते हैं कि बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल में

डैम बनाया जाए। उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ दिया जाए। यदि ऐसा हुआ तो बिहार राष्ट्रीय सम्पदा का उच्चतम हिस्सा दे सकेगा। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल श्री राजेश रंजन और श्रीमती रंजीत रंजन को डा. भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत ही अहम मुद्दा उठा रहा हूं। जैसलमेर जिला है, उसमें रामगढ़-डांडेवाला गांव है जो पाकिस्तान के बार्डर पर सिमटा हुआ है। वहां आज से करीब 30-40 साल पहले गैस की डिस्कवरी हुई हुई थी। 20 साल पहले वहां कई कुएं खुदे थे लेकिन पता नहीं उन कुओं का कमर्शियल यूज नहीं किया गया। वहां 9 नवम्बर को बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसकी वजह से पूरे जैसलमेर जिले में त्राहि-त्राहि मच गई। वहां 35 किलोमीटर के रेडियस में कोई आबादी नहीं थी, वह बार्डर पर है। उसकी वजह से जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। बाद में ओएनजीसी के लोग वहां आए, गुजरात की जीटीसी कम्पनी के करीब सौ साइंटिस्ट आए। उन्होंने वहां कंट्रोल कर लिया। मेरे कहने का मतलब है कि एक तरफ हमारा रिवैन्यू लूज़ हो रहा है। हिन्दुस्तान में गैस की कमी है। वहां वॉयबिलिटी है, उसका कमर्शियल यूज करना चाहिए। वहां पुराने कुएं हैं। लीकेज, विस्फोट का कारण है कि रख-रखाव नहीं था, पाइप पुराने थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप पैट्रोलियम मंत्रालय को कहें कि गैस की कमी है तो उसका एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, वहां उसे यूज करना चाहिए। पुरानी गैस की जो लीकेज हो रही है, वह रिपेयर होनी चाहिए ताकि आगे से इस तरह न हो।

उस बॉर्डर से आगे सुई गैस करके पाकिस्तान का फील्ड है। वहां बहुत गैस पैदा हो रही है। वहां भी जैसलमेर बहुत बैकवर्ड जिला है। वहां गैस का प्लांट बनाकर या गैस का यूज होना चाहिए। यह मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): अध्यक्ष महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बालामऊ रेलवे स्टेशन से सीतापुर के मध्य चलने वाली पैसेंजर रेलगाड़ी संख्या 54321 व 54322 को निरस्त कर दिया गया है। उपरोक्त गाड़ी को निरस्त कर देने के कारण बालामऊ से सीतापुर के मध्य यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले ऐसे स्टुडेंट्स भी हैं जो रोज इस ट्रेन से यात्रा करते थे, उनको बहुत दिक्कत आ रही है, वे लोग धरने देने जा रहे हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस ट्रेन को पुनः शुरू कराएं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष जी, जातीय जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, किस जाति की क्या आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति है इसके लिए बार-बार सदन में आग्रह किया गया है लेकिन अभी तक रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है, कौन भीख मांगने वाला है, कौन कच्चे मकान में रहते हैं, फ्रोर्थ ग्रेड की नौकरी कौन करता है, दिहाड़ी मजदूरी कौन करता है, कौन शोषण का शिकार हो रहा है, उनकी संख्या क्या है। यहां गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, जातीय जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाए, इसमें विलंब न किया जाए, इसमें आनाकानी न किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं 124 करोड़ की जनता की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। पूरे देश में सबसे अत्यधिक परेशानी टॉल टैक्स को लेकर है, कुछ दिन पूर्व ट्रक एसोसिएशन ने ट्रक हड़ताल किया था, उसमें माननीय मंत्री गडकरी साहब से वार्ता भी हुई थी, वर्तमान सरकार इसे लेकर गंभीर चिंता प्रकट की है। टॉल टैक्स के मालिकों देश की आर्थिक व्यवस्था को हानि पहुंचाई जा रही है, उसकी चोरी हो रही है। पूरे देश में इससे ट्रक मालिक शोषित हो रहे हैं इसके साथ साथ आम आदमी का वक्त बर्बाद होता है, महिलाएं, बच्चे और बीमार आदमी परेशान होता है। आप इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर है। जब 14,000 करोड़ रुपये टॉल टैक्स से भारत सरकार को आता है, ट्रक

एसोसिएशन का कहना है कि हम 15,000 करोड़ रुपये टॉल टैक्स देने को तैयार हैं। इस देश में टॉल टैक्स को भारत सरकार समाप्त करें जिससे आम आदमी को परेशानी से निजात मिले।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री राजीव सातव, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय और श्री दुष्यंत चौटाला को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भगवंत मान (संगरूर): मैडम, सोशल मीडिया देश में लोकतंत्र का पांचवें स्तंभ के रूप में सामने आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर सरकार का दबाव बढ़ जाता है तो सोशल मीडिया ही सत्य को बताने का एकमात्र माध्यम रह जाता है। पिछले दिनों पर सोशल मीडिया पर जो एक्टिवस्ट है उस पर पुलिस का अत्याचार की खबरें आ रही हैं। कुछ विदेशों में जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके परिजनों को थानों में बुलाकर जलील किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों को झूठे केस में जेल में डाला जा रहा है। मैं इन्फॉर्मेशन और ब्रोडकास्टिंग मिनिस्ट्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मीडिया इमर्जेंसी जो लग गई है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 66 ए धारा के तहत फेसबुक पर बोलने को क्राइम नहीं माना जाना चाहिए।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): मेरे लोक सभा क्षेत्र में सिरोही जिला है, जहां फ्लोराइड की मात्रा बहुत आधिक है और अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। वहां पानी की बहुत किल्लत है जिस वजह से पूरे जिले को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। एक स्कीम 1200 करोड़ रुपये की बनी थी, दूसरी स्कीम जो 200 करोड़ की है। पिछली बार आपने सालगांव का विजिट भी किया था। वहां पानी बहुत रहता है, इस वजह से हमारे पूरे जिले को पानी की समस्या से निजात मिल सकती है। सालगांव डैम और बत्तीशा नाल्लाह बन जाए तो सिरोही जिले को पानी की किल्लत नहीं रहेगी। यह कहा जाता है कि जल ही जीवन है, अगर जल बचाना है तो वहीं इसे रोकना पड़ेगा और इसी जल से हमारे जिले की समस्या दूर हो सकती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि सिरोही जिले के लिए विशेष पैकेज दिया जाए ताकि बत्तीशा नाल्लाह का निर्माण हो। सालगांव डैम का काम वन विभाग की प्रक्रिया में रुका है, मेरी मांग है कि इसे भी जल्द क्लियर किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी को श्री देवजी एम. पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

दीपेन्द्र हुड्डा जी, एक मिनट में अपनी बात कहिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष : तब भी एक मिनट में बोलिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, यह देश के भूतपूर्व सैनिकों और सैन्य बलों से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए तो सही, इसी में आधा मिनट चला जाएगा।

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, मैं पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन के विषय से संबंधित इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर देने के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। यह विषय कई वर्षों से राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया है। यह आंदोलन विशेष रूप से छठे वेतन आयोग के बाद, यानी 2006 के बाद, और भी तेज हो गया था।

महोदया, यह गैर-राजनीतिक विषय है। इसका प्रमाण इस तथ्य में निहित है कि वर्ष 2011 में जब यू.पी.ए. सरकार ने इस विषय को हल करने का निर्णय लिया, तो एक याचिका समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने की, जो उस समय बीजेपी के राज्य सभा सदस्य थे, ताकि इस मुद्दे पर विचार किया जा सके। महोदया, श्री कोश्यारी जी अब लोक सभा सदस्य हैं।

कोश्यारी समिति की परिभाषा के अनुसार, 17 फरवरी, 2014 को इस सदन ने एकमत से – और इसलिए, महोदया, मुझे आपकी सहमति चाहिए – पूर्व सैनिकों के लिए "वन रैंक वन पेंशन" को स्वीकार और मंजूरी दी थी। फिर, नई सरकार अस्तित्व में आई और किसी कारण से एक साल के लिए तक इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई।

फिर, पूर्व सैनिकों ने मई 2015 में एक और आंदोलन शुरू किया और यह आंदोलन अभी भी छह महीने से चल रहा है। [हिन्दी] इसके दबाव में काफी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी लालकिले से घोषणा करेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंततः 17 नवंबर को 'वन रैंक, वन पेंशन' का नोटिफिकेशन आया। इसमें दो खामियां हैं जिससे आज भी एक्स सर्विसमैन आंदोलित हैं क्योंकि अभी तक वन रैंक वन पेंशन नहीं मली है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें दो मुख्य खामियां अभी भी छोड़ी गई हैं, पार्लियामेंट ने 17 फरवरी, 2014 को इसे पास किया था, यूपीए ने पास नहीं किया था, सदन ने पास किया था।उसकी परिभाषा बदल कर, कोशियारी कमेटी की डेफिनेशन बदल कर...

माननीय अध्यक्ष : आप डिमांड बोलिये। लंबा भाषण मत कीजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैडम, पहली बात, पांच साल के रिव्यु का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। आप लम्बा भाषण नहीं दे सकते।

… (*व्यवधान*)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदया, यह 'वन रैंक वन पेंशन' नहीं है। पूर्व सैनिक यही कह रहे हैं। वे कहते हैं कि यह 'वन रैंक फाइव पेंशन' है। [हिन्दी] पांच साल का नहीं हर साल का रिव्यू होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: दूसरी बात, प्री मेच्योर रिटायरीज़ के लिए वन रैंक वन पेंशन का रास्ता बंद कर दिया गया है। यह देश के सेनाओं के लिए बहुत घातक बात है।

माननीय अध्यक्ष : अब मत बोलिए।

श्रीमती रमा देवी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी डिमांड रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बात समय में कहनी नहीं आती है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.57 बजे

(इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रमा देवी के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी जगह पर जाइए। यह क्या हो रहा है?

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.57 ½ बजे

(इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा अपने स्थान पर वापस चले गए।)

माननीय अध्यक्ष : जब समय दिया तब आपने डिमांड नहीं रखी। यह तो कोई तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.58 बजे

(इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत बेलसंड प्रखंड नगर पंचायत में केंद्र सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना के तहत 1487 गरीब लोग का घर बनाने का लक्ष्य था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, मैंने आपको एक मिनट में बोलने के लिए कहा था।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... *(व्यवधान)...* **

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

<u>अपराह्न 12.59 बजे</u>

(इस समय, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : रमा देवी जी, आप बोलिए।

श्रीमती रमा देवी : माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से बिहार सरकार को 20 करोड़ 87 लाख रुपए का पूरा केंद्रीय अंश जारी भी किया जा चुका है। मुझे बहुत दुख के साथ आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना पड़ रहा है कि भारी आनियमितता के कारण जिस उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया था, उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है।...(व्यवधान) बेलसंड नगर पंचायत में उपरोक्त जेएनएनयूआरएम योजना में इतनी आनियमितत बढ़ती जा रही है कि जो गरीब लोग इसके असली हकदार हैं, उनका तो घर नहीं बना लेकिन बिचौलियों की कृपा से गैर जरूरतमंद लोगों का घर जरूर बन रहा है। ...(व्यवधान) मुझे जानकारी मिली है कि प्रत्येक घर पर बिचौलियों के माध्यम से नगर पंचायत के आधिकारी 20,000 से 50,000 रुपए तक उगाही कर रहे हैं। इस स्कीम की सामान्य प्रक्रिया यह थी कि लाभान्वितों को चिह्नित कर उनके एकाउंट बैंक में खाता खोला जाए तथा उसके बाद नगर पंचायत से उनके एकाउंट में आरटीजीएस कर दिया जाए।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

[अनुवाद]

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील विषय की ओर आकृष्ट करता हूं, जो मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश विशेष श्रेणी के राज्य में से एक है; और हम नीति आयोग के बहुत आभारी हैं कि एक बार फिर उन्होंने 90:10 केंद्र-राज्य साझाकरण की अनुमति दी है। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान हुड्डा जी, आपको समझना चाहिए कि कैसे बोलना है।

… (*व्यवधान*)

श्री निनोंग इरिंग: महोदया, पासीघाट को 98 स्मार्ट शहरों में चुना गया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि चीन के दबाव के कारण, ए.डी.बी., विश्व बैंक और जे.आई.सी.ए. जैसी वित्तीय संस्थाएं इस मुद्दे पर वित्तपोषण नहीं कर रही हैं। इसलिए नीति आयोग के समान, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि उन्हें 90:10 के अनुपात में पसीघाट के स्मार्ट शहर को भी लेना चाहिए ताकि, कम-से-कम, हम उत्तर-पूर्व के लोगों को और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के लोगों को यह दिखा सकें कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक्ट ईस्ट नीति को इस मुद्दे पर लागू किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

<u>अपराह्न 1.01 बजे</u>

(इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष: अब, श्रीमती कृष्ण राज। एक मिनट में समाप्त करें, उससे अधिक नहीं।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 1.02 बजे</u>

(इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा अपने स्थान पर वापस चले गए।)

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं...(व्यवधान) जिस तरह से हमारी भारत सरकार पूरे देश में हरियाली भरे रास्ते का एहसास कराती है और हरित क्रान्ति लाकर पूरे देश में...(व्यवधान) सड़कों को, यात्रा को सुखद बनाने का एक अच्छा प्रयास कर रही है। वहीं पर मैं

आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली और लखनऊ की दूरी तय करने वाला हमारा राष्ट्रीय 24 मार्ग वर्ष 2011 में स्वीकृत हुआ था लेकिन आज भी उसी गति से चल रहा है। ...(व्यवधान) इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उसकी गति जो दिल्ली और लखनऊ को जोड़ती है जिसमें हमारा बरेली से लखनऊ का जो रास्ता है, वह बहुत ही कष्टदायी है और जो 156 कि.मी. का रास्ता है, वह एकतरफा ध्वस्त पड़ा हुआ है जिसके कारण से आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त है।...(व्यवधान)

दूसरे, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस सड़क पर पिछले एक वर्ष में 350 हादसे हुए हैं और 227 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरा आपसे निवेदन है कंपनी जो भी कार्य कर रही है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए, कार्य को प्रगति की ओर ले जाने के लिए सरकार को निदेरर्शित करें। यह मेरी आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र एवं श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्रीमती कृष्णा राज द्वारा उठाये गये विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

हुड्डा जी, आप सब लोग भी समझ लीजिए। मैंने पहले ही बोला था कि ज़ीरो ऑवर में जो डिमांड है, वह एक मिनट में रखनी है, लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना है। दीपेन्द्र जी, आप यंग हैं, अभी आपको बहुत जिंदगी में आगे जाना है, आपको इस बात को समझना चाहिए। ये तरीके ठीक नहीं हैं। बिना आपके नोटिस के होते हुए मैंने आपको एलाउ किया। अब जो भी डिमांड है, उसको बोलते जाओ और बैठ जाओ।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैडम, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात को पूरा करने का मौका दिया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप केवल अपनी मांग रखें।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलना चाहते हैं या नहीं?

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैडम, दूसरी बात यह है कि अभी जो वन रैंक वन पेंशन का नोटिफिकेशन आया है, इसमें प्री- मैच्योर रिटायरीज को वन रैंक वन पेंशन...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए नहीं तो आपका यह समय भी जाएगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैडम, ऐसे बोलने का क्या तरीका है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : तो मत बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : ये एक्स-सर्विसमैन के लिए इश्यूज उठा रहे हैं।...(व्यवधान) मैडम, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं।...(व्यवधान) ये बीजेपी के सांसद क्या हमें एक्स-सर्विसमैन की बात नहीं उठाने देंगे?...(व्यवधान) मैडम, किसी को नहीं रोका गया। सबने अपनी बात रखी है।...(व्यवधान) मैडम, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप डिमांड तो रखिए कि आप क्या कहना चाहते हैं? आप बोलते जाइए नहीं तो यह समय भी समाप्त हो जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैडम, एक नोटिफिकेशन में प्री-मैच्योर रिटायरीज का मामला रखा गया। ...(व्यवधान) प्री-मैच्योर रिटायरीज का मतलब यह है कि जो रियाटरी लेगा, उनको वन रैंक वन पेंशन नहीं

मिलेगी।...(व्यवधान) हमारे देश की जो कैबिनेट है, ...(व्यवधान) उसी ने यह एक फैसला लिया है कि 3.1 प्रतिशत लोगों को...(व्यवधान) मैडम, मैं वॉक-आउट करता हूं।

अपराह्न 1.04 बजे

(इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप यह नहीं जानते कि मांग कैसे की जाती है ।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री राजव सातव को श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने लॉटरी से 20 और लोगों को फ्राइडे होने के नाते समय दिया और सबको एक एक मिनट के लिए समय दिया लेकिन मैं समझता हूं कि ...(व्यवधान) देश के 90 प्रतिशत गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के लिए जहां एक तरफ सदन चिंता कर रहा है कि आज भी देश के गन्ना किसानों का मूल्य बाकी है और उत्तर प्रदेश में 4000 करोड़ रुपया बाकी है।...(व्यवधान) दूसरी तरफ विडम्बना है कि चीनी मिलें भी नहीं चलाई जा रही हैं। आज बस्ती की चीनी मिलों को लेकर वहां के किसान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।...(व्यवधान) पांच लोगों की हालत खराब हो गई। फोर्स्ड फीडिंग आमरण अनशन पर कराई गई। आज गंभीर संकट पैदा हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आज बस्ती चीनी मिल या खलीलाबाद चीनी मिल बंद पड़ी है। पूर्वान्चल की देवरिया भट्टी चीनी मिल को चलाने के संबंध में सरकार राज्य सरकार को निदेरशित करें कि

आवश्यक प्रभावी कदम उठाए जिससे कैश क्रॉप जो गन्ना है, उससे किसानों की जिंदगी, उनकी बेटी की पढ़ाई, बीमार बाप का इलाज और कम से कम लोगों की शिक्षा का काम हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री शरद त्रिपाठी को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान उन किसानों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिन्हें देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आज हालात इस तरह के हो गए हैं कि वह रीढ़ की हड्डी ही टूट रही है। किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में 11, 21 की पैडी और कीनू की फसल होती है। पिछली बार 11, 21 की पैडी चार हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी थी। इस बार किसानों से 1600 रुपए के हिसाब से पैडी ले ली गई लेकिन आज उस पैडी का रेट 2600 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। किसानों को 800 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से घाटा पड़ रहा है और वे मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं।

महोदया, मैं आपकी तरफ से सरकार से मांग करता हूं कि उन किसानों को 1600 रुपए और 2800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच के नार्मल रेट के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा कीनू की फसल के बारे में कहना चाहता हूं। एबोर-फाल्का एरिया से कीनू आता है। कीनू पांच रुपए किलो मंडी में बिक रहा है। सरकार की तरफ से मार्केट में उसका रेट फिक्स होना चाहिए।

महोदया, कॉटन की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। एक एकड़ में से एक क्विंटल कॉटन भी नहीं मिली है।

[अनुवाद]

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में कार्यरत लोगों में शोधकर्ता बहुत कम हैं। यदि हम इसकी तुलना अन्य देशों से करते हैं, तो भारत में 10000 कार्यरत लोगों के लिए चार शोधकर्ता हैं। यहां तक कि केन्या और चिली जो हमारे देश से छोटे हैं, उनके क्रमशः छह

और सात शोधकर्ता हैं। भारत में प्रकाशित शोधपत्र अन्य विज्ञान आधारित देशों की तुलना में बहुत कम होते हैं।

हमारे देश में वैज्ञानिक बहुत कम हैं क्योंकि भारतीय मूल के शोधकर्ता बेहतर संभावनाओं के लिए विदेश जाते हैं और बहुत कम विदेशी वैज्ञानिक भारत में बसते हैं। हमारे देश में, केवल दो लाख पूर्णकालिक शोधकर्ता हैं जिनमें से 14 प्रतिशत महिलाएं हैं। समस्या यह है कि विज्ञान में रुचि रखने वाले बहुत से प्रतिभाशाली लोग अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और फिर प्रबंधन पाठ्यक्रमों की ओर बढ़ जाते हैं। रहे हैं। सरकार को प्रतिभाशाली युवाओं को वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के रूप में आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए। भारत में समस्या बुनियादी ढांचे की थी। हमने अच्छा बुनियादी ढांचा तैयार किया है लेकिन अच्छे अनुसंधान के लिए पर्यावरण की समग्र कमी है। इसरो, आई.आई.एस. और आई.आई.टी. बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन यह शोधकर्ताओं को बेहतर संभावनाओं के लिए भारत से बाहर अन्य देशों में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है।

महोदया, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हमारा देश बहुत कम संख्या में आवेदन दर्ज कर रहा है। अनुसंधान संस्थान अभी भी अन्य देशों से पीछे हैं। भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर 17 घरेलू और विदेशी पेटेंट दाखिल किए जाते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में यह आंकड़ा 4451 और जापान में 3716 है।

महोदया, मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रतिभाशाली अनुसंधान वैज्ञानिक शोधकर्ताओं की पहचान की जाए ताकि हम दुनिया के अन्य देशों की तुलना में लक्ष्य तक पहुंच सकें।

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान केरल में रेलवे के विकास से संबंधित एक गंभीर चिंता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मुख्य प्रशासनिक कार्यालय कोच्चि से इलाहाबाद स्थानांतरित होने से केरल में रेलवे से जुड़े विकास कार्यों को गहरा झटका लगा है। यह कदम रेलवे बोर्ड को भेजी गई एक गोपनीय रिपोर्ट का अनुसरण करता है जिसमें सुझाव दिया गया है कि चेन्नई में कार्यालय केरल में विकास कार्यों की निगरानी कर सकता है और कोच्चि समकक्ष पर खर्च किए गए धन को

बचा सकता है। यह पहली बार नहीं था जब लॉबी ने मुख्य प्रशासनिक कार्यालय को कमजोर करने की कोशिश की थी जिसने केरल में रेलवे के विकास को तेज़ी से लागू किया है।

कोच्चि में मुख्य प्रशासनिक कार्यालय वर्ष 2012 में शुरू किया गया था जिसके परिणामस्वरूप केरल में विकास में भारी छलांग लगाई गई थी। केरल में गतिविधियों के समन्वय के लिए कोच्चि में कार्यालय स्थापित किया गया था जो लंबे समय से रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास में पिछड़ गया था। अपर महाप्रबंधक स्तर के कार्यालय में स्पष्ट जानकारी थी। अनुमति के लिए चेन्नई में दक्षिणी रेलवे मुख्यालय में प्रत्येक फाइल भेजने की आवश्यकता को समाप्त करने का विचार था। पालक्काड़ को विभाजित करने वाले सेलम डिवीजन के गठन के बाद प्रायद्वीपीय क्षेत्र की मांग के बदले में केरल को यह कार्यालय प्रदान किया गया था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्ष 2011-12 के बजट में केरल को दिए गए 360 करोड़ रुपये में से केवल 163.56 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। हालाँकि, वर्ष 2014-15 में 400.12 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि बजटीय आवंटन केवल 357.55 करोड़ रुपये था। महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

मुख्य प्रशासनिक कार्यालय और मुख्य अभियंता कार्यालय के अधिकारों में अंतर है। मुख्य अभियंता केवल 3 करोड़ रुपये से कम के अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। हालांकि मुख्य प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना से पहले प्रति वर्ष केवल तीन बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसके बाद औसतन प्रति वर्ष 40 बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यालय ने लालफीताशाही को सुलझाने और मुख्यमंत्री सहित अन्य कार्यालयों के साथ बातचीत करने में सराहनीय काम किया। मुख्य अभियंता कार्यालय के स्थानांतरण के साथ, विकास कार्य पटरी से उतर गया है। हालांकि केरल को 2015-16 में 530 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, लेकिन वित्तीय वर्ष के मध्य तक केवल 170 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। एक लॉबी इस प्रयास में लगी हुई है कि केरल में विकास के लिए आवंटित धन को रोका जाए, क्योंकि उपयोग न किए गए फंड अंततः अन्य राज्यों को चला जाता है। महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

इसलिए, महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से इस पहल को रोकने का अनुरोध कर रहा हूं। हमें कोचीन में ही मुख्य अभियंता कार्यालय को बनाए रखना चाहिए। अन्यथा, इससे केरल में समस्याएँ पैदा होंगी और पूरे रेलवे विकास कार्य में संकट आ जाएगा। इसलिए, हम मंत्री से अनुरोध करते हैं कि इस पहल को रोक दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी. करुणाकरण, डॉ. ए. संपत, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन और श्री एम.आई. शानवास को श्री के. सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है। [

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा एवं चित्रकूट से गुजरने वाली झांसी-मानिकपुर रेल लाइन का दोहरीकरण न होने से आम लोगों व यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन इस व्यस्त रूट पर घंटों ट्रेनें लेट होती हैं। यह सबसे पुरानी रेल लाइनों में से एक है। इस हेतु पूर्व में भी कई बार माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अस्तु, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी व सरकार से अनुरोध है कि झांसी-मानिकपुर रेल खण्ड व बांदा-कानपुर रेल खण्ड की लाइनों का दोहरीकरण व विद्युतीकरण यथाशीघ्र कराकर इस गंभीर समस्या का समाधान कराने की कृपा करें।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, दिनांक 18.8.2015 को शून्यकाल के दौरान घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मुद्दा उठाया गया था। इस संबंध में मुझे सरकार द्वारा अक्टूबर, 2015 में जवाब भी प्राप्त हुआ, जो जनहित की बजाए सरकारी जवाब था, जो पूर्व से एक सरकारी संस्कृति के रूप में प्रचलित है परंतु वर्तमान सरकार एक लोक-कल्याणकारी सरकार के स्वरूप में है, जो कार्य में विश्वास करती है।

उत्तर में बताया गया है कि जब तक यह समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त थे ये औचित्य के आधार पर बाहर किये गये हैं, उन्हें मान्यताप्राप्त किये जाएंगे। इस कार्य हेतु टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। परंतु टास्क फोर्स की रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित नहीं करने के कारण उन्हें न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। आपसे आग्रह है कि झारखंड के घटवार जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, अवलोकन करके शीघ्र न्याय दिलाने का काम करें।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से राजस्थान और हरियाणा के एक अहम विषय को माननीय ऊर्जा मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूँ।

कल तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में उन्होंने मेरा नाम लेकर जवाब दिया कि ढांणियों में बिजली पहुंचाना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष हरियाणा प्रदेश के लिए 316 करोड़ रुपये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए दिये गये हैं। जब कि अकेले इस योजना के तहत हिसार जिले का बजट 192 करोड़ रुपये का है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आपको पूछना नहीं है, अपनी बात रखनी है।

श्री दुष्यंत चौटाला : जो 316 करोड़ रुपये का बजट है, उसमें केवल हिसार के लिए 192 करोड़ रुपये का प्रावधान है ताकि हर घर तक बिजली पहुंचाने की जो सोच सरकार की है, उसे वह पूरा कर पाए।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज भी किसानों के संबंध में पहला प्रश्न किया गया था और यहाँ पर भी बहुत-से माननीय सदस्यों ने किसानों के संबंध में अपनी बात रखी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या के बारे में अभी तक औसत लगाया जाए, कृषि राज्य मंत्री मेरे बगल में बैठे हैं, मैं उनसे आंकड़े ले रहा था, तो पता चला कि अभी तक तीन लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करना ही चाहिए। कृषि को एक उद्योग का दर्जा देना चाहिए और उसके लिए अलग से बजट में प्रावधान करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : कृषि मंत्रालय पर यह लम्बा भाषण हो जाएगा।

श्री नाना पटोले : इस देश में कृषि मंत्रालय का अलग से बजट बनना चाहिए तभी हम देश में किसानों की आत्महत्या को रोक सकेंगे। यही मांग मैं आपके सामने रखता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सर्व श्री भैरों प्रसाद मिश्र, पी.पी. चौधरी, गजेन्द्र सिंह शेखावत तथा कुमारी शोभा कारंदलाजे, कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को श्री नाना पटोले द्वारा उठाये गये विषय से संबंध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): महोदया, मुल्लापेरियार बांध में जलस्तर 141 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया है। दरारें और रिसाव का पता चला है और पानी बह रहा है... (*व्यवधान*) बांध भूकंप क्षेत्र में स्थित है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ हो नहीं रहा है।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री एंटो एंटोनी: अगर कुछ भी बुरा हुआ तो इसका असर 35 लाख लोगों की जिंदगियों पर पड़ेगा।

हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पानी तमिलनाडु के लिए है और सुरक्षा केरल के लिए है। इसलिए, नए बांध की आवश्यकता है। राज्य सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ... (*व्यवधान*) हम तमिलनाडु की मांगों को बहुत सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। ... (*व्यवधान*) हम तमिलनाडु को पानी देने के लिए तैयार हैं... (*व्यवधान*) हमें केवल सुरक्षा की आवश्यकता है। यह हमारे राज्य में 35 लाख लोगों के

जीवन को प्रभावित करेगा।... (*व्यवधान*) यही हमारी मांग है। महोदया, हमें इस संबंध में आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है। धन्यवाद। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह ठीक है। उन्होंने केवल इसकी मांग की है। कुछ किया नहीं गया है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 2:15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराहन दो बजकर पंद्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.45 बजे</u>

लोक सभा अपराहन [#]*दो बजकर पैंतालीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।*

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

… (*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, यह इस सरकार की लापरवाही के कारण ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप भाषण के दौरान इसका उल्लेख कर सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आज विधेयक को पारित करने जा रही है। हमारे पास केवल 30 मिनट बचे हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: हम देखेंगे। अपराह्न 3.30 बजे हम देखेंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा): मुझे नहीं लगता कि इस विधेयक में बहुत कुछ है। … (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल : कृपया गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को बाधित न करें।

[#] अपराह्न 2.15 बजे गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 2.19 बजे गणपूर्ति के लिए पुनः घंटी बजाई गई लेकिन गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 2.25 बजे गणपूर्ति के लिए पुनः घंटी बजाई गई लेकिन फिर भी गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात् अपर सचिव ने उपस्थित सदस्यों को इस प्रकार सूचित कियाः

> "कोई गणपूर्ति नहीं है। अतः, सभा की बैठक नहीं हो सकती है; और जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती, तब तक हम सभा की शुरुआत नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि सभा अपराह्न दो बजकर पैंतालीस मिनट पर पुनः समवेत होगी। "

माननीय उपाध्यक्ष: जी हाँ, अपराह्न 3.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लिया जाएगा। इसमें व्यवधान नहीं होगा।

अपराह्न 2.46 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015 जारी ..

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015 प्रस्ताव पेश किया था और अनुरोध किया था कि इस पर विचार करें।

हम इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि इस सरकार ने त्रुटियों को दूर करने और अप्रचलित प्रावधानों को हटाने के उद्देश्य से कानून में अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने और पेटेंट की त्रुटियों, अनावश्यक प्रावधानों आदि की पहचान करने के लिए कई पहल की हैं।

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 1954, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के क्रमशः वेतन, भत्ते, पेंशन आदि को नियंत्रित करते हैं। समय बीतने के साथ इस अधिनियम के कतिपय उपबंध अनावश्यक और अद्यतन हो गए हैं। इसलिए, हमारी सरकार द्वारा इन अधिनियमों की समीक्षा की गई है। इन दोनों अधिनियमों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो उस समय से संबंधित हैं जब भारतीय सिविल सेवा (आई.सी.एस.) के अधिकारियों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था। कुछ अन्य प्रावधान हैं जो पूर्व भारतीय उच्च न्यायालयों या न्यायाधीशों से संबंधित हैं जो छुट्टी से लौटने पर समय पर जुड़ने के लिए भत्ते प्राप्त करने के हकदार थे। ये प्रावधान अनावश्यक हो गए हैं क्योंकि वर्तमान में, कोई न्यायधीश नहीं है या पूर्व उच्च न्यायालयों से कोई न्यायाधीश नहीं है या विदेशों से कोई न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीशों के अवकाश भत्तों के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों को भी सरल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए, हमने ये समीक्षाएं कीं और इस विधेयक को लेकर संसद के सामने आए हैं।

इसी समय, उच्चतम न्यायालय ने एक न्यायाधीश रामकृष्णम राजू द्वारा दायर रिट याचिका पर दिनांक 31.3.2014 को अपने निर्णय में यह निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों की सेवा में दस वर्षों का समय जो बार से नियुक्त किए गए हैं, उनके पेंशन की गणना के लिए जोड़ा जाए। आप पूरी तरह से जानते हैं कि बार से न्यायाधीशों को लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु में उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया जाएगा। स्वचालित रूप से, क्या होता है कि पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 14 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है। उन न्यायाधीशों के लिए यह संभव नहीं हो सकता है क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक अपना कार्यालय स्थापित करते थे और वे कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता या ऐसा कुछ बन गए हैं। यदि 62 वर्ष की आयु में, वह सेवानिवृत्त होता है और पूर्ण पेंशन लाभ नहीं मिलता है, तो यह स्वतः भेदभाव होगा। इस कारण से, निर्णय में यह भी कहा गया कि पेंशन की गणना के लिए उनकी सेवा के दस साल जोड़े जाने चाहिए। इससे पहले, वर्ष 2005 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए इसी तरह का प्रावधान किया गया था। दिनांक 1.4.2004 से उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1954 के अधिनियम में संशोधन करना होगा। व्यावहारिक रूप से, हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक कार्यालय के संबंध में एक रैंक एक पेंशन का मानदंड होना चाहिए। न्यायालय द्वारा यह भी देखा जाता है कि जब संवैधानिक पद धारक व्यक्ति अपनी पेंशन के निर्धारण में भेदभाव करते हुए सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं, तो वे उस स्रोत के आधार पर होते हैं जिससे उनकी नियुक्ति की जाती है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन है। वित्तीय निहितार्थ बहुत कम है। यह पेंशन के बकाया के लिए लगभग 6 से 7 करोड़ रुपये है और प्रति वर्ष लगभग 75 करोड़ रुपये का आवर्ती निहितार्थ है।

इन अधिनियमों में कुछ उपबंधों को हटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जो अनावश्यक हो गए हैं और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम 1954 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इससे इन दोनों अधिनियमों के प्रावधानों में स्पष्टता आएगी और

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भी पालन होगा। इसलिए, इस विधेयक को संसद के समक्ष विचार के लिए रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री एस. पी. मुद्दाहनुमेगौड़ा (तुमकुर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए, धन्यवाद।

महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि संसद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर रही है। इसलिए, सत्ताधारी सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। हमने गणपूर्ति के अभाव में लगभग 30 मिनट का समय बर्बाद किया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और न्यायाधीशों को यह भी देखना चाहिए कि संसद सदस्य उनकी समस्याओं के प्रति किस तरह की रुचि दिखा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: आपने गणपूर्ति की कमी को इंगित किया, जो सही है। लेकिन शायद उनका ये सोचना हो कि यहाँ पर बोलने का अधिकार आपके पास नहीं है।

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा: महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 221 और 225 के तहत, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के वेतन और अन्य भत्ते संसद द्वारा निपटाए जाने हैं। मैं शुरुआत में यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करती है।

जैसा कि माननीय विधि मंत्री ने ठीक ही कहा है, इस अधिनियम की आवश्यकता माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका 521/2002 में दिए गए फैसले के कारण उत्पन्न हुई, जो 31-32014 को दिया गया था। उस रिट याचिका को कुछ पीड़ित न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर किया गया था जो सेवानिवृत्त हो चुके थे। उस फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की, "इसका कोई वैध कारण नहीं है कि क्यों बार का अनुभव उसी उद्देश्य के लिए समान रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता।"। उन्होंने यह पाया कि उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की पेंशन में असमानता है, जो सीधे बार से बेंच पर नियुक्त किए जाते हैं और जो न्यायिक सेवा से पदोन्नत होकर न्यायधीश बनते हैं।

वास्तव में, माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसा कहना सही है। हम देख रहे हैं कि 20 वर्ष से अधिक की सेवा करने वाले अधिवक्ता को 55 या 56 वर्ष की आयु में सीधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। मैं कुछ मामलों को जानता हूं जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 59 या 60 वर्ष की आयु में नियुक्त किया गया था। उन्होंने केवल दो या तीन साल की सेवा की। हमारे पास कर्नाटक उच्च न्यायालय में कुछ उदाहरण हैं। … (*व्यवधान*) और कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी।

साथ ही, यह देखना बहुत दुर्लभ है कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त एक न्यायिक अधिकारी को उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है जिसने 25 से 30 वर्ष से अधिक की सेवा की है। यह भी उसमें शामिल है। इसलिए, बिल्कुल सही है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें कुछ विसंगति है, और यह संसद का कर्तव्य है कि वह इस विसंगति को सुधारें। तदनुसार, यह सरकार इस विधेयक को लेकर संसद के समक्ष आई है और हमें इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए क्योंकि इसमें एक विसंगति है।

कुछ लोगों के बीच यह धारणा है कि न्यायधीशों को कम वेतन दिया जा रहा है। अगर मेरी जानकारी गलत है तो इसे ठीक किया जाए, मेरी जानकारी के अनुसार, पिछले 65 वर्षों में केवल तीन बार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों का वेतन बढ़ाया गया है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 80,000 रुपये है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल 90,000 रुपये

मिलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन केवल 90,000 रुपये है और भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन केवल 1,00,000 रुपये है।

हमें यह भी देखना चाहिए कि न्यायिक अधिकारी कैसे रह रहे हैं। इस देश की ज़िम्मेदारी है कि जो न्यायाधीश वहां बैठे हैं और न्याय दे रहे हैं, वे भी इस अल्प वेतन के साथ सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें। मुझे लगता है कि अगर मैं कहूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन दिया गया है, वह बहुत कम है, तो यह उचित होगा। यही कारण है कि सरकार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि वे सम्मानजनक जीवन जीयें। यह सरकार को तय करना है। इसका सीधा असर उनकी मिलने वाली पेंशन पर पड़ने लगा है। जब कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दो या तीन साल के बाद सेवानिवृत्त होता है और यदि कुछ प्रतिबंध हैं कि वह एक ही अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, तो पेंशन की नियतन का कुछ प्रभाव पड़ा है और यह वेतन पर निर्भर करता है जो उसे मिलता है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1,071 के स्वीकृत पदों के मुकाबले लगभग 371 रिक्तियां हैं। यह एक पहलू है। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे सक्षम, ईमानदार और समर्पित वकीलों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं जिनके पास उच्च न्यायालयों में लाभकारी कार्य होते हैं, जो इस कम वेतन पर अधिवक्ता बनने के लिए आगे आएं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में इतने सारे रिक्त पदों का होना एक प्रमुख कारण है। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें जो वेतन मिल रहा है, वह इन अधिवक्ताओं द्वारा न्यायाधीशता स्वीकार न करने का एकमात्र कारण है, लेकिन यह प्रमुख कारकों में से एक है। जब तक आप उन्हें कुछ अच्छे वेतन या कुछ लाभों के साथ आकर्षित नहीं करते, तब तक आप कुशल अधिवक्ताओं की उम्मीद नहीं कर सकते जो ईमानदार भी हैं और जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अखंडता बनाए रखते हैं। इसलिए यह सही समय है।

मैंने न्यायाधीशों का जीवन देखा है। वास्तव में, वे कभी-कभी धन की कमी के कारण कष्ट भोगते हैं। माननीय विधि मंत्री स्वयं एक अधिवक्ता हैं। वे न्यायाधीशों और अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की समस्याओं को जानते होंगे। यही समस्याएँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी हैं। मैंने देखा है कि कभी-कभी अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी अपने वेतन से एक सूट भी नहीं सिलवा पाते। बेशक अब संबंधित राज्य सरकारें अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के वेतन में भी कुछ हद तक वृद्धि कर रही हैं। लेकिन पिछले 65 वर्षों से केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि हुई है। यह सही समय है जब राज्य सरकारें और भारत सरकार ने क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 221 और 125 के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने के बारे में सोचा।

हमें न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि पर कोई आपत्ति नहीं है। हमें उन्हें और अधिक भत्ते और अन्य लाभ देने चाहिए। हमें उन्हें अधिक आरामदायक जीवन जीने का अवसर देना चाहिए। इस विसंगति को भी ठीक करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन सभी मुद्दों के साथ-साथ, विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की बड़ी संख्या भी एक गंभीर समस्या बन गई है।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं माननीय विधि मंत्री से न्यायिक जवाबदेही विधेयक लाने लाने पर विचार करें। महोदय, इस देश के लोग उम्मीद करते हैं कि सांसद और विधायक उनके प्रति जवाबदेह होंगे। इसी प्रकार, नागरिकों का यह अधिकार है कि वे यह भी चाहते हैं कि न्यायाधीश भी उनके प्रति जवाबदेह हों। यह एक गंभीर विषय है, इसलिए आपको न्यायिक जवाबदेही बिल लाने पर विचार करना चाहिए।

माननीय विधि मंत्री कर्नाटक से हैं और वे बेंगलुरु शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें उन पर गर्व है। इसी तरह, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, जो कल ही सेवानिवृत्त हुए, भी कर्नाटक से थे। वे कर्नाटक में न्यायाधीश थे और बेंगलुरु में भी प्रैक्टिस कर रहे थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने कल सत्ता संभाली,

ने 10 से अधिक वर्षों तक कर्नाटक उच्च न्यायालय की सेवा की। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भी बेंगलुरु में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। मैं यह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेंगलुरु दक्षिण भारत का केंद्रीय स्थान है।

महोदय, मेरा केंद्र सरकार और विशेष रूप से माननीय विधि मंत्री से अनुरोध है कि यह देखने का सही समय है कि बेंगलुरु में उच्चतम न्यायालय की एक सर्किट बेंच स्थापित की जाए। इन शब्दों के साथ, मैं दिए गए अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी पूरी तरह से इस विधेयक का समर्थन करती है जो न केवल विसंगति को दूर करने का प्रयास करता है बल्कि अन्य सुविधाएं और भत्ते भी देता है, जिनके वे संविधान के अनुच्छेद 125 और 221 के तहत हकदार हैं। धन्यवाद।

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करता हूँ। [हिन्दी] जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यह बिल लाया गया है, उसके साथ-साथ सरकार का यह धर्म है, यह कर्तव्य है कि सामान्य आदमी को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके और इंसाफ तभी मिलेगा जब हमारे हाई कोर्टों के अंदर 395 वैकेन्सिज हैं, वे वैकेन्सिज भरी जायें। आज हाई कोर्ट के अच्छे एडवोकेट्स हाई कोर्ट का जज क्यों नहीं बनना चाहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह बताया गया है कि जितना पैसा एक अच्छा एडवोकेट कमाते हैं। लोग कहते हैं कि [अनुवाद] श्रेणी 'ए' अधिवक्ता कभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बनना चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि श्रेणी 'बी' के वकील खराब हैं, लेकिन वे आम तौर पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बन जाते हैं। अच्छे अधिवक्ताओं को कैसे आकर्षित किया जाए, यह सरकार के सामने मूल प्रश्न है।

[हिन्दी]

मूल मुद्दा यह है कि सामान्य आदमी को न्याय कैसे मिले? हमारे यहां जिस प्रकार से कोर्टों की कमी है, उसी प्रकार से जजों की भी कमी है। इंग्लैंड के अंदर लोग कहते हैं कि [अनुवाद] एक मिलियन जनसंख्या के लिए 51 न्यायाधीश उपलब्ध हैं; ऑस्ट्रेलिया में, 58 न्यायाधीश हैं, कनाडा में 75 न्यायाधीश हैं और अमेरिका में 103 न्यायाधीशों की संख्या है जबकि भारत में औसत न्यायाधीशों की संख्या 10.5 प्रति 10 लाख जनसंख्या है। इसलिए, सरकार को आम आदमी को न्याय देने के लिए उच्च न्यायालयों और निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए।

[हिन्दी]

सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दुस्तान के अंदर या सारी दुनिया के अंदर जब तक समाज सुरक्षित नहीं है, तब तक न्याय नहीं है। हम लोग कहते हैं कि न्याय तब होता है जब कानून की दृष्टि में सभी लोगों को बराबर माना जाये और उन्हें एक तराजू में तौला जाये, हमारा संविधान भी यह कहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा ग्राउंड पर दिखाई नहीं देता है। एक गरीब आदमी जहां पुलिस की वर्दी से डरता है वहां काले कोटों से भी

डरता है, उससे भी घबराता है। किसे, कैसे ठीक किया जाए कि गरीब आदमी को न्याय मिले। कई वर्षों पहले इंडिया में चीफ जस्टिसेज़ की कौन्फ्रेंस हुई। उस समय के हमारे राष्ट्रपति - [अनुवाद] मैं उनका नाम अवश्य लेना चाहता हूं - मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में उल्लेख किया गया है कि भारत में अदालतें एक गिरजाघर नहीं हैं, बल्कि वे कैसीनो हैं और यहां न्याय इस पर निर्भर करता है कि आप पासा कैसे फेंकते हैं। न्यायाधीश यहां न्याय करने के लिए नहीं हैं बल्कि रिकॉर्ड पर सबूतों के अनुसार मामलों का निर्णय करने के लिए हैं। [हिन्दी] गरीब आदमी को कोर्ट में सुनवाई के लिए वर्षों लग जाते हैं, लेकिन पैसे वाले आदमी के लिए हमारे कोर्ट, केवल नीचे के कोर्ट की बात नहीं है, हाई कोर्ट की नहीं है, यह दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट याकूब मेमन, एक आतंकवादी के लिए रात के ढाई बजे खुल जाता है लेकिन गरीब आदमी के लिए नहीं खुलता है। हमें इन बातों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि गरीब आदमी को न्याय कैसे मिले।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि जिन राज्यों में हाई कोर्ट की ज्यादा बैंचेज होनी चाहिए, वहां बैंचेज बहुत कम हैं। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जहां 11 करोड़ पौपुलेशन है, वहां 3 प्लस 1, 3 बैंचेज महाराष्ट्र में हैं, 1 बैंच गोवा में है। उसके मुकाबले यूपी जिसकी पौपुलेशन 22 करोड़ है, वहां केवल मात्र सवा बैंचेज हैं। एक मुख्य बैंच इलाहाबाद में है। 62.5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक इलाहाबाद की बैंच है और 12.5 के लिए लखनऊ की बैंच है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों की संख्या निधाररित है। उसे सरकार 200 करने वाली है। इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में केवल मात्र 74 हाई कोर्ट जज काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा वेकैंसीज़ हैं। ये जज कहां से लाए जाएं। अभी पीछे वहां से 19 जजों का सलैक्शन किया गया। कैसे सलैक्शन हुआ। 6 जज लखनऊ बैंच से आए जहां केवल साढ़े बारह जिले हैं और 13 जज इलाहाबाद से आए हैं जहां 62.5 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि यूपी में जहां 22 करोड़ की जनसंख्या है, वहां हाई कोर्ट की कम से कम 4 नई बैंचेज खोली जाएं। मैंने इस बात को पिछली बार भी निवेदन किया था कि अगर एक हाई कोर्ट बैंच 12 जिलों के ऊपर चल सकती है तो 12 जिलों में क्यों 4 बैंचों की यूपी में शुरुआत नहीं करते। आज अच्छे जज नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अच्छे जज मिलेंगे जो हाई कोर्ट

में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट की बैंचेज नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरठ, आगरा, गोरखपुर, बनारस और बुंदेलखंड में कम से कम 4 बैंच किए जाएं। मैं आदरणीय लॉ मिनिस्टर से रिक्वैस्ट करता हूं कि सबसे पहला यूपी में मेरठ में बैंच खोला जाए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा केसेज अगर पैंडिंग हैं तो वे मेरठ रीजन के हैं। वैसे भी मेरठ का एक ऐतिहासिक स्थान है। इस देश में 1857 का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मेरठ में शुरू हुआ।

मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे कि जहां उनकी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, उनकी कंडीशन अच्छी करना चाहते हैं, साथ ही ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी बिल लाने की भी इतनी ही जरूरत है। आज इस देश में अगर सबसे ज्यादा आजादी किसी को मिली है, जिसे पूर्ण आजादी कहते हैं, अगर किसी को पूर्ण आजादी मिली है तो ज्युडिशियरी को मिली है। ज्युडिशियरी का नीचे का कोर्ट किसी प्रकार का निर्णय दे, चाहे कितना भी गलत निर्णय दे, उसे क्रिटिसाइज करने का किसी को आधिकार नहीं है। उसके बारे में न कोई लिख सकता है, न कोई बोल सकता है, न हाई कोर्ट का जज उसके बारे में कुछ करता है न सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ करता है। इसलिए जब तक ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी बिल नहीं आएगा तब तक गरीब आदमी को कभी भी ठीक से न्याय नहीं मिल पाएगा। आज पुलिस के पास किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 60-90 दिन की अवधि होती है, ऐसा नहीं करने पर एकुज्ड का बेल आऊट हो जाता है, क्या हम इस प्रकार का उदाहरण अपने कोर्ट के लिए नहीं पेश कर सकते। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टियों को आधे-आधे घंटे का टाइम दिया जाता है, वहां एक घंटे से ज्यादा किसी भी केस में समय नहीं दिया जाता, क्या हम अपने देश में ऐसा नहीं कर सकते जिससे उन्हें समय सीमा के भीतर जजमेंट देना पड़े। इस बिल का उद्देश्य है, कॉमन आदमी को जल्द न्याय मिले, सही न्याय मिले। मैं न्याय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जस्टिस मालीमथ कमेटी की रिपोर्ट जो बहुत सालों से धूल खा रही है उसे तुरंत लागू किया जाए, जिससे गरीबों को न्याय मिल सके। हमारे कौटिल्य ने एक बात लिखी थी कि न्याय व्यवस्था के दो मुख्य उद्देश्य हैं, 'सर्वधर्म कर्म आभिप्तो वर्तते शेषुवशेषु राजनस्यः सर्वभूत हितरेतः' यह कौटिल्य ने कहा है, न्याय व्यवस्था का दो मुख्य उद्देश्य हैं, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन कर सके, समाज में लोक कल्याण को प्रतिष्ठित किया जा सके। जब

हम ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे और जब तक अच्छे लोगों का उसमें सलेक्शन नहीं होगा तब तक कॉमन आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। मैं न्याय मंत्री जी के इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के पास उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर इस विधेयक को लाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा सरकार अदालत की अवमानना के लिए उत्तरदायी होती।

इस विधेयक की आवश्यकता थी। वकीलों के लिए पेंशन के पात्र होने के लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के संबंध में विधेयक का उद्देश्य बहुत जरूरी था। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। पिछले वर्ष हमारे सभा में हमने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति विधेयक के बारे में चर्चा की और लगभग सभी राज्यों ने उपबंधों को स्वीकार किया था तथा उसके अनुसार संविधान संशोधन किया गया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया है। हमें यह स्वीकार करना था। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में इस संसद को संविधान का निर्माण करने का अधिकार है और न्यायपालिका को संवैधानिक वैधता के आधार पर संविधान का परीक्षण करने की शक्ति है। मैं उस पर नहीं हूं। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है।

महोदय, मैं बार से न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर बात कर रहा हूं। मेरे मित्र ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी आदि के बारे में उल्लेख कर रहे थे। इस कॉलेजियम प्रणाली की अभी भी बहुत आलोचना की जाती है। मुझे नहीं पता कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा क्या कानून निर्धारित किया जाएगा, लेकिन सच कहूं तो हम अच्छे अधिवक्ताओं को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली अभी तक सही ढंग से काम नहीं कर रही है।

महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जो पूरी तरह से सत्य है और जिसे मैंने कल ही सुना था। यह मेरे लिए बहुत बड़ा आघात था। हमारे उच्च न्यायालय में एक बहुत अच्छे न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति भास्कर भट्टाचार्य। उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, और वहां उन्होंने बहुत

लोकप्रियता प्राप्त की। जब वे गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्होंने एक अधिवक्ता को न्यायाधीश बनने के लिए प्रेरित किया, जिनकी उस समय उम्र 42 वर्ष थी। वे 1 करोड़ रुपये का आयकर चुका रहे थे और उनकी आय 3 करोड़ रुपये थी। इससे आप समझ सकते हैं कि 42 वर्ष की आयु में उन्होंने इतनी तरक्की कैसे की है।... (*व्यवधान*) महोदय, मैं एक गंभीर मुद्दा उठा रहा हूँ। गुजरात उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता थे, जो 1 करोड़ रुपये का आयकर चुका रहे थे और उनकी आय 3 करोड़ रुपये थी। यह स्वाभाविक रूप से यह संकेत करता है कि वे एक अत्यंत कुशल अधिवक्ता हैं। अन्यथा, ऐसा होना असंभव है। जो लोग इस पेशे में हैं, वे समझ सकते हैं कि 42 वर्ष की आयु में किसी अधिवक्ता के लिए 3 करोड़ रुपये की आय अर्जित करना संभव नहीं है। उनके पिता भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें न्यायाधीश बनने के लिए राजी किया, और उस समय वेतन 80,000 से 90,000 रुपये था। उन्होंने उस वेतन पर सहमति दे दी। फिर तीन दिन बाद क्या हुआ? न्यायमूर्ति भास्कर भट्टाचार्य को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए पदच्युत कर दिया गया। अगले दिन अधिवक्ता ने आकर कहा, "महोदय, मैं यह त्याग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या आप मुझे यह आश्वासन दे सकते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली के कारण भविष्य में मुझे पदच्युत नहीं किया जाएगा?" और उन्होंने यह नहीं माना। यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

कॉलेजियम प्रणाली विफल हो रही है और यह ग्रेड ए या ग्रेड बी का सवाल ही नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली में अगर उन्हें कोई व्यक्ति पसंद है तो वह अच्छा है, और अगर किसी को पसंद नहीं किया जाता, तो वह बुरा माना जाता है। अगर एक अधिवक्ता हर बार कहता है, “हां, महोदय, आप सही हैं,” तो उसे बहुत अच्छा अधिवक्ता माना जाता है, जबकि अगर वह विरोध करता है, तो स्थिति दूसरी होती है। कॉलेजियम प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया है। बहस जारी रहेगी। मैं इस संदर्भ में माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा। मैं अपने एक सहकर्मी से इस पर चर्चा कर रहा था। यदि आवश्यक हो, तो संसद से बाहर इस विषय

पर एक राष्ट्रीय चर्चा का आयोजन किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए।

न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में, मैं अपने मित्र से सहमत हूँ जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से बात की। यह वास्तव में एक छोटी राशि है। इस राशि के लिए कोई अधिवक्ता आगे नहीं आएगा। साथ ही, मैं माननीय विधि मंत्री से न्यायाधीशों के वेतन तय करने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करने का अनुरोध करूंगा। इसे सचिवों और कैबिनेट सचिव के साथ न जोड़ें। वे एक बहुत ही उच्च पद पर हैं। उनकी तुलना तुलना मत कीजिए। सरकार को आयोग गठित करना चाहिए और उन्हें न्यायाधीशों के वेतन निर्धारण का कार्य सौंपना चाहिए।

जहां तक अवसंरचना की बात है, उत्तर प्रदेश में मेरे एक मित्र हैं। मुझे पता चला है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 168 स्वीकृत पद हैं और मुझे बताया गया है कि 50 प्रतिशत पद भरे हुए हैं और 50 प्रतिशत पद खाली हैं। देशभर में कई पद खाली हैं। इन खाली पदों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए, चाहे वह हर जिले में हो या हर राज्य में।

बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा। त्वरित न्याय कोई नारा या संवाद नहीं है। त्वरित न्याय का अर्थ है कि न्याय दिया जाना चाहिए।

मेरे मित्र, जिन्होंने अभी बात की, उन्होंने समय सीमा निर्धारित करने की बात की। यदि आप संसद के सदस्यों के लिए समय सीमा तय करते हैं, तो कोई भी सदस्य निर्धारित समय के भीतर अपनी पूरी बात नहीं रख सकता। फिर एक अदालत में एक मामले को समय सीमा के भीतर कैसे निपटाया जा सकता है?

मामलों में जटिलताएं हैं। इसलिए, मामलों पर बहस करने के उद्देश्य से समय को सीमित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करना असंभव है।

वर्ष 1960 के दशक में हमारे कोलकाता उच्च न्यायालय में, एक महान मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम फनी भूषण चक्रवर्ती था। जब वे मुख्य न्यायाधीश सेवा से सेवानिवृत्त हो गए, तो सात दिन के भीतर

उनके पास एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव एक राज्य का राज्यपाल होना था। उस समय उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से क्या कहा? उन्होंने कहा, 'किसी भी न्यायाधीश को यह अवसर न दें'। यदि आप न्यायाधीशों के सामने इस तरह के प्रस्ताव रखते हैं, तो इस देश में न्यायाधीश यह सोचने लगेंगे कि अगर वे सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में कोई फ़ैसला सुनाते हैं, तो किसी राज्य में उनकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में हो सकती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को एक राज्य में राज्यपाल पद की पेशकश की गई है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। यदि आवश्यक हुआ तो मैं माननीय विधि मंत्री से न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन में वृद्धि करने का अनुरोध करूंगा। लेकिन एक कानून बना दीजिए कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जजों को किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों पर भी लागू होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कोई एहसान नहीं दिखाना चाहिए। अन्यथा, उनकी सेवानिवृत्ति से पहले क्या होगा - उनकी सेवानिवृत्ति से पहले छह महीने या एक साल या दो साल की अवधि बहुत महत्वपूर्ण है - यदि उन्हें पता है कि यदि वे आदेश देकर सरकार का पक्ष ले सकते हैं, तो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कुछ नियुक्ति के साथ भी उनका पक्ष लिया जाएगा, तो वे ऐसा करेंगे। मेरा मानना है कि न्यायपालिका उन स्तंभों में से एक है जिसने हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत किया है।

कल मैं अपने एक मित्र से कह रहा था कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि यदि न्यायपालिका को समुचित रूप से काम करने दिया जाए तो भारत दुनिया में नंबर एक पर होगा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, मैं श्री उपसभापति महोदय, आपको केवल यह बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कानून बन जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद इस देश में किसी भी पद पर कोई न्यायाधीश, कोई आई.ए.एस. अधिकारी, कोई आई.पी.एस. अधिकारी, को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से, भारत दुनिया में नंबर एक होगा। यह जरूर दुनिया में नंबर एक बनेगा।

आप यह नियुक्ति तीन साल और पांच साल से क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ तीन साल के लिए 58 या 59 साल के वकीलों को क्यों ला रहे हैं? यह एक प्रकार का समायोजन है। मैं उदाहरण देकर आज

न्यायपालिका को अपमानित नहीं करना चाहता, जो देश की न्यायपालिका को पूरी तरह से शर्मिंदा कर देगा।। मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। जो अधिवक्ता 58 वर्ष या 59 वर्ष के हैं, वे क्या करेंगे यदि उन्हें सिर्फ दो साल या तीन साल के लिए न्यायाधीश बनाया जाता है? वे कुछ नहीं करेंगे। कोई प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन इस संशोधन की वजह से उनकी दस वर्ष की सेवा जोड़ी जाएगी और तदनुसार उन्हें पेंशन लाभ दिया जाएगा। यदि उन्हें कुल मिलाकर नियुक्त करने की आवश्यकता है, तो उन्हें कम से कम 45 वर्ष की आयु में नियुक्त करें। यदि वे वास्तव में पात्र हैं, योग्य हैं, और यदि आपको लगता है कि उन्हें न्यायाधीश बनाने की आवश्यकता है, तो उन्हें 45 या 50 वर्ष की आयु में नियुक्त करें, लेकिन 60 वर्ष की आयु में, केवल दो वर्षों के बाद उन्हें पेंशन देने के उद्देश्य से क्यों? यह सिर्फ एक व्यक्ति का पक्ष लेने के लिए है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इसे बंद करना चाहिए।

सर्किट बेंच के संबंध में, मैं अपने मित्र द्वारा कहे गए विचारों से सहमत हूं। दरअसल, इस भाषण की शुरुआत से पहले, मैं माननीय विधि मंत्री के पास गया था और उनसे सर्किट बेंच शुरू करने के लिए संवैधानिक संशोधन लाने का अनुरोध किया था। मुझे नहीं पता कि आपको दिल्ली का कोई अनुभव है या नहीं। देखिए कि दिल्ली में उच्चतम न्यायालय में क्या हो रहा है। दिल्ली के वकीलों का उच्चतम न्यायालय में बहुत अधिक एकाधिकार है। फीस 5 लाख रुपये या 6 लाख रुपये या 8 लाख रुपये या 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये या 25 लाख रुपये से शुरू होती है। इस एकाधिकार की जाँच होनी चाहिए। यदि सर्किट बेंच पूरे भारत में है, तो मुझे यकीन है कि कोई भी अधिवक्ता, लोगों से इस राशि की फीस मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से संवैधानिक संशोधन करने का अनुरोध करूंगा। मैं जानता हूँ कि आप स्वयं दिल्ली के वकीलों के भारी विरोध का सामना कर रहे होंगे क्योंकि दिल्ली के अधिवक्ता यह कहते हुए इसका सबसे पहले विरोध करेंगे कि कोई सर्किट बेंच नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट यहीं है, तो वे सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। डोर-स्टेप न्याय सिर्फ किताबों में रहने के लिए एक शब्द नहीं है। अगर घर-घर न्याय देना है, तो उच्चतम न्यायालय की सर्किट बेंच इस देश के सभी क्षेत्रों में होनी चाहिए। इसे वहां होना ही होगा। इसे दिया जाना चाहिए।

महोदय, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक को पारित हुए आठ महीने बीत चुके हैं। बहुत सारी रिक्तियां हो गई हैं। वास्तव में, हर उच्च न्यायालय में 50 प्रतिशत काम प्रभावित हुआ है क्योंकि वहाँ खाली पद हैं। मैं भारत के वर्तमान माननीय मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधीशों के पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध करूंगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन शुरू में संविधान की अनुसूची-दो में निर्धारित किया गया था और केवल एक संवैधानिक संशोधन द्वारा बदला जा सकता था। वर्ष 1986 से, संविधान के 54वें संशोधन के बाद से, वे संसदीय कानून, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 द्वारा शासित होते हैं।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 का उद्देश्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में में और संशोधन करना है।

उपरोक्त अधिनियम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवाओं की शर्तों को विनियमित करते हैं। समय के साथ, इन अधिनियमों में से कुछ प्रावधान अप्रचलित और अप्रभावी हो गए हैं। इन अधिनियमों में यह प्रस्तावित संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में न्यायाधीशों के अवकाश भत्तों के निर्धारण से संबंधित कुछ प्रावधानों को सुधारता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर, एक रिट याचिका में, जो देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायधीशों और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायधीशों के संघ द्वारा दायर की गई थी, इसमें यह प्रार्थना की गई थी कि बार से न्यायधीश बने न्यायधीशों के पेंशन की गणना में उनके उच्च न्यायालय में न्यायधीश के रूप में किए गए सेवा काल में दस वर्षों का अनुभव जोड़ा जाए, ताकि यह उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की सेवा में दस वर्षों की वृद्धि के समान हो सके। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जबकि भाग-I और भाग-III के न्यायधीश समान पदों पर कार्यरत हैं, वे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले में

समान स्थिति में नहीं हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। इसलिए "वन रैंक, वन पेंशन" को संवैधानिक कार्यालयों के लिए एक मानक बनना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने यह उल्लेख किया कि वकील के रूप में अभ्यास किए गए वर्षों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसे उच्च न्यायालय के न्यायधीश के रूप में सेवा में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि 1954 के उच्च न्यायालय न्यायधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-I के तहत अधिकतम पेंशन की गणना की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ तक प्रथम अनुसूची के भाग-III का सवाल है, जो राज्य न्यायिक सेवा से पदोन्नत न्यायधीशों से संबंधित है, लगभग सभी न्यायधीशों को पूरी पेंशन मिलती है, भले ही उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायधीश के रूप में दो या तीन वर्ष ही काम किया हो, और उनकी पूरी सेवा को पेंशन की गणना के लिए उच्च न्यायालय के न्यायधीश के रूप में उनकी सेवा में जोड़ा जाता है। इसी कारण, अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद बार से चयनित न्यायधीशों से अधिक पेंशन प्राप्त करते हैं।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, यदि किसी न्यायिक अधिकारी की सेवा को पेंशन निर्धारित करने के लिए शामिल किया जाता है, तो ऐसा "कोई उचित कारण" नहीं है कि क्यों बार में उनका अनुभव उसी उद्देश्य के लिए समान रूप से नहीं माना जा सकता।

माननीय उपाध्यक्ष: आप अगली बार भी जारी रख सकते हैं। हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य शुरू कर रहे हैं।

<u>अपराह्न 3.30 बजे</u>

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 14वें और 15वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : अब, हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य लेंगे।

अब, हम मद सं.10 को लेंगे।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट): आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा 12 अगस्त और 2 दिसंबर, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के क्रमशः 14वें और 15वें प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 12 अगस्त और 2 दिसंबर, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के क्रमशः 14वें और 15वें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं.11, 12 और 13- श्री कलिकेश नारायण सिंह देव- उपस्थित नहीं।

<u>अपराह्न 3.31 बजे</u>

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) भारत का उच्चतम न्यायालय (जबलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015††

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के उच्चतम न्यायालय की जबलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> " कि भारत के उच्चतम न्यायालय की जबलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

---

†† भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड -2 दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं.15 - श्री चंद्रकांत खैरे - उपस्थित नहीं।

मद सं.16 - श्री प्रेम दास राई- उपस्थित नहीं।

<u>**अपराह्न 3.31 ½ बजे**</u>

(दो) तेलंगाना राज्य (विशेष श्रेणी का दर्जा और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2015*

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि तेलंगाना राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने, इस राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के कल्याण के संवर्धन, पिछड़े जिलों के विकास तथा इसके संसाधनों के दोहन और उचित उपयोग के प्रयोजनों के लिए तेलंगाना राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि तेलंगाना राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा देने, इस राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के कल्याण के संवर्धन, पिछड़े जिलों के विकास तथा इसके संसाधनों के दोहन और उचित उपयोग के प्रयोजनों के लिए तेलंगाना राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी. विनोद कुमार : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं. 18 और 19 - श्री योगी आदित्यनाथ - उपस्थित नहीं।

मद सं. 20, 21, 22 और 23 - श्रीमती सुप्रिया सुले - उपस्थित नहीं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

<u>अपराह्न 3.32 बजे</u>

(तीन) अविवाहित जनजातीय महिलाएं (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2015*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडाकरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यौन शोषण से सुरक्षा और अविवाहित जनजातीय महिलाओं के कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि अविवाहित जनजातीय महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

<u>अपराह्न 3.32 ½ बजे</u>

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015* ***(अनुच्छेद 58 का संशोधन, आदि)***

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

<u>अपराह्न 3.33 बजे</u>

(पाँच) **संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015***

(अनुच्छेद 275क और 371ट का संशोधन)

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

<u>अपराह्न 3.34 बजे</u>

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015*

(नए अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> “कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

अपराह्न 3.34 1⁄2 बजे

(सात) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2015*
(नई धारा 17क का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री फिरोज़ वरुण गांधी (सुल्तानपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वायु (निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री फिरोज़ वरुण गांधी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.35 बजे

(आठ) आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015*
(धारा 4 का संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

श्री फिरोज़ वरुण गांधी (सुल्तानपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड -2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री फिरोज़ वरुण गांधी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

अपराह्न 3.35½ बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015*

(अनुच्छेद 340 के लिए नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड -2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजीव सातव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 31 - श्री ओम प्रकाश यादव - उपस्थित नहीं
मद सं 32 - श्री ओम प्रकाश यादव - उपस्थित नहीं
मद सं 33 - श्री ए. टी. नाना पाटील - उपस्थित नहीं

<u>अपराह्न 3.36 बजे</u>

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 की छठी अनुसूची*

(छठी अनुसूची का संशोधन)

श्री विंसेंट एच. पाला (शिलौंग): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जिला परिषद् और जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों के गठन में इसके उपयोजन में भारत के संविधान की छठी अनुसूची का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि जिला परिषद् और जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों के गठन में इसके उपयोजन में भारत के संविधान की छठी अनुसूची का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विंसेंट एच. पाला: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

<u>अपराह्न 3.36 ½ बजे</u>

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015*

(सातवीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

<u>अपराह्न 3.37 बजे</u>

(बारह) केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी (अनिवार्य राष्ट्रीय विपद अनुक्रिया प्रशिक्षण) विधेयक, 2015

[अनुवाद]

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड -2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड -2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के समर्थ शरीर वाले सभी राजपत्रित अधिकारियों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय विपद अनुक्रिया प्रशिक्षण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि केन्द्रीय सरकार के सभी योग्य राजपत्रित अधिकारियों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय विपद अनुक्रिया प्रशिक्षण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित[**] करता हूँ।

अपराह्न 3.37 ½ बजे

(तेरह) नस्लीय भेदभाव संरक्षण विधेयक, 2015[*]

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडाकरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नस्ल, नृजातीयता वर्ग, पूर्वज अथवा मूल के आधार पर नस्लीय भेदभाव का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

---

[*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड -2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

[**] राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

"कि नस्ल, नृजातीयता वर्ग, पूर्वज अथवा मूल के आधार पर नस्लीय भेदभाव का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

<u>अपराह्न 3.38 बजे</u>

(चौदह) साक्षी (पहचान का संरक्षण) विधेयक, 2015 *

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गंभीर अपराधों सहित आपराधिक मामलों में धमकाए गए साक्षियों की पहचान का संरक्षण, ऐसे संरक्षण की प्रक्रिया और प्रणाली तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"गंभीर अपराधों सहित आपराधिक मामलों में धमकाए गए साक्षियों की पहचान का संरक्षण, ऐसे संरक्षण की प्रक्रिया और प्रणाली तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-2, अनुभाग-2 दिनांक 4.12.2015

<u>अपराह्न 3.38 ½ बजे</u>

(पंद्रह) राष्ट्रीय सड़क परिवहन सुरक्षा और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015*

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि असुरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं सहित सभी वर्गों के सड़क प्रयोक्ताओं हेतु संरक्षात्मक ढांचा स्थापित कर बड़ी संख्या में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और उनके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों और क्षति में पर्याप्त कमी लाने, सड़क प्रयोक्ताओं, वाहन स्वामियों और वाहन के निर्माताओं की जवाबदेही तय करने और उनके लिए न्यूनतम सुरक्षा मानक स्थापित करने, प्रवर्तन में वृद्धि करने और समग्र सड़क संबंधी अनुशासन में सुधार करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि असुरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं सहित सभी वर्गों के सड़क प्रयोक्ताओं हेतु संरक्षात्मक ढांचा स्थापित कर बड़ी संख्या में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और उनके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों और क्षति में पर्याप्त कमी लाने, सड़क प्रयोक्ताओं, वाहन स्वामियों और वाहन के निर्माताओं की जवाबदेही तय करने और उनके लिए न्यूनतम सुरक्षा मानक स्थापित करने, प्रवर्तन में वृद्धि करने और समग्र सड़क संबंधी अनुशासन में सुधार करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

<u>अपराह्न 3.39 बजे</u>

(सोलह) कैंसर रोगी (निःशुल्क चिकित्सीय उपचार) विधेयक, 2015*

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कैंसर रोगियों का सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सीय उपचार का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि कैंसर रोगियों का सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सीय उपचार का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

<u>अपराह्न 3.39 ½ बजे</u>

(सत्रह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवास, जल स्वच्छता, सड़कों, विद्यालयों, कौशल विकास से संबंधित कार्यों और महिलाओं, बच्चों और शहरी ग्रामीणों में रहने वाले गरीब

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि आवास, जल स्वच्छता, सड़कों, विद्यालयों, कौशल विकास से संबंधित कार्यों और महिलाओं, बच्चों और शहरी ग्रामीणों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री महेश गिरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 42 - डॉ. शशि थरूर - उपस्थित नहीं। मद सं 43, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल।

<u>अपराह्न 3.40 बजे</u>

(अठारह) गरीब और निराश्रित कृषि कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2015*

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीब और निराश्रितों तथा गांवों में रहने वाले ऐसे अन्य कृषि कर्मकारों के लिए कल्याण उपायों तथा मृत्यु अथवा स्थायी निःशक्तता के मामलों में प्रतिकर के भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सीय सहायता, महिला कर्मकारों के लिए प्रसूति और शिशुकक्ष सुविधाओं के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना और काम की शर्तों के विनयमन तथा उससे संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि गरीब और निराश्रितों तथा गांवों में रहने वाले ऐसे अन्य कृषि कर्मकारों के लिए कल्याण उपायों तथा मृत्यु अथवा स्थायी निःशक्तता के मामलों में प्रतिकर के भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सीय सहायता, महिला कर्मकारों के लिए प्रसूति और शिशुकक्ष सुविधाओं के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना और काम की शर्तों के विनयमन तथा उससे संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

<u>अपराह्न 3.41 बजे</u>

(उन्नीस) विधवा (संरक्षण और भरण-पोषण) विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपेक्षित, परित्यक्त और निराश्रित विधवाओं के संरक्षण और भरण-पोषण के लिए ऐसी विधवाओं हेतु एक कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना करके राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि उपेक्षित, परित्यक्त और निराश्रित विधवाओं के संरक्षण और भरण-पोषण के लिए ऐसी विधवाओं हेतु एक कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना करके राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं. 45, श्री राजू शेट्टी - उपस्थित नहीं।

मद सं. 46, श्री सुशील कुमार सिंह - उपस्थित नहीं।

मद सं. 47, श्री गोपाल शेट्टी - उपस्थित नहीं।

मद सं. 48, श्री गोपाल शेट्टी - उपस्थित नहीं।

मद सं. 49, श्री गोपाल शेट्टी - उपस्थित नहीं।

<u>अपराह्न 3.41 1⁄2 बजे</u>

(बीस) न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक, 2015*

(धारा 3 का संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

<u>अपराह्न 3.42 बजे</u>

(इक्कीस) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015*

(धारा 12 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

<u>अपराह्न 3.42 1⁄2 बजे</u>

(बाईस) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015*
(पैरा 3 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.43 बजे

(तेईस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015*
(अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.43 1⁄2 बजे

(चौबीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015*
(अनुच्छेद 51क का संशोधन)

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

(पच्चीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015□ *

(नए अनुच्छेद 16क और 29क का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

□ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित

*

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.44 1/2 बजे

(छब्बीस) भारत के उच्चतम न्यायालय (अहमदाबाद में एक स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अहमदाबाद में भारत के उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि अहमदाबाद में भारत के उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करती हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 04.12.2015 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.45 बजे

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 ...जारी

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेंगे – मद संख्या 57। श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा 13 मार्च, 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा, अर्थात् :-

> “कि देश में मतदाता द्वार अनिवार्य मतदान तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।“

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सीग्रीवाल जी जिस बिल को लेकर आए हैं, उसके बारे में मैं कुछ बातें सदन और देश के सामने रखना चाहता हूं। 2013 में श्री गोपाल कृष्ण गांधी ने एक लैक्चर देते हुए कहा –

[अनुवाद]

> "जब मैं कहता हूं कि दुनिया भर में भारत को कई कारणों के लिए महत्व दिया जाता है, लेकिन अन्य सभी कारणों की तुलना में तीन कारणों को अधिक महत्व दिया जाता है: ताजमहल; महात्मा गांधी; और भारत का चुनावी लोकतंत्र।"

[हिन्दी]

दूसरी बात यह है कि 1978 में सुप्रीम कोर्ट का एक बढ़िया जजमैन्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमैन्ट देते हुए कहा -

[अनुवाद]

"यह कहना कि संसदीय प्रणाली का दिल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, जो नियमित रूप से आयोजित होते हैं और वयस्क मताधिकार पर आधारित होते हैं, इसमें बहुत अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है, हालांकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को शायद और अधिक की आवश्यकता हो सकती है।"

[हिन्दी]

कम्पलसरी वोटिंग ठीक है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके लिए तरह-तरह के आर्गूमैन्ट्स हैं, कोई पक्ष में बोल सकते हैं और कोई विपक्ष में बोल सकते हैं। सीग्रीवाल जी जिन चीजों को लेकर आए और जो गुजरात में सरकार ने लागू किया। लेकिन इस देश में वह सिचुएशन आई है कि नहीं आई है। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है और वह यह है कि इस डेमोक्रेसी को खतरा किससे है, हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि इसे खतरा किससे है। खतरा यह है कि जो मनी पावर है, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ब्लैक मनी का जो यूज इलैक्टोरल सिस्टम में है, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग सांसद बनकर आते हैं और हम लोग इन चीजों को देखते हैं कि डिमांड बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, पैसे कहां से आयेंगे और इसके लिए जो करप्शन बढ़ रहा है, उसके लिए हम लोग इस सिस्टम को कहीं से प्योरिफाई करने के लिए सोच नहीं पा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि मेरी सबसे पहली जरूरत जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर दिखाई देती है, नहीं तो एक समय ऐसा आयेगा कि यहां जो केवल बड़े लोग हैं, इनफ्लुएंशियल लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वही इस पार्लियामैन्ट, असेम्बली, लोकल बॉडीज को या मुखिया को 3 टीयर जो कांस्टीच्यूशन है या आधिकार है, उसमें वह चलाते हुए नजर आयेंगे, गांव, गरीब, किसान, मजदूर की बात करने वाले महिला की बात करने वाले जो हम लोग हैं, वे कोई भी इस पार्लियामैन्ट के सदस्य नहीं हो पायेंगे। सवाल यह है कि उन चीजों के बारे में हम क्या सोचते हैं।

दूसरा क्रिमिनल एलिमेन्टस का मुद्दा है, यह चर्चा बराबर होती है कि क्रिमिनल एलिमेन्ट्स हैं, कई एनजीओज भी हैं, जो क्रिमिनल एलिमेन्ट्स हैं। अब क्रिमिनल को नहीं आना चाहिए, यह बात सही है। हम लोग इन चीजों को कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि क्रिमिनल किसको बना दिया जाता है। जैसे मैं अपना उदाहरण बार-बार देता हूं कि जब मैं 2009 का चुनाव लड़ने के लिए गया तो मैं बड़े फख्र के साथ बोलता था कि मैं और मेरा पूरा परिवार, चाहे नाना की तरफ से हो चाहे दादा की तरफ से हो, किसी भी परिवार के ऊपर 107 का कोई भी केस नहीं है। मैं आपके सामने ऐसा कैन्डीडेट हूं, कि जिसके

<u>अपराह्न 3.47 बजे</u> (डॉ. रत्ना डे (नाग) *पीठासीन हुई*)

ऊपर न कोई सिविल डिस्प्यूट है और न क्रिमिनल डिस्प्यूट है। लेकिन 2009 में जिस दिन मेरा चुनाव खत्म हुआ, मेरे और मेरी वाइफ के ऊपर 307 का मुकदमा हो गया। मतलब आप यह समझिये कि 14 दिन के अंदर मैं इस देश का एक ड्रेडिड क्रिमिनल हो गया। 353 में जैसे इसी पार्लियामैन्ट ने कानून पास कर दिया कि आप जो कोई धरना, प्रदर्शन, अनशन, ब्लाकेड या अन्य कुछ करेंगे तो 353 का केस आपके ऊपर लग जायेगा। इस पार्लियामैन्ट में यह कैसे पास हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां जो मैक्सिमम मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैन्ट हैं, मैं क्रिमिनल की बात नहीं करता, कोई क्रिमिनल होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैन्ट हैं, उनके ऊपर यही केस है। यदि किसी दूसरे की राज्य सरकार है तो किसी के ऊपर चेन खींचने का केस है, किसी के ऊपर गोली चलाने का केस है, किसी के ऊपर 353 का केस है तो जो क्रिमिनल एलिमैन्ट है, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है या क्रिमिनेलिटी हम किसे मानेंगे और इस पार्लियामैन्ट्री डेमोक्रेसी में क्रिमिनल प्योरिफिकेशन कैसे हो, यह दूसरा सवाल है, जो आज हमारे सामने खड़ा है।

तीसरा सवाल यह है कि इलैक्शन पिटिशन है, आज आरटीआई का ज़माना आ गया है, ठीक है आरटीआई अच्छा कानून है, आरटीआई एक ट्रांस्पेरेंट सिस्टम है, उससे कहीं न कहीं एक डर है, लेकिन आरटीआई के कारण क्या हुआ है? यदि आप ब्लॉक-ब्लॉक में देखिएगे तो आरटीआई एक्टिविस्ट पैदा हो गए हैं। आरटीआई के नाम पर आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। आरटीआई के नाम पर आपसे पूछा जा रहा है

कि आपका दादा क्या कर रहा था, आपका चाचा क्या कर रहा था, आपका फूफा क्या कर रहा था, आपने किस योजना में कितना पैसा दिया। जैसे एक एमपीलैड फंड है, उसमें एक एम.पी. को क्या अधिकार है? उसको केवल एक रिकमेंड करने के अलावा क्या अधिकार है? कौन सी एजेंसी काम करेगी, क्या करेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आरटीआई हो गई। कई एक जगह होता है कि कोई आपका बैंक अकाउंट खोल दिया या बैंक अकाउंट आपने खोला है, हो सकता है कि आप उसको भरते हुए, उसमें कितना पैसा जमा है, एक आइडिया के तौर पर आपने दिया कि कितना पैसा हो सकता है, कल को उसमें इंट्रेस्ट बढ़ जाए और यदि दो-चार रूपया, पांच रूपया बढ़ जाए, मान लीजिए कि 31 मार्च का आपने सीएसी लिया कि 31 मार्च तक यह स्थिति है, जिस दिन आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उस दिन आपका कोई पांच रूपया बढ़ गया, उसके आधार पर एक इलैक्शन पिटिशन हो गया और इलैक्शन पिटिशन को कितने दिन में डिस्पोज़ करना है, दूसरा इलैक्शन पिटिशन मान लीजिए गलती से हो गया या सही बात है, तो उसके डिस्पोज़ल पर कोर्ट कितना वक्त लगाती है, चार साल-पांच साल लड़ते रहिए, तब तक एक पूरा सैशन खत्म हो जाता है तो सवाल यह है कि उसके बारे में सोचने का सवाल है।

चौथा, इंटरनल डेमोक्रेसी, जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में है, सभी राजनीतिक दल इसके शिकार हैं, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे दूसरे की पार्टी हो चाहे तीसरे की पार्टी हो कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। आप यदि कोई बात सहजता से कहना चाहते हैं तो कह पाने की स्थिति में हैं या नहीं हैं और यदि नहीं हैं तो आप आइडियोलॉजी से किस तरह गाइडिड हैं या आपका केवल उद्देश्य एम.पी. बनना है, एम.एल.ए. बनना है, मंत्री बनना है या जिंदाबाद करना है या जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी ओथ हम यहां लेते हैं, ऑफिस सीक्रेसी की ओथ लेते हैं कि भारत के संविधान के प्रति हमारी निष्ठा होगी और हम जो कुछ भी करेंगे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। जब हम एम.पी. भी बन कर आते हैं तो यही करते हैं, लेकिन कभी यदि अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास कीजिए तो आपको यह समझ में आएगा कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी के तौर पर जो बातें, यहां मान लीजिए कि वेल में लोग आ जाते हैं, मैं सभी एम.पी. से पूछना चाहता हूँ कि वे चर्चा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यहां हमें जनता ने चुन कर चर्चा के लिए भेजा है या इसी तरह से कहा है कि

पार्लियामेंट को एकदम ब्लॉक कर देना है या अन्य चीजें कर देनी है। इसके पीछे जो रीजन होता है कि हम अपनी आत्मा से विपरीत जा कर, क्योंकि इंटरनल डैमोक्रेसी में लगता है कि पार्टी के डिक्टेशन को यदि हम नहीं मानेंगे तो शायद हमें कल को टिकट नहीं मिलेगा या शायद हमारे ऊपर कोई कार्यवाही हो जाएगी, कोई व्हिप जारी हो जाएगा, तो इस तरह के सिचुएशन में, उस रिफॉम्स की आवश्यकता है कि इंटरनल डैमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए और जो पॉलिटकल पार्टीज़ में ट्रांस्पेरेंसी होनी चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल ट्रांस्पेरेंसी होनी चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, वह हमारी चीजों को, हमारे कानून को कहीं प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, वह दबाव तो नहीं डाल रहा है। इस पैसे से आम जनता के प्रति जो हमारी कमिटमेंट है, वह तो खत्म नहीं हो जाती है।

मेरा कहना है कि इन सारी चीजों के पहले, इन तीन-चार चीजों के बारे में यदि हम रिफॉर्म्स की बात करते, चीजों की बात करते तो मुझे लगता है कि उसके बाद आता कि यह कंपलसरी वोटिंग का क्या सवाल है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊ कि मैं कोई पहला आदमी नहीं हूँ, जो यह बातें कर रहा है, सन् 1990 में दिनेश गोस्वामी की एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने इन सारी चीजों को यह करते हुए कंपल्सरी वोटिंग के बारे में भी बात की थी। दिनेश गोस्वामी साहब फाइनली इस कनक्लुज़न पर पहुंचे कि पहले इस तरह के रिफॉर्म्स को हम कर लें, यदि उसके बाद हम कंपल्सरी वोटिंग पर जाते हैं तो ज्यादा सुविधा होगी। उसी तरह से सन् 1993 में एन.एन. वोहरा साहब, जो अभी जम्मू-कश्मीर के गवर्नर हैं, उनकी कमेटी बनी और उन्होंने सबसे ज्यादा जो ज़ोर डाला कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलटिक्स हो रहा है, आज तो मान लीजिए कि काफी ट्रांस्पेरेंसी आ गई है, काफी सिस्टम में बदलाव आ गए हैं, उसमें लॉ मिनिस्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सन् 1993-94 के जो हालत थे, वे यह थे कि नेता कौन हो रहा था? नेता जो था, वह अपराधी हो रहा था। मैक्सिमम राजनीतिक पार्टियों के लोग, खासकर जो रीजनल पार्टियाँ थीं, रीजनल पार्टियों के जो लोग जीत रहे थे, मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं बिहार, झारखंड का सबसे ज्यादा उदाहरण देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कोई प्रीच नहीं करना चाहता हूँ। उस वक्त सिचुएशन यह थी कि जो जनता का नेता बन रहा था, वह गुंडा बन रहा था, इसी कारण से एन. एन. वोहरा कमेटी ने क्रिमिनिलाइजेशन ऑफ

पॉलिटिक्स की बात कही, इलेक्टोरल रिफार्म्स की बात कही, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि अभी वह मौका नहीं है कि हम किसी आधार पर अभी कंपल्सरी वोटिंग की तरफ जाएंगे। इसके बाद इंद्रजीत गुप्ता ने इसके बारे में काफी डिलेबरेशन किया। उनकी रिपोर्ट वर्ष 1998 की है। उन्होंने जो विशेष बात कही, वह विशेष बात यह कही कि इलेक्शन की स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह बहुत ही बेहतर है, यह सभी राजनीतिक दलों के सोचने का सवाल है कि यदि स्टेट फंड करता है, यदि सरकारी फंड के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो कहाँ बैनर लगेगा, कहाँ पोस्टर लगेगा, कहाँ मंच बनेगा, कहाँ माइक लगेगा, कहाँ डिबेट होगी, कौन पोलिंग एजेंट बनेगा, कौन से पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो ये सारी चीजें ट्रांसपरेंट तरीके से होंगी। इससे एक सिचुएशन डेवलप होगी कि जो काबिल आदमी है, डेमोक्रेसी में काबिल आदमी का मतलब यह है कि जो जनता के बीच में सेवा करता है। काबिल आदमी से मेरा मतलब कोई पढ़े-लिखे आदमी से नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जनता की जो समस्याये हैं, उसके साथ जो रूबरू होंगे। इस संबंध में एक इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी। इसके बाद वर्ष 1999 में लॉ कमीशन को एक जिम्मेदारी दी और उसने इलेक्टोरल रिफार्म्स के लिए काफी कुछ रिकमेंडेशन किये, जिसके आधार पर हमने 2000, 2001, 2002, 2003 में इतनी चीजें कर ली हैं, जिसके कारण अब हमें लगता है कि काफी कुछ ट्रांसपरेंट सिस्टम हो गया है।

इसके बाद सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, वीरप्पा मोइली साहब जो पूर्व विधि मंत्री थी, उन्होंने कहा, लेकिन कुल मिलाकर यह था कि सारे कमेटियों की जो रिपोर्ट थी, जितनी भी रिपोर्ट अभी तक आई हैं, उन सभी रिपोर्टों ने यह कहा है कि अभी वह मौका नहीं आया है, जहाँ हम कंपल्सरी वोटिंग की तरफ जा सकते हैं।

इसके बाद राइट टू वोट का आधिकार हमें कांस्टीच्यूशन ने दिया है। उसमें आर्टिकल 326, इसमें सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल 326 है। आर्टिकल 326 यह कहता है कि" प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ऐसे किसी भी चुनाव में वोट के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। वह इतना ही कहता है, लेकिन वही जब यह कहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसमें ड्यूटी जो पार्ट 4 (ए) में जो कांस्टीच्यूशन की

फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसको ड्यूटी के बारे में नहीं माना गया है मतलब राइट नहीं कहा गया है। जो कांस्टीच्यूशन का 4 (ए)है, वह यह कह रहा है कि यह राइट तो है, लेकिन यह ड्यूटी के आधार पर दिया है, इसको ऑब्लिगेट्री नहीं माना है, इसको परमानेंट नहीं माना है। इसी कारण से अभी हम जो संविधान की बात कर रहे हैं, हमने अभी 125वीं ऐनवर्सरी के तौर पर पूरे संविधान के ऊपर चर्चा की। कांस्टीच्युएंट एसेंबली में भी इसके ऊपर लगातार चर्चा चली थी। जब चर्चा चली तो जो आयंगर साहब थे, उनका एक विचार था कि कंपल्सरी वोटिंग उस वक्त कर देनी चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, उसमें उनका सपोर्ट कई लोगों ने किया था। उसमें पंडित ठाकुर दास भार्गव, देशबंधु गुप्ता, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह थे, जहाँ से आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियमेंट हूँ, उसके एक क्षेत्र से प्रभुदयाल हिम्मत सिंह भी कभी मेंबर आफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, भूपिन्दर सिंह मान मतलब इन सारे लोगों ने कहा कि कंपल्सरी वोटिंग के बारे में देश को आगे बढ़ना चाहिए। यह दो बार हुआ, एक कांस्टीच्युएंट असेम्बली में हुआ और जब वे लॉ मिनिस्टर बन गए तो जब पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी तो उस वक्त भी हुआ, लेकिन उस वक्त डॉ. बी.आर.अम्बेडकर ने इन चीजों को निगेट किया और कहा कि भारत एक ऐसा देश है, जहाँ अगड़े की बात होती है, पिछड़े की बात होती है, गाँव की बात होती है, गरीब की बात होती है, इसीलिए कभी भी किसी हालत में कंपल्सरी वोटिंग के लिए इस देश को आगे नहीं जाना चाहिए। मैं यह कह रहा हूँ कि जिनकी 125वीं ऐनवर्सरी हम मना रहे हैं, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, वे हमसे बड़े तेज थे, उन्होंने एक-एक चीज के ऊपर चर्चा की और उन्होंने भी यह कहा कि अभी इस देश की सिचुएशन ऐसी नहीं है, जिसमें कंपल्सरी वोटिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वर्ष 1946-47 की जो सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन ऐसी है, जिसमें कोई इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो गया है कि कंपल्सरी वोटिंग की तरफ हम जा पाएं।

अपराह्न 4.00 बजे

2001 में एक कंसलटेशन पेपर निकाला गया और उसके बाद एक तारकुंडे कमेटी बनी। तारकुंडे कमेटी ने जो कंपलसरी वोटिंग पर कहा, वह इस सदन के लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा –

[अनुवाद]

> "हमने इस बात पर गंभीरता से विचार किया है कि मतदाताओं के लिए इन चुनावों में अपने वोट डालना अनिवार्य किया जाए। हमें लगता है कि यह अनिवार्यता मतदाताओं द्वारा नापसंद की जा सकती है और यह प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। यह वांछनीय है कि वोट डालने के कर्तव्य का अनुपालन जबरदस्ती के बजाय अनुनय और राजनीतिक शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अनिवार्य मतदान का कानून लागू करना बहुत कठिन हो सकता है और इससे दुरुपयोग का खतरा हो सकता है।"

[हिन्दी]

जहाँ शिक्षा नहीं है, अभी भी बिहार का वोट डालते हुए हमने यह कहा कि लोग जाति से ऊपर नहीं उठ पाए, लोग अपने कुनबे से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। वहाँ यदि आप कंपलसरी वोटिंग की बात करेंगे ...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): मुझे इस पर आपत्ति है। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत सोच-विचार से उन्होंने वोट दिया है, जात पर न पात पर उन्होंने वोट दिया है। उनको मालूम है कि देश के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है।

श्री निशिकान्त दुबे: हमने यह नहीं कहा कि देश ने क्या कहा।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: हमें कभी भी लोगों का उपहास नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : हमने यह नहीं कहा कि देश ने क्या कहा, हमने यह नहीं कहा कि सत्पथी साहब ने क्या कहा। हमने यह कहा कि हमने क्या कहा। हमने अपनी पार्टी की बात कही है और हमको अपनी बात करने का

पूरा अधिकार है। इसीलिए सत्पथी साहब शायद मेरी बात से सहमत होंगे। मैंने तो तारकुंडे साहब ने क्या कहा, उसको क्वोट किया और उसके कंटैक्स्ट में वे बातें कहीं।

कंपलसरी वोटिंग के लिए ऐसा नहीं है सीग्रीवाल साहब 16वीं लोक सभा में पहली बार बिल लेकर आए हैं, इस सदन में इससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। 2003 में आगरा के सांसद भगवान शंकर रावत जी इस बिल को लाए थे और 2009 में जे.पी.अग्रवाल साहब भी इस बिल को लाए थे। इसलिए माननीय सदस्य बधाई के पात्र हैं कि 1952 के बाद से तीसरी बार ऐसा हुआ है कि हम इस सदन में इन बातों को डिसकस कर रहे हैं। उस वक्त के तत्कालीन लॉ मिनिस्टर मोइली साहब थे, उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ, उन्होंने उस वक्त जो कहा, वह सही कहा। [अनुवाद] श्री मोइली ने इस तरह के कदम के प्रति आगाह करते हुए कहा कि यह जबरदस्ती है, सरकार के लिए इसे लागू करना मुश्किल है और वे बीमारी, व्यस्तता और राजनीतिक दलों द्वारा बल प्रयोग जैसे मतदान न करने के कारणों से अनभिज्ञ हैं। [हिन्दी] ये जो तीन बातें हैं जो मोइली साहब ने कहीं, ये भी पोलिटिक्स में ध्यान देने वाली बातें हैं। वे कह रहे हैं कि एक तो गवर्नमैंट के लिए इसको इंप्लीमैंट करना मुश्किल है। इंप्लीमैंट करना मुश्किल इसलिए है कि जैसे हमारे यहाँ, खासकर ईस्टर्न इंडिया के, जहाँ से श्री सत्पथी भी आते हैं, वे सारी चीज़ों का कंटैस्ट करते रहते हैं कि बिहार है, ओडिशा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, हम लोगों के यहाँ बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है। बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या होने के कारण लोग कमाने के लिए कहीं न कहीं दूसरी जगह जाते हैं। जब वे दूसरी जगह जाते हैं तो कोई पंजाब में काम कर रहा है, कोई कश्मीर में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई मुम्बई में काम कर रहा है। आप यदि ज़बर्दस्ती करेंगे कि वह वोट डालने जाएँगे तो वह अपनी नौकरी छोड़कर जाएँगे, वे अपना पैसा खर्च करके जाएँगे। तो इसको इंप्लीमैंट करना आप समझिए कि कितना मुश्किल होगा। वह कहेंगे कि या तो हमको पैसा दीजिए। इतने लोगों को एक जगह से ले जाना, लाना, यह सबसे बड़ा सवाल है। गवर्नमैंट के लिए इंप्लीमैंट करना सचमुच मुश्किल का काम है जैसा उन्होंने कहा।

दूसरी बात उन्होंने कही कि मान लीजिए कोई बीमार है। हमारे यहाँ कई जगह है कि हमारे यहाँ बीमारी का सर्टिफिकेट देने के बाद भी कई लोगों को लगता है कि बहाना बना रहा है। लेकिन सचमुच का कोई बीमार हो सकता है। मैं आपको बताऊँ कि जब से मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ पिछले 25 सालों से, साल में दो-तीन दिन छूट जाएँ तो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है कि कोई न कोई आदमी एम्स में इलाज कराने के लिए निश्चित तौर पर यहाँ पड़ा हुआ न हो। यदि एक आदमी यहां इलाज कराने के लिए निश्चित रूप से पड़ा हुई है तो उसके साथ उसके पूरे परिवार के लोग यहां मौजूद होते हैं तो इलनैस के कारण आप कैसे कम्पैल कर सकते हैं। आप तो कहिएगा कि एक आदमी का सटीरफिकेट देगा, लेकिन यह हिन्दू वे ऑफ लाइफ है, हिन्दू सोसायटी है तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी दूसरे देश की तरह एक आदमी यदि बीमार है तो एक ही आदमी जिम्मेदार है। डॉक्टर यदि सटीरफिकेट देगा तो एक ही आदमी की बीमारी का सटीरफिकेट देगा। लेकिन उसका कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई वाइफ है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई रिश्तेदार है, वह भी उसकी तीमारदारी में लगा हुई रहता है। उसे वह किस तरह का सटीरफिकेट देगा, आप तो उसको नहीं मानिएगा, आप तो कहिएगा कि नहीं, यह बड़ा मुश्किल है।

तीसरा, प्रीऑक्यूपेशन है। प्रीऑक्यूपेशन यह है कि किसी दिन आपने वोट का तय कर दिया है, लेकिन किसी का कोई शादी-विवाह है। हमारे यहां तो एक जोइंट फैमिली का कांसैप्ट चलता है। आप तो ऐसा नहीं कहते हैं कि उस दिन कोई पूजा-पाठ नहीं होगी, कोई शादी-विवाह नहीं होगा, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, ऐसा इस देश में सम्भव नहीं है। प्रीऑक्यूपेशन के कारण भी यह सम्भव नहीं है। इन कारणों से इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन इन चीजों की बहस एक इतने बड़े मुद्दे पर चल रही हैं कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। अतुल सरलोंडे ने सुप्रीम कोर्ट में एक पी.आई.एल. की और अप्रैल, 2009 में दो जज की बैंच ने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। उसमें जस्टिस बालकृष्णन साहब, जो कि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और जस्टिस सदाशिवम साहब थे, जिनकी अभी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा:

[अनुवाद]

"हम आपके इस सुझाव से सहमत नहीं हैं कि यदि कोई मतदान नहीं करता है तो बिजली और पानी के कनेक्शन में कटौती की जानी चाहिए। एक मतदाता को मतदान केंद्र तक जाने के लिए ये अमानवीय तरीके हैं। "

[हिन्दी]

जो पी.आई.एल. करने वाले थे, पी.आई.एल. करने वालों ने कहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनैक्शन काट दीजिए। कंपलसरी वोटिंग यदि आप कराना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में डैलीब्रेशन करूंगा तो किसी न किसी इकोनोमिक सैंक्शन की तो बात आप करते हैं तो ये जो पी.आई.एल. कर्ता थे, ये एक कदम और आगे बढ़े और ये कहते हैं कि पीने का पानी और बिजली काट दो। यदि इस तरह से सिस्टम से आप कम्पलसरी वोटिंग नहीं करेंगे तो आपका पीने का पानी काट देंगे, मतलब आदमी बिना खाने के तो रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए हुए वह कितने दिन रह सकता है, आप इसे समझिये।

हम और आप सभी जन-प्रतिनिधि हैं, यदि चुनाव में या गांव में सबसे महत्वपूर्ण आज कोई विषय है तो वह ट्रांसफार्मर लगाना है, गांवों में बिजली देना है। यदि आप अपने एम.पी.लैड फंड से कहीं किसी गांव में इलैक्शन के समय या इलैक्शन से पहले ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो गांव का गांव आपको वोट करता है कि इन्होंने मुझे बिजली दी और यदि आप ये दो काम करेंगे तो आपको लगता है, सीग्रीवाल साहब, मान लीजिए कि जैसे आपका बिल हम पास कर देंगे तो कहेंगे कि इसी के कारण हमको बिजली और पानी नहीं मिल रहा है तो क्या होगा। सवाल यह है कि इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, जो आपका बिल आया है या जो कम्पलसरी वोटिंग के लिए कहते हैं, वे इसके पीछे तीन-चार रीज़न देते हैं कि क्या होगा। सबसे पहला रीज़न देते हैं कि उससे वोटर टर्नआउट इन्क्रीज़ हो जायेगा। अभी जब चुनाव होता है तो अर्बन एरियाज़ में मुश्किल से 40, 45, 50 परसेंट वोट होता है और रूरल एरियाज़ में 60-65 परसेंट होता है। लोक सभा में 55 से 60 परसेंटेज के आसपास है, विधान सभा में भी लगभग उतना ही होता है। लोकल

बॉडीज़ में थोड़ा बढ़ जाता है। इसके पीछे एक रीज़न है कि उससे टर्नआउट का एक बेसिक इन्क्रीज़ हो जायेगा। इसमें 1997 में एक डिबेट हुई, उसमें जो आर्ग्यूमेंट दिया गया, इसमें 171 देशों का1997 में एरेन लिस्फार्ट ने अमेरिका में एक आर्टीकल लिखा। उसने 171 देशों के पूरे डाटा को लिया और उसमें 28 देशों के डाटा को विशेष तौर पर लिया, जहां आज की तारीख में कम्पलसरी वोटिंग है। आपको आश्चर्य होगा कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वह केवल 7.37% है। 171 देशों के डाटा में से 28 वैसे देश हैं, जहां कम्पलसरी वोटिंग है। 171 देशों के डाटा को अगर आप देखिएगे तो उसमें 7.37% का ही दोनों के बीच डिफरेंस है। इसलिए जो लोग यह आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इससे वोटर टर्न आउट बढ़ जाएगा, तो यदि इस आर्टिकल और इस डाटा को आप देखिएगे, तो आपको लगेगा कि उससे यह पर्पस सॉल्व नहीं होता है।

इसके बाद एक इन-ह्यूमन सजेशन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वह वाटर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, और तीसरा बीपीएल कार्ड के बारे में आप कह सकते हैं कि वे बीपीएल कार्ड के लिए इंटाइटल नहीं हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली के लिए वह इंटाइटल नहीं है। लेकिन, हमारे यहां जो सिचुएशन है, वह दूसरी है। हमारे यहां गरीबों को सिखाने की बात नहीं है। दूसरे 28 देशों में, जहां यह कानून लागू हुआ है, वहां तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। पर, हमारे यहां यह उलटा है। मैंने यह बात की कि अर्बन वोटिंग परसेंटेज कम है और रूरल वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, तो यह यह दर्शाता है कि जो लोग अपने आप को ज्यादा पढ़ा-लिखा हुआ मानते हैं, ज्यादा रिच मानते हैं, उनकी सोच इस चुनावी सिस्टम के प्रति कम है। लेकिन, जिनके बारे में हम बराबर कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, वे इसके बारे में नहीं सोचते हैं, तो हक़ीकत यह है कि वे ही ज्यादा सोचते हैं और वे ही ज्यादा परसेंटेज में वोट देते हैं। जब आप इसके लिए सैंक्शन लगाने की बात करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे? मान लीजिए कि आप इसके लिए किसी अमीर के घर की बिजली काट देंगे, तो वह क्या करेगा? उसके पास इतना पैसा है कि उस स्थिति में वह जेनरेटर यूज कर लेगा। मान लीजिए आप किसी अमीर व्यक्ति को पानी नहीं देंगे, तो उसके लिए टैंकर से पानी आ जाएगा। बीपीएल और एपीएल कार्ड की उसको आवश्यकता ही नहीं है। मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर 50 हजार रुपए, किसी को एक लाख रुपए तो किसी को दो लाख रुपए का लगा देंगे, तो अमीर आदमी

तो उसे दे भी सकता है, पर गरीब आदमी कहां से देगा? सवाल यह है कि यहां अमीर और गरीब के बीच में जो इतनी खाई है और गांव का आदमी, गरीब आदमी, किसान, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हमारे यहां ज्यादा पैमाने पर वोट करते हैं। अमीर और गरीब के बीच में आपको एक खाई बनानी पड़ेगी, तभी आपका यह सिस्टम लागू हो पाएगा।

इसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि इससे पॉलिटिकल पाटीरसिपेशन और डिबेट ज्यादा बढ़ेगा, मतलब इससे ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। उन्हें लगेगा कि चुनाव एक ऐसा आधिकार है, जिसमें सबकी सहभागिता और सबकी ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए लोग पॉलिटिक्स के प्रति आकर्षित होंगे। जैसे हम लोगों का पायजामा-कुर्ता पहनना खतरनाक हो गया है। लोगों को लगता है कि इन्हें कोई काम नहीं है, तो यह नेता बन गया होगा। जिस तरह से यह सिचुएशन है, यह फैक्ट है। इस सिचुएशन को बिगाड़ने में हम लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि हम एक-दूसरे को एक्सपोज़ करने के लिए ऐसे तुले रहते हैं कि कोई अच्छा काम भी करता है, तो उसे नहीं बताते हैं।

मान लीजिए कि हम सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर कोई डिबेट करते हैं। मैं जिस कमेटी में हूं, उसमें मैं बार-बार कह रहा हूं कि सीएजी को इस पार्लियामेंट का पार्ट होना चाहिए। उसकी जो कमिटमेंट है, वह पार्लियामेंट के प्रति होनी चाहिए। पर, इसमें क्या होता है? वे अफसर हैं। उन्होंने वर्षों तक किसी न किसी मंत्री के नीचे काम किया है। वह चाहे इलेक्शन कमिश्नर बन रहा हो, सीएजी बन रहा हो या सीवीसी बन रहा हो। खड़गे साहब लोकपाल वाली कमेटी में हैं। वे संयोग से यहां बैठे हैं। वह आधिकारी आपके पीछे-पीछे घूमते रहते हैं कि मुझे यह बना दीजिए, मुझे मेम्बर बना दीजिए, कमेटी का चेयरमैन बना दीजिए। खड़गे साहब, आप बताइए, ऐसे आधिकारी आपके पास आते हैं या नहीं? लेकिन, जब वह उस कुर्सी पर बैठ जाता है तो हम उसे एक फुलप्रूफ बॉडी मान लेते हैं और यह मान लेते हैं कि वह जो कह रहा है, वह सही कह रहा है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री दुबे, कृपया कुछ समय के लिए रुकें।

माननीय सदस्यों, चूंकि इस विधेयक पर चर्चा के लिए आवंटित समय लगभग पूरा हो चुका है और चूंकि विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए आठ और सदस्य हैं, इसलिए सभा को विधेयक पर आगे की चर्चा के लिए समय बढ़ाना होगा।

यदि सभा की सहमति हो तो इस विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदया, मुझे इस पहलू पर कड़ी आपत्ति है क्योंकि विधेयक में पहले ही छह घंटे लग चुके हैं और लगभग सभी वक्ताओं ने लंबी बात कही है और चर्चा लंबी हो रही है। इस सभा द्वारा लिया जाने वाला अगला विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक है जिसे राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बारे में गंभीर है। हालांकि सरकार नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सभा वंचित और समाज के वंचित वर्ग अर्थात् ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विधेयक को लेने के लिए गंभीर है।

यह देखना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विधेयक पर चर्चा को किसी भी चीज की तरह लंबा खींचा जा रहा है। छह घंटे बाद भी लंबी चर्चा होने वाली है। इसलिए, मुझे इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय बढ़ाने पर कड़ी आपत्ति है क्योंकि दूसरे विधेयक को भी इस सभा के समक्ष पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित विधेयक पर सार्थक चर्चा भी हो सके। अन्यथा एक बुरा संदेश जा रहा होगा क्योंकि कोई या यह सभा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित इस विधेयक के आंदोलन को बाधित करने की कोशिश कर रहा है जिसे दूसरे सभा द्वारा पारित किया गया था। इसलिए, मेरा निवेदन है कि अन्य विधेयक पर भी विचार किया जाए। नहीं तो इस सभा से ऐसा संदेश जा रहा है।

विशेष रूप से, यह विधेयक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक खंड में है और सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह मेरा निजी अधिकार है और इस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए, मैं इस पर अध्यक्षपीठ से एक निर्णय चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैडम, जो प्रेमचन्द्रन जी ने कहा, गवर्नमेंट उस पर बहुत सीरियस है। लेकिन जो कंपलसरी वोटिंग बिल है, यह भी बहुत सीरियस है। यह भी प्राइवेट मेंबर लेकर आए हैं। हाउस का सेंस लेकर आगे चलिए। अगर लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यह मना कैसे कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करना लोगों का अधिकार है। हम उसमें भी इंट्रेस्टेड हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: इस पर पहले ही छह घंटे चर्चा की जा चुकी है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल :यह प्रैक्टिस रही है कि हाउस आगे बढ़ता रहा है। ...(व्यवधान) ऑवर्स बढ़ते रहे हैं, यह प्रैक्टिस रही है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मुझे सदन का निर्णय बताएं।

यदि सभा की सहमति हो तो चर्चा का समय एक घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा) : महोदया, जहां तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संबंध है, तो सरकार या सदन द्वारा कोई आरक्षण नहीं है। यह मेरा विचार है। एक गलत संदेश जनता के बीच नहीं जाना चाहिए जैसे कि हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित विधेयक पर चर्चा को रोक रहे हैं। जहां तक इस मामले का संबंध है, हमारे पास कोई आरक्षण नहीं है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अनिवार्य मतदान विधेयक भी एक महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि पूरा देश चुनाव सुधार चाहता है। इस कारण से इस चर्चा को रोका नहीं जा सकता है। सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति: श्री दुबे, कृपया अपना भाषण पूरा करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, मुझे कड़ी आपत्ति है। कृपया सदन की भावना को समझें।

माननीय सभापति: मैंने पहले ही बता दिया है।

यदि सभा की सहमति हो तो विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

माननीय सभापति: यह सदन की राय है।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री दुबे, कृपया जारी रखें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सभापति महोदया, मुझे आपत्ति व्यक्त करनी होगी, लेकिन इससे सरकार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता।

माननीय सभापति: कृपया इसे न लाएं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप अपने सदस्यों की गिनती कीजिए और फिर बात कीजिए।

श्री निशिकान्त दुबे: खड़गे *साहब*, यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: क्या यह गणपूर्ति का प्रश्न उठाने पर रोक लगाता है? … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री दुबे, कृपया जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : धन्यवाद महोदया। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इससे लोगों को लगता है कि इसमें क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और डिबेट का जो स्तर है, वह ऊपर हो जाएगा। मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा कि वर्ष 2007 में हूग ने एक एनालिसिस किया। उसने बेल्जियम के इलेक्शन डाटा का, जहाँ कंपल्सरी वोटिंग है और क्यूबेक प्रोविन्स का डाटा लिया। बेल्जियम में नॉलेज इफेक्ट्स क्या है कि सैंक्शन है, बेल्जियम ने अपने नागरिकों को एक सैंक्शन लगा रखा है, इसीलिए वे कंपल्सरी वोट करते हैं कि वोटेड टू एवाइड सैंक्शन। क्यूबेक, जहां कंपल्सरी वोटिंग है, वहां वोट होता है क्योंकि उनको भी दूसरे प्रकार का फाइनैंशियल सैंक्शन है। विदेशों में ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या इस तरह के छोटे कंट्रीज हैं, उसमें फाइनैंशियल सैंक्शन बहुत बड़ा विषय है।

उन दोनों का डाटा लेने के बाद रिसर्चर हूग ने एक समरी थी कि

[अनुवाद]"...हालाँकि, यह एक अनजान मतदाता को मतदान के लिए लाने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन पैसे खोने से बचने की वजह से उसे राजनीति के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित करना पर्याप्त नहीं होगा... "।

[हिन्दी]

वे जबर्दस्ती वोट करने चले जाते हैं। वोट नहीं करने से उनको कोई फाइनेंशियल खतरा हो जायेगा, विदेशों में वह मोर और लेस है, हमारे यहां " तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी शौर " है, मतलब हमारे पॉकेट में जितना पैसा होगा, उतना ही पैसा हम खर्च करेंगे। लेकिन विदेशों में जो सिस्टम है, वह आपको पता है कि लोग क्रेडिट कार्ड्स पर चलते हैं। यदि उनके क्रेडिट कार्ड्स पर फाइनेंशियल सैंक्शन लग जायेगा तो कहीं न कहीं वे मर जायेंगे, उनके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण है। बेल्जियम और क्यूबेक का जिसने रिसर्च किया, वह रिसर्चर कह रहा है कि इतना होने के बावजूद भी जो लोग वोट कर रहे हैं, उनको भी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, पॉलिटिक्स से क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या

आइडियोलॉजी है, कौन सी चीजें हैं? लोग कहते हैं कि इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और डिबेट बढ़ेगा, कम्पलसरी वोटिंग जहां लागू है, उसमें यह लागू हुआ कि उससे ये चीजें तय नहीं होती हैं। इसके बाद एक और थ्योरी है। आस्ट्रेलिया की थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है कि आस्ट्रेलिया में जो कम्पलसरी वोटिंग हुयी, उसमें वह 123 प्रतिशत इंक्रिज हुआ और उसमें यह देखा गया कि डाँकी वोटिंग, जो इस डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा मौत वाली बात है कि कहीं कम्पलसरी वोटिंग हो गयी। आस्ट्रेलिय जैसे जगह में डाँकी वोटिंग हो रही है और वह कह रहा है कि

[अनुवाद] "... जो तब होता है जब उदासीन मतदाता बस चुनावी पत्र पर पहला नाम चुन लेते हैं..."

[हिन्दी] उनको कुछ पता ही नहीं है कि वह किस को वोट डालने जा रहा है। उनको वोट डालना है तो वोटर लिस्ट या बैलेट में जो पहला नाम है, उसी को वोट देना है। यह डाँकी वोटिंग है। मतलब आप यह समझिये कि जहां कम्पलसरी वोटिंग लागू है, वहां की यह स्थिति है। वर्ष 1984 में मैकलिस्टर ने वहां के बारे में बहुत बढ़िया स्टडी की है कि

> [अनुवाद] “… ऑस्ट्रेलिया में जिन उम्मीदवारों का उपनाम वर्णमाला के पहले तीसरे हिस्से में आता है, उनके लिए यह प्रभाव देखा गया; जबकि ब्रिटिश चुनावों में ऐसा प्रभाव नजर नहीं आया...”

[हिन्दी] मतलब यह कि आस्ट्रेलिया में उन्होंने पहले नम्बर से लेकर तीसरे नंबर तक लिस्टेड लोगों को वोट दे दिया, यह इन्होंने कहा। लेकिन ब्रिटेन में ये चीजें लागू नहीं हैं। ब्रिटेन में लोग पार्टी, आइडियोलॉजी और उनके किए हुए कामों के नाम पर वोट देते हैं, जो हिंदुस्तान में लागू है। मेरा कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को भी आप लेंगे तो वहां ये चीजें संभव नहीं हैं। इसलिए उसने अपने रिसर्च में कनक्लूड किया।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वर्ष 2014 में डाँकी वोटिंग हो गयी।

श्री निशिकान्त दुबे : इसका मतलब यह है कि खड़गे साहब ने जबर्दस्ती वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवारों को नाम नम्बर एक से नम्बर तीन के बीच में डाल दिया होगा, इसलिए डाँकी वोटिंग हुयी। इसके लिए आपका धन्यवाद। उसने कंक्लूड किया।

> [अनुवाद] "… निष्कर्ष निकालने के लिए, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि व्यक्ति अपने मतदान दायित्व को पूरा करने के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे; और अनिवार्य मतदान आवश्यक रूप से नागरिक जुड़ाव की गुणवत्ता में सुधार नहीं करेगा।"

[हिन्दी] मैकलिस्टर का रिसर्च इन चीजों को कंक्लूड करता है। इसके बाद तीसरा सवाल इक्वैलिटी की बात करता है। इसके बारे में, मैं बहुत बोल चुका हूं कि इक्वैलिटी यह है कि दूसरे देशों में जहां-जहां ये चीजें लागू हैं कि जो नौकरीपेशा लोग हैं, जो गांव-गरीब, किसान लोग हैं, वे कम वोट करने जाते हैं और शहर के लोग ज्यादा वोट करते हैं। हमारे यहां वह सिचुएशन अलग है। यदि हमारे यहां वह उल्टा है, तो हमारे यहां वह भी पैमाना नहीं हो सकता है। उसके बाद कॉन्स्टीटूशनली जो रिप्रजैंटेटिवनेस लोगों को लगता है कि गांव का गरीब किसान, शेड्युल्ड कास्ट, शेड्युल्ड ट्राइब का जो रिप्रजैंटेशन है, दूसरे जगह लगता है कि जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी होगी, जिस एरिया के जहां लोग होंगे, वे यदि ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका रिप्रजैंटेशन इस डेमोक्रेसी में बढ़ जाता है।

कम्पलसरी वोटिंग में लोग इन चीजों को बताते हैं। हमारे यहां ये चीजें नहीं हैं। हमारे यहां सिचुएशन है कि हमने शैडयूल्ड कास्ट्स के लिए सीट रिजर्व कर रखी है, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व कर रखी है, अभी हम महिला रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) बात कर रहे हैं, करेंगे, नहीं करेंगे, वह सरकार तय करेगी, यहां जितने विद्वान लोग हैं, वे तय करेंगे। मैं केवल यह कह रहा हूं कि कर रहे हैं। यहां दो एंगलो-इंडियन पीछे बैठे हुए हैं। उनके समुदाय का कैसे रिप्रैजैंटेशन होगा, उसके लिए भी हमने दो सीट रिजर्व कर रखी है। सारे सैक्शन का जो रिप्रैजैंटेशन है, वह हमारे यहां पहले से कौन्सटीट्याूशन में मौजूद है। इसीलिए कम्पलसरी वोटिंग से हमारी वे चीजें बढ़ेंगी, यह जरूरी नहीं है या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

नोटा का जो जजमैंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा एक ऑप्शन हो सकता है और नोटा के आधार पर जो लागू हुआ, उसमें आर्टिकल 19 (1) बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 19 (1) की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा --

[अनुवाद] "... एक महत्वपूर्ण अंतर है मतदान के अधिकार और मतदान की स्वतंत्रता के बीच, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है।"

[हिन्दी] यह सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के सवाल पर कहा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन, संविधान में हमने मौलिक आधिकार दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन क्या है - किसी को वोट देना। जैसे हम कहते हैं कि हिन्दू कोई धर्म नहीं है, हिन्दू एक कल्चर है और हिन्दू वे ऑफ लाइफ है। यह फैक्ट है कि हिन्दू वे ऑफ लाइफ है। यदि आप पूजा करना चाहते हैं, मंदिर में जाना चाहते हैं, भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है, आप हिन्दू हैं। यदि आप पूजा नहीं करना चाहते, मंदिर में नहीं जाना चाहते तो भी आप हिन्दू हैं। पूजा करने और नहीं करने से, पूजा पद्धति को मानने न मानने से आपकी हिन्दू आइडैंटिटी पर कोई खतरा नहीं है। उसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन में वोट डालना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वोट नहीं डालना चाहते तो भी बहुत बढ़िया बात है, कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, नोटा लागू करना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन को रोकने के लिए कहें कि वोट डालना ही है। कई लोगों को लगेगा कि हमें वोट नहीं डालना है। कौन्सटीट्यूशन का आर्टिकल 19 (1), नोटा के जजमैंट के समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कहीं। यदि आप कम्पलसरी वोटिंग पर जाएंगे...(व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : सभापति महोदया,...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : मैडम, उनसे इंट्रोड्यूस करवा लीजिए।... (व्यवधान) मेरा भाषण बहुत लंबा चलेगा, आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए। सभापति महोदया, सुप्रिया सुले जी को इंट्रोड्यूस करने दीजिए, उसके बाद मैं अपना भाषण कंटिन्यू करूंगा।...(व्यवधान) मैं अभी एक घंटा बोलूंगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री निशिकान्त दुबे, कृपया अपना भाषण पूरा करें।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : मैं लम्बा बोलूंगा।...(व्यवधान) मैं आर्टिकल 19(1) की बात कर रहा था और नोटा है, सुप्रीम कोर्ट, एक ऑब्जर्वेशन मैं पढ़ चुका, दो और ऑब्जर्वेशन हैं। उसने कहा --

[अनुवाद]

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत उम्मीदवार की साख को सत्यापित करने के बाद मतदाता द्वारा लिया गया निर्णय या तो मतदान करने के लिए या नहीं, उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार है।

इस प्रकार नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मजबूर करना उदारवाद को समाप्त करते हुए उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।”

यह सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के जजमैंट के बारे में कहा। इसके बाद फाइनली

अंत में, लोकतंत्र की जटिलता पर राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण का तर्क है कि लोकतंत्रों को असहमति और विचारों की विविधता को समायोजित करने की आवश्यकता है। इसमें विघटन का विकल्प शामिल है, अर्थात्, "विरोध करने का अधिकार, सहमति को रोकने का, बयान देने या भाग लेने से परहेज करने का अधिकार", यदि लोग मानते हैं, "मतदान गलत, अवांछनीय, अनावश्यक या अनैतिक है"।

[हिन्दी]

ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट कहीं हैं और जब उसने अपने जजमेंट में ये बात कही तो हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कंस्टीट्यूशन का कस्टोडियन है। आप फंडामेंटल राइट्स पर अटैक करने की बात करते हैं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री दुबेजी, आप कितना समय लेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम श्रीमती सुप्रिया सुले को विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे सकते हैं।

श्री निशिकान्त दुबे: मैंने कहा है कि यदि श्रीमती सुप्रिया जी आप अनुमति दें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई समस्या नहीं है।

माननीय सभापति: ठीक है, धन्यवाद।

<u>अपराह्न 4.31 बजे</u>

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित....जारी

(सत्ताईस) अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण विधेयक, 2015*

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): मैं प्रस्ताव करती हूँ कि नगरपालिका के ठोस कचरे के पृथक्करण और संग्रहण के संबंध में नागरिकों और नगरपालिका प्राधिकरणों पर मानदंड निर्धारित करके उचित प्रबंध और निपटान करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि नगरपालिका ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण और संग्रहण के संबंध में नागरिकों और नगरपालिका अधिकारियों पर मानदंड निर्धारित करके और कर्तव्यों का निर्धारण करके और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुप्रिया सुले: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करती हूँ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

<u>अपराह्न 4.31 ½ बजे</u>

(अठाईस) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2015*
(नए अध्याय 3क का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): मैं प्रस्ताव करती हूँ कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुप्रिया सुले: मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।

<u>अपराह्न 4.32 बजे</u>

(उनतीस) शैक्षणिक संस्थानों में वित्तीय शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2015□*

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): मैं प्रस्ताव करती हूँ कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में वित्तीय शिक्षा की अनिवार्य शिक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में वित्तीय शिक्षा की अनिवार्य शिक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुप्रिया सुले: मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।

<u>अपराह्न 4.32 ½ बजे</u>

(तीस) मानसिक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2015*

(नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): मैं प्रस्ताव करती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुप्रिया सुले: मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 4.12.2015 में प्रकाशित।

<u>**अपराह्न 4.33 बजे**</u>

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 – जारी

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री निशिकान्त दुबे जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, दूसरा तर्क कम्पलसरी वोटिंग के लिए यह दिया जाता है कि इससे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ चीजों को हम और आप आज नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए, किसी ने वोट नहीं किया, उसके लिए आप क्या करेंगे, शो-कॉज पूछेंगे, 80-85 करोड़ वोटर इस देश में होंगे, इनमें से आज वोट का परसेंटज लगभग 60% हैं, लगभग 30-35 करोड़ लोग इस देश में वोट नहीं करते हैं। अभी बिल के समय आपने कहा कि इतने केस पेंडिंग है, जज नहीं है, फाइनली तो कोर्ट में ही सुनवाई होगी, शो-कॉज पूछने के लिए कोई आधिकारी होगा। आप जिस इलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं उस प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन का कोई कॉडर हीं नही है, जो वहां आधिकारी होते हैं और चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो जाती है, उनको जिलों में डेवलपमेंट का काम करना होता है चाहे वह कलेक्टर, बीडीओ, सीओ या और एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हो, वे सारे लोग इस चुनाव में लग जाते हैं कि यह चुनाव दो-तीन महीने में खत्म हो जाता है। लगभग 30-35 करोड़ वोटरों ने वोट ही नहीं किया, शो-कॉज पूछने के लिए कितना लंबा प्रोसेस है, पूरे देश के डेवलपमेंट के सारे कामों को आप रोक देना चाहते हैं।

दूसरी बात है कि क्या बेंच के लिए सरकार के पास पैसा है? लाख केस सुनने के लिए, जज नहीं हैं, हाई कोर्ट में जज नहीं है, लोअर ज्यूडिशयरी में जज नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हैं। जब भारत अलग हुआ था, अलग रीज़न में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बना, तब 33-35 करोड़ की पापुलेशन थी। अब पापुलेशन बढ़ती

जा रही है और इस हिसाब से कोर्ट्स की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इनको सुनने के लिए कितने जजों की आवश्यकता होगी? वर्ष 2003 में भगवान शंकर रावत की कंपलसरी वोटिंग पर चर्चा का जवाब देते हुए तत्कालीन लॉ मिनिस्टर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और मुझे लगता है कि हमारे लिए भी यह बात सोचने वाली है। के. वेंकटपति तब लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने 2003 में कहा-[अनुवाद] लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसी भागीदारी लोगों की स्वेच्छा से होनी चाहिए, न कि दबाव या प्रलोभन से। [हिन्दी] मतलब किसी को इंसेन्टिव दे देंगे। उस वक्त जो चर्चा भगवान शंकर रावत ने शुरु की, उसमें कहा गया कि वोटर को कुछ इन्सेन्टिव दे दें। मान लीजिए कि कोई वोटर बाहर से वोट डालने आता है, उसे आने-जाने का किराया दे दीजिए, टीए दे दीजिए, चीजें दे दीजिए, डीए दे दीजिए। तब कहा गया -[अनुवाद] इस संबंध में कर्तव्य की भावना लोगों को स्वयं सूचित करनी चाहिए, और यह कर्तव्य की भावना है जो लोगों को बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर आने के लिए प्रेरित करने वाला कारक होना चाहिए। [हिन्दी] इसमें हमारी और आपकी ड्यूटी बनती है, लोगों की ड्यूटी बनती है, अपने आप की ड्यूटी बनती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह देश पाप और पुण्य से चलता है। यदि कोई कहे कि यह देश पाप और पुण्य से नहीं चलता या बड़े और छोटे के रिगॉर्ड से नहीं चलता है, तो मैं कहना चाहता हूं -

आभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलभ्।

जैसे ही खड़गे साहब खड़े होते हैं, मैं बैठ जाता हूं। मैं इसलिए बैठ जाता हूं क्योंकि वह हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, कोई ज्ञान की बात कर रहे होंगे, हमें गाईड करने की बात कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती है इसलिए मेरे कहने का यही मतलब है कि यह देश पाप और पुण्य से चलता है। देश में इतनी पुलिस फोर्स नहीं है जो कंट्रोल कर सके, क्राइम को कंट्रोल कर सके, चीजों को कंट्रोल कर सके। समाज में निर्भया जैसा कांड हो जाता है तो दिल्ली जैसा शहर उमड़ पड़ता है जबकि निर्भया हर किसी की बेटी नहीं थी, रिश्तेदार नहीं थी। इंडिया गेट पर लोग गए, उनको लगा कि देश में यह गलत हुआ है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसी तरह जब तक हमारे मन में नहीं होगा कि डेमोक्रेसी हमारी है, देश हमारा है, कांस्टीटुएशन हमारा है, इसमें

हमारे पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है, जब तक लोग एक्टिव होकर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा और यदि आप चाहेंगे कि जबदस्ती करा लें तो भी कुछ नहीं होगा।

महोदया, मैं आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, जब हमारी इच्छा होती है, हम सैंट्रल हॉल में चाय पीने के लिए चले जाते हैं, जब इच्छा होती है घर में खाना खाने चले जाते हैं। मेरी जब इच्छा होती है मैं इस कुर्सी से उठता हूं और खड़गे जी के पास चला जाता हूं प्रेमचन्द्रन जी के पास चला जाता हूं, तथागत जी के पास चला जाता हूं। यदि कहा जाए कि आप आते हैं, तो 40 नंबर पर ही बैठना है, 11 बजे से लेकर जब तक पार्लियामेंट का ताला बंद नहीं होता है, तब तक बैठना है, तब यहां कितने एमपी बैठेंगे? सवाल यह है कि जब हमें लगता है कि हमारी ड्यूटी है और आप उस तरह की जब तक एजुकेशन या अवेयरनेस लागू नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें सक्सेफुल नहीं हो पाएंगी। ...(व्यवधान) अभी हमारे बड़े भाई शत्रुघ्न जी आ गए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं जब बोलता हूं, वह या तो टीवी पर देखते हैं या यहां आ जाते हैं, जैसे अभी टीवी पर देखते हुए आ गए हैं।...(व्यवधान)

महोदया, दुनिया में 28 देश हैं जहां कंपलसरी वोटिंग है। मैं उसका एक कम्पेरेटिव चार्ट देना चाहता हूं कि कौन से देश हैं, उनकी क्या बातें भारत से अलग हैं। अब आप समझें कि 28 देशों में से 14 देशों ने लागू किया है, ये बहुत छोटे देश हैं, बेल्जियम, लिचेन्सटाइन, लक्समबर्ग, नौरु और एक कन्टोन स्विट्जरलैंड का है। आप इन सब देशों को देखिए, ये हमारे ब्लॉक के बराबर है भी या नहीं, यह भी नहीं पता है। इतने छोटे-छोटे कंट्रीज हैं कि एक पंचायत का इलैक्शन, एक ब्लॉक का इलेक्शन, एक जिले का इलेक्शन, मान लीजिए कि जिले के बराबर यदि कोई देश हो गया तो उसको तो आप किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, यहां तक कि हमारे यहां कई ऐसे राज्य हैं जहां कंपलसरी वोटिंग यदि नहीं भी है तो भी 85-90 प्रतिशत- सिक्किम जैसे राज्य जो हैं जहां टोटल वोट ही पांच लाख के आसपास है। इसी तरह से गोआ है जहां टोटल वोट ही 12-13 लाख के आसपास है, जैसे लक्षद्वीप है, जहां टोटल वोट, जैसे लोक सभा के एम.पी. जो जीतकर आते हैं, वहां टोटल वोट ही 48-49 हजार हैं। मान लीजिए कि इस तरह की चीजों में यह संभव है और 14 देश जो हैं, वे

छोटे-छोटे हैं लेकिन जो देश इतना बड़ा है जहां 130 करोड़ का बेस है, उसमें ये चीजें कैसे संभव है? यह सोचने वाली बात है।

इसी तरह से जो दूसरे तरह के देश हैं, जैसे आस्ट्रेलिया, ब्राजील, लिक्वीडर, सिंगापुर, पेरू और उरुग्वे है। इन देशों के बारे में यदि आप देखिएगे कि इटली और नीदरलैंड में भी यह कानून लागू था। इटली भी एक अच्छा देश है और नीदरलैंड भी एक बड़ा देश है और इन दोनों देशों ने यानी 1993 में इटली ने और 1967 में नीदरलैंड ने, यानी हमसे पहले नीदरलैंड ने जब लागू किया था तो 1967 में उन्होंने यह सोचा कि इससे हम आम जनता को फायदा पहुंचाने के बदले नुकसान कर रहे हैं तो नीदरलैंड ने 1967 में इसको एबॉलिश कर दिया, इटली ने इसको 1993 में एबॉलिश कर दिया। ग्रीस में भी जिसके यहां उसका एनफोर्समेंट कमपलसरी था, वह वाला क्लॉज 1995 में खत्म कर दिया। जहां जहां यह लागू हुआ, वहां वहां यह फेल भी हुआ और फेल होने के बाद उसको कहीं न कहीं उन लोगों ने वापस किया। उसके बाद ग्रीस ने जब ये आइडिया खत्म कर रहे थे तो इसको खत्म करते हुए ग्रीस ने कहा कि:

[अनुवाद]

> "क्या पश्चिमी यूरोप में अनिवार्य मतदान एक समाप्त हो रही परंपरा बनता जा रहा है? शायद कुछ वर्षों में, बिना इसे लागू किए जाने की कोई वास्तविक इच्छा के यह केवल देश के संविधान में एक प्रतीक के रूप में रह जाएगा।"

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उन्हें 282 सदस्यों की ओर से बोलना होगा। इसलिए, उन्हें सभी सदस्यों की ओर से अपना पक्ष रखना होगा।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : खड़गे साहब, आप तो बड़े हैं। हमेशा अच्छा होता है कि खराब से खराब भाषण में भी आपको बैठना पड़ता है क्योंकि आपकी मजबूरी है। ...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल) : आप इटली के बारे में बोलिए। सब सुनेंगे।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: मैडम, फिजी ने इसको 2014 में खत्म कर दिया। वहां भी यह लागू था और चिली ने 2012 में खत्म कर दिया। आप यह समझिए कि जहां जहां कंपलसरी वोटिंग थी, यानी मैं सदन को केवल यह बताना चाहता हूं कि जहां जहां कंपलसरी वोटिंग लागू हुई, वहां वहां यह सफल नहीं हुआ। मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिये, फिजी ने 2014 में और चिली ने 2012 में इस कानून को खत्म कर दिया। इसी के बाद आस्ट्रिया ने जो उसका ट्रॉयल डिस्ट्रिक्ट था, जिसको वे रीनेम करना चाहते थे, उसके लिए 2004 में कमपलसरी वोटिंग का कानून खत्म कर दिया।

उसी तरह से जहां पर यह कमपलसरी वोटिंग है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा, आस्ट्रेलिया जहां कि डीफॉल्टर्स को फाइन देना पड़ता है यदि आप वोटिंग के लिए नहीं जाते हैं तो फाइन देना पड़ेगा। उसके कारण आस्ट्रेलिया में भी यह चर्चा शुरु हो चुकी है कि हम इन चीजों को किसी और चीजों के साथ जोड़कर देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, आस्ट्रेलिया की अभी रीसेंट रिपोर्ट आई है कि वहां जो रिजेंटमेंट है कि वहां की सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, वहां भी फुल मेनडेट की सरकार नहीं बन पा रही है। इस कारण से आस्ट्रेलिया में भी इस तरह की चीजें चालू हो गई है और पेरू यह कह रहा है कि हम इस चीज को यदि लागू करते हैं तो पहले जैसे वोटर आइकार्ड के आधार पर जब आप ठप्पा मारते थे तो उसमें कुछ चीजों के लिए आप एलीजिबल थे। सोशल सिक्योरिटी के काम के लिए आप योग्य थे, इसे लागू रखना है या नहीं? पेरू में यह डिस्कशन का पार्ट है। इसके अलावा ब्राजील में महत्वपूर्ण बात यह चल रही है कि उसकी परिस्थिति कुछ भारत जैसी है। उसमें गरीब लोग उतनी पेनल्टी दे पाने की स्थिति में अपने आपको नहीं पाते हैं और इस कारण उन्होंने ब्राजील में एक ग्रुप बना रखा है और वे अगले चुनाव के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों से कमिटमेंट चाह रहे हैं कि इस बार तो हम आपको वोट दे रहे हैं लेकिन अगली बार यदि वोट देने जाते हैं तो आप इसे खत्म करेंगे या नहीं, ऐसा ब्राजील में चल रहा है।

इसी कारण भारत सरकार ने लॉ कमीशन बनाया था। लॉ मिनिस्टर सदन में मौजूद हैं। उनका कंक्लूजन मार्च, 2015 में आया है। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट यह दी है कि कहीं से भी कंपलसरी वोटिंग नहीं होनी चाहिए और उसके बारे में उन्होंने कहा हैः-

> "यह कानून आयोग भारत में अनिवार्य मतदान की शुरुआत की सिफारिश नहीं करता है और वास्तव में, यह मानता है कि यह अलोकतांत्रिक, अवैध, महंगे, राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता की गुणवत्ता में सुधार करने में असमर्थ, और लागू करना मुश्किल जैसे विभिन्न कारणों से अत्यधिक अवांछनीय है। "

15 मार्च 2015 को माननीय सदानन्द गौड़ा जी को लॉ कमिशन ने दिया है और लॉ कमिशन ने बहुत ही डेलिब्रेशन किया है। उसने 270 पेज की रिपोर्ट दी है। उसमें ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। मेरा उन माननीय सदस्य से आग्रह है जो इस विषय को लेकर आए हैं और सरकार से भी कि कम्प्लसरी वोटिंग के स्थान पर कई दूसरी चीजें करने की आवश्यकता है क्योंकि हम जिस डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, उसमें पजामा-कुर्ता पहनना आजकल दुष्कर हो गया है। लोगों का कहना है कि कोई काम नहीं है तो पजामा-कुर्ता पहन लिया है। यदि आप अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं तो लोग कहेंगे किसी न किसी से कमीशन ली होगी। कहीं हवाई जहाज में परिवार के साथ जा रहे हैं तो कहेंगे कि किसी न किसी ने अरेंजमेंट कर दिया होगा। किसी पांच सितारा होटल में खाना खा रहे हैं तो कहेंगे कि किसी मोटी पार्टी को पकड़ रखा है। हमने इसमें बहुत पारदर्शिता की है लेकिन कुछ न कुछ ऐसा है जिसे बदलने की बात है। मेरा कहना है कि सैक्शन 77 रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल्स एक्ट है, उसमें आथोराइज केंडिडेट के द्वारा जो इलेक्शन एक्सपेंसिस हैं, वे सैक्शन 77(1) जो है, जो डेट आफ नोटिफिकेशन से एप्लाई होता है, इसमें एक अमेंडमेंट की आवश्यकता है। उसके पहले भी कोई पोलिटिकल पार्टी अगर लगातार पैसा खर्च करती है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम सीटिंग एमपी हैं, हम कोई न कोई रैली करते रहते हैं, लोग सोचते हैं कि हम इलेक्शन कमिशन को बताते हैं कि हमने दस लाख खर्च किया या इतने पैसे खर्च किए, तो लोग कहते हैं कि झूठ की खानापूर्ति करने के लिए कह रहे हैं। मेरा मानना है कि सैक्शन 77(ए) में आपको बदलाव करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि पालिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिल रहा है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। मेरा दूसरा आग्रह है कि सैक्शन 182(1) जो कम्पनीज एक्ट वर्ष 2013 का है, उसमें संशोधन करना चाहिए कि जो पैसा पालिटिकल पार्टी को कम्पनियां दे रही हैं, वे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अपने आप तय कर लेते हैं जबकि आपको पता है कि कम्पनियों में इक्विटी मुश्किल से दो परसेंट, चार परसेंट, दस परसेंट होती है और 90 परसेंट पैसा कम्पनियों में आम लोगों का है। इसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग की आवश्यकता है। एजीएम के बिना ही बोर्ड आफ डायरेक्टर्स उसे पास कर लेते हैं। मेरा मानना है कि आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए कि जो पालिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाएगा, वह एजीएम से तय होगा न कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से तय होगा। इसके अलावा जो डिस्क्लोजर है, 78 रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट का, उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। एक न्यु सैक्शन 78 (ए) लगाने की आवश्यकता है जिससे कि जो डिस्ट्रिक्ट इलैक्शन आफिसर है, वह अपनी वेबसाइट पर इंस्पेक्शन करता है, दौरा करता है कि किस आफिसर ने क्या चीजें की हैं और कौन-सी नहीं की है। हमारे और आपके ऊपर आचार संहिता का केस लग जाता है। मान लीजिए कि खंभे पर पोस्टर लगा है और केंडिडेट दूसरी जगह पर है, जिस दिन पोस्टर लगा है, उसमें केंडिडेट को मतलब ही नहीं है। आपका कोई विरोधी ऐसा काम कर देता है तो आपके ऊपर आचार संहिता का केस हो जाता है। अगर कहीं हेलीकाप्टर गलत लैंड हो गया और जो प्रचार करने जा रहा है, उसे तो पता ही नहीं है कि उसे कहां उतारा जा रहा है। उसे तो यह पता है कि उसे यहां जा कर भाषण देना है। इन चीजों में जो पारदर्शिता नहीं है, उन्हें चेंज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इन्नर पार्टी डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी पालिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो आइडियोलोजी के कारण ज्वाइन करता है। जब हम यहां एमपी बनकर आते हैं तो पार्टी की आइडियोलोजी तो रखते हैं लेकिन हमारा जो महत्वपूर्ण काम है कि हमारे यहां की जनता की जो समस्याएं हैं उनका क्या होगा। वहां सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है लेकिन यहां किसी न किसी कारण संसद चलने नहीं देते हैं या पालिटिकल पार्टी के दबाव में हमें काम करना पड़ता है इसलिए इन्नर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं, यह सोचने की बात है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: बोलने के लिए आठ और सदस्य हैं। श्री दुबे, कृपया समाप्त करें।

श्री निशिकान्त दुबे: मैं तीन से चार मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। [हिन्दी] इसके बाद प्रपोरशन आफ रिप्रेजेंटेशन जो है, कई एक इलाके पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है कि शहरों के ज्यादा लोग आ जाते हैं और गांव का प्रतिनिधित्व कम होता है। किसानों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, इसके लिए पारदर्शिता होनी चाहिए कि पूरे पोलिटिकल सिस्टम में सभी का प्रतिनिधित्व बराबर का होना चाहिए। अलग-अलग वर्ग का कैसे रिप्रेजेंटेशन हो, यह भी देखने की जरूरत है।

एंटी डिफेक्शन लॉ एक मौकरी बन गया है। हमने जिस आधार पर इसे बनाया था, वह काम नहीं कर पा रहा है, तो हम इसे कैसे स्ट्रेनदेन कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मैंने अपने तक़रीर में कही कि इलेक्शन कमीशन का एक कैडर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है। स्टेट के ऊपर और बहुत-से लोगों के ऊपर उसे निर्भर करना होता है। इसलिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए इसका एक कैडर होना चाहिए।

मैं पेड न्यूज़ के संबंध में कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, तो कोई इलैक्ट्रोनिक मीडिया वाला या कोई प्रिंट मीडिया कहता है कि इतना पैसा दीजिए तो हम आपको इतना समय देंगे। श्री चौहान साहब इस सदन के सदस्य हैं, उन्हीं के केस में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, मुझे लगता है कि आज वह समय आ गया है कि पेड न्यूज़ और एडवर्टिजमेंट के बारे में कदम उठाना है।

इसके बाद ओपिनियन पोल की बात आती है। अभी ओपिनियन पोल का कितना बुरा हाल हुआ, अभी आपने देखा है। किस तरह से ओपिनियन पोल लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करता है और इससे जो दो-चार प्रतिशत फ्लोटिंग है, वह प्रभावित होता है। इस रिफॉर्म से ओपिनियन पोल पर क्या असर होगा, इलेक्शन पिटीशन पर क्या असर होगा?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब चुनाव लड़ने जाते हैं, तो हमारे लिए अलग वोटिंग रजिस्टर बना हुआ है कि किनको-किनको वोट करना है। विधान सभा के लिए अलग है, मुखिया के लिए अलग है, जिला परिषद यानी पंचायती राज सिस्टम के लिए राज्य ने अलग से व्यवस्था की है। लोक सभा चुनाव का अलग से है। यहाँ तक कि बूथ का भी अलग से है। मेरा यह कहना है कि पूरा देश एक है। एक ही देश में अलग-अलग बूथ कैसे हो सकते हैं। वोटर्स का जो रजिस्ट्रेशन है कि कौन किसमें वोट देगा, उसमें उसका अलग वोट है, इसका कारण यह होता है कि जिन्होंने मुखिया के चुनाव में वोट दिया है, जिन्होंने जिला परिषद के चुनाव में वोट दिया है, जब लोक सभा का चुनाव आने लगता है, तो उनका नाम कटा हुआ नज़र आने लगता है। वे इस भरोसे में रहते हैं कि मेरा नाम उसमें ऑलरेडी मौजूद है। मेरा यह कहना है कि इस सिस्टम में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है कि वोटर लिस्ट एक ही होगा चाहे वह लोक सभा का हो, चाहे विधान सभा का हो, चाहे पंचायत चुनाव का हो। पोलिंग स्टेशन भी एक ही होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल पाए। नहीं तो, होता यह है कि कोई मुखिया के चुनाव में अपने गांव में वोट देते हैं और जब लोक सभा का चुनाव होता है, तो तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उनको यह अंदाजा ही नहीं होता है कि ये सारी चीजें होती हैं। मेरा यह मानना है कि आज समय यह है कि ब्लैक मनी कैसे खत्म होगी, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, जब ये सब काम कर लेंगे, जब यह देश इतना परिपक्व हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो जाएगा, तब कम्पलसरी वोट का समय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : धन्यवाद मैडम। श्री निशिकान्त दुबे ने सारी महाभारत का वर्णन कर दिया है, अब ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। वह इतना निर्दयी हैं, यह मुझे पहले पता नहीं था कि सारी बातें उन्होंने बता दीं, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है।

मैडम, हम पहली बार देख रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल में इनिशिएटिव के अलावा भी इतने सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया। जो जिम्मेदारी निशिकान्त दुबे जी को दी गयी थी, ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ये बुफे सिस्टम में आए हैं, जो पहले आया, उसने खा लिया।

श्री अधीर रंजन चौधरी : श्री निशिकान्त दुबे जी के ऊपर जो दायित्व सौंपा गया था, उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया है।

[अनुवाद]

मैं अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 नाम के तहत श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा पुरःस्थापित विधेयक पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। यह देश में मतदाताओं के लिए अनिवार्य मतदान की व्यवस्था करने और इससे संबंधित मामलों के लिए प्रस्तावित किया गया है।

अनिवार्य मतदान की अवधारणा पहले भी इस सभा में और सभा के बाहर भी पेश की जा चुकी है। यह कोई नई अवधारणा नहीं है जिसकी जांच की जा रही है। विगत वर्षों में, हमारे देश के विभिन्न मंचों और वैश्विक क्षेत्र में भी अनिवार्य मतदान की अवधारणा पर चर्चा की गई है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी आबादी एक अरब से अधिक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह देखा गया है कि लगभग 50 प्रतिशत पात्र मतदाता ही अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करते हैं। देश में लगभग सभी चुनावों में, यह देखा गया है कि वास्तविक मतदाताओं की संख्या - मैं इसे उजागर करना चाहूंगा - पात्र मतदाताओं की संख्या से बहुत कम है।

पिछले लोक सभा चुनाव में पात्र मतदाताओं की संख्या 81 करोड़ से अधिक थी। यह वास्तव में भारतीय लोकतंत्र का एक मनगढ़ंत पहलू है कि 81 करोड़ पात्र मतदाता हैं जो इस देश को चलाने के लिए अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को चुनने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करने के हकदार हैं। इसलिए, स्वाभाविक रूप से हमें इस पर गर्व है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह दुनिया में एक गौरवशाली लोकतंत्र है और यह दुनिया में एक जीवंत लोकतंत्र है।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन उसी कड़ी में मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि भारत एक लोकतंत्र के रूप में विकास की प्रक्रिया में है। हम, एक देश के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य यूरोपीय देशों की तरह परिपक्व लोकतंत्र का ताज अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हमें अभी भी एक परिपक्व लोकतंत्र के बजाय एक विकसित लोकतंत्र के रूप में पहचाना जाता है। तो, जो सॉस हंस के लिए है वह गैंडर के लिए सॉस नहीं हो सकती। इसलिए, हमें अपने देश को चलाने के लिए लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों से समझौता किए बिना अपने तरीके विकसित करने होंगे।

अपराह्न 5.01 बजे (श्री पी. वेणुगोपाल *पीठासीन हुए*)

इसलिए, हमने अपनी चुनाव प्रणाली में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए कभी किसी प्रकार के बलपूर्वक उपाय नहीं किए। हमने कभी भी किसी प्रकार की बलपूर्वक नीति को प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि अपने देश में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए हमने हमेशा प्रयत्नशील नीति को प्रोत्साहित किया। इसलिए, वास्तविक मतदाताओं की संख्या और पात्र मतदाताओं की संख्या के बीच का अंतर बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप औसत मतदान भी कम है। इसलिए, मेरे सम्मानित सहयोगी ने सुझाव दिया है कि नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अपने वोटों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार के विधायी उपाय शुरू किए जाने चाहिए ताकि चुनावों के परिणाम मतदाताओं की इच्छा को दिखा सकें न कि केवल उनका एक खंड।

महोदय, यह एक स्पष्ट तर्क है। इससे कोई इनकार नहीं है। यदि हम में से कोई भी मेरे तत्काल प्रतियोगी से एक भी वोट प्राप्त कर सकता है, तो मुझे एक भी वोट के अंतर से निर्वाचित घोषित किया जाएगा। पहले हमारे देश में पोस्ट पॉलिसी अपनाई जा रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी तरह से, निर्वाचित व्यक्ति जिसने एक वोट से चुनाव जीता है और यहां तक कि 50 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं है, उसे मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। हालांकि, वह चुने गए हैं। स्वाभाविक रूप से, यह कहने में किसी प्रकार का विरोधाभास और भ्रम है कि निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचक मंडल के बहुमत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह इस तर्क से स्थापित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह हमारे देश का आदर्श और परिपाटी बन गया है।

यहां मेरे सम्मानित सहयोगी ने भी कहा कि कम मतदान प्रतिशत की समस्या बदतर हो गई है और मतदान का प्रतिशत 50 प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। कई मामलों में, नागरिक जानबूझकर वोट डालने या यहां तक कि चुनावों का बहिष्कार करने से बच रहे थे। इसलिए, विधेयक में कुछ प्रतिबंधों के अधीन सभी मतदाताओं के लिए मतदान को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया गया है ताकि देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। हालाँकि, जो नागरिक शारीरिक रूप से अक्षम हैं या जिनके पास *वास्तविक* कारण हैं, उन्हें अधिनियम के तहत छूट दी गई है। चूंकि मतदान अनिवार्य किया जा रहा है, इसलिए वोट नहीं डालने वालों को सजा देने की भी मांग की गई है। साथ ही, उन लोगों के लिए भी प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया जाता है जो बिना ब्रेक के या बीमारी के बावजूद मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करते हैं।

इस विधायी दस्तावेज़ में मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन और दंड की नीति का प्रस्ताव किया गया है। एक ओर जहां सजा का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर प्रोत्साहन का प्रावधान भी रखा गया है। इसका मतलब है कि इस विधायी दस्तावेज़ में दोनों – प्रोत्साहन और धमकी – का समावेश किया गया है। यह एक नया पहलू है जो यहाँ जोड़ा गया है। प्रोत्साहन और धमकी या डर, ये दो हथियार हैं जो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और बाद में खेले जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कुछ रोज पहले बिहार में चुनाव हो रहे थे तो बंगाल में बिहार के रहने वाले पैसे वाले लोगों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि बिहार में चुनाव कैसे हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मैंने उनसे पूछा कि कौन जीतेगा? उन्होंने कहा कि बीजेपी जीतेगी। किसने पैसा डाला और कौन पानी की तरह से पैसा बहा रहा है, यह मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और समझ लो बीजेपी भारी बहुमत से जीत जायेगी। तब यह धारणा हममें भी पैदा हुई थी कि जिस तरीके की वहां हाई पिच कैम्पेन हो रही है, जहां के आसमान में उड़नखटोला छा गये थे, चारों तरफ उड़नखटोला ही उड़नखटोला आसमान में छा गये थे। लोग सोचते थे कि ये देवदूत लोग कहां से आ रहे हैं। हम लोगों ने भी सोचा था कि बिहार में नतीजा वैसा ही होगा, जो बीजेपी की सोच में है। लेकिन बाद में देखा कि [अनुवाद] आम लोगों ने सत्तारूढ़ शासन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे मतदाताओं को प्रेरित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने की पेशकश की गई हो। यदि वे अपना वोट डालने में सक्षम हैं, तो कई लोगों की किस्मत पलट सकती है, जैसा कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट है।

[हिन्दी]

सर, मैं भी बंगाल से आता हूँ। कुछ महीने पहले बंगाल में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव हुए हैं। आप सब लोग टीवी पर देखिए हैं। उस चुनाव में बेतहाशा दहशतगर्दी सबको देखने को मिली है। सौगत दादा यहां हैं। सौगत दादा बुरा नहीं मानोगे, लेकिन जो हुआ सो हुआ। ...(व्यवधान) कलकत्ता में दिन दहाड़े पुलिस की पूरी चकाचौंध में, प्रशासन की पूरी चकाचौंध में, गुंडागर्दी इस तरीके की हुई थी कि आम लोगों की हिम्मत वोट देने की नहीं हुई। स्टेट इलैक्शन कमिश्नर तो सूबे की सरकार के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी क्या हिम्मत है कुछ कहने की, उनकी बोलने की क्या हिम्मत है? वे तो खुद सरकार से डरते हैं। बिना कुछ बोले इलैक्शन कमीशन की सिक्युरिटी को उठा लिया जाता है। उनको डराने की कोशिश की जाती है, भड़काने की कोशिश

की जाती है। समझ लीजिए कि बंगाल के जो चुनाव टीएमसी के जमाने में हुए, उसमें जो खून बहा और यह लोकतंत्र का मजाक देखने को मिला। यह हम सबके लिए शर्मिंदा की बात है कि जो सरकार कहती है कि हम लोग माँ मानुष और माटी की सरकार बनाएंगे, उसी के ज़माने में गुंडागर्दी और दहशतगर्दी देखते हुए, बंगाल के लोगों के साथ-साथ, पूरे हिंदुस्तान के लोग चौंक गए कि ये क्या देख रहे हैं। वह यह बंगाल है, जिस बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ले कर, रवींद्रनाथ टैगोर और नजीरूल इस्लाम हुए हैं, यह वह बंगाल है, जहा रामकृष्ण टैगोर से ले कर स्वामी विवेकानंद की भूमि है। सब लोग घबरा गए हैं। आज हमें जा कर लोगों को यह कहना पड़ता है कि घबराओ मत, क्योंकि छह महीने बाद वहां फिर चुनाव होने वाला है। हमारे यहां चुनाव होंगे, केरल में होंगे, असम में होंगे। अभी वहां के आम लोग यह कहते हैं कि भाई साहब आप चुनाव के बारे में बात करना शुरू किए हैं, लेकिन विधान सभा चुनावों में क्या हम लोग वोट डाल सकेंगे? क्या हमें वोट डालने का मौका मिलेगा? हमें कोई पीटेगा तो नहीं? हमें कोई मारेगा तो नहीं? आपको सुनने में अचरज होगा कि विपक्षी दलों के जो लोग हैं, जैसे कि हमारी पार्टी के लोग हैं, चुनाव आते ही सत्तारूढ़ पार्टी एक प्लान बना लेती है, कौन सा प्लान? जहां हमारे एक्टिव लीडर्स लोग हैं, हमारे वरिष्ठ लीडर्स लोग हैं, उन्हीं सबको तरह-तरह के झूठे इल्जाम से फंसाने की साजिश बन रही है, उनको सलाखों के पीछे किया जा रहा है। इसलिए कि चुनाव आने के पहले ही ये सारे किस्से खत्म किए जाएं। इसको कौन संभालेगा? इसको कौन रोकेगा? क्योंकि सत्ता और लॉ एण्ड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो इसको कौन रोकेगा? हाँ लोगों को हम यह भरोसा तो जरूर दिलाते हैं कि घबराओ नहीं, अगले चुनाव सेंट्रल इलैक्शन कमीशन करेगा। जब सेंट्रल इलैक्शन कमीशन करेगा तो बिहार जैसा वोटिंग होगा। यह हम उदाहरण के तौर पर आम लोगों को कहते हैं। उनको हिम्मत और ताकत देने के लिए कहते हैं। उनको हम लोग कहते हैं कि घबराओ नहीं, तुमने देखा नहीं कि बिहार में किस तरीके के कड़े कदम उठाए गए। उसी तरह के कड़े कदम यहां भी उठाए जाएंगे, क्योंकि इलैक्शन कमीशन किसी पार्टी की बात नहीं सुनते हैं। यह भरोसा अब तक है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, अभी भी आठ सदस्य हैं जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। यदि सभा की सहमति हो तो विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय और बढ़ाया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी, कृपया जारी रखें।

… (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): इसे एक घंटे तक कैसे बढ़ाया जा सकता है? मैंने पहले ही एक सुझाव दिया है।

माननीय सभापति: आठ और माननीय सदस्य बोलने के लिए मौजूद हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: कृपया मेरी बात सुनें। मेरा कहना यह है कि राज्य सभा ने जो विधेयक स्वीकृत किया है या पारित किया है, वह इस सदन के समक्ष लंबित है। हमें उस विधेयक को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जो हमारे समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है। इसलिए, निश्चित रूप से, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति: आप पहले ही यह सुझाव दे चुके हैं। आप इसे फिर क्यों उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, जब स्वीकृति हो गई है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : महोदय, आठ लोग बोलने वाले हैं तो कैसे होगा?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैंने सुझाव दिया है। पहले समय बढ़ाया गया और अब इसे और बढ़ाया जा रहा है। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: बोलने के लिए आठ और सदस्य हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : वे लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पर आठ लोग बोलने वाले हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं सख्ती से नियमों का पालन कर रहा हूं। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय उस समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता उपसभापति करते हैं। इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था। अब, यह समय सात घंटे बढ़ चुका है। मेरा कहना है कि अगर समय और बढ़ाया जाता है, तो इससे यह संदेश जाएगा कि सभा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विधेयक पर चर्चा नहीं करेगी।। यह मेरी राय है। इसलिए, मेरा कहना यह है कि कृपया आज चर्चा समाप्त करें। मुझे कम-से-कम विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। हम 18 तारीख को इस पर चर्चा कर सकते हैं। अन्यथा, यह चौथी बार है जब मेरे विधेयक को सूचीबद्ध किया जा रहा है और उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। दुर्भाग्य से, यह सभा अनिवार्य मतदान विधेयक पर चर्चा को लंबा खींच रही है और समाज के वंचित वर्गों के अधिकार से वंचित कर रही है। (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: उन्हें पहले इसे पूरा करने दें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: इस विधेयक में आवंटित कुल समय दो घंटे का है। प्रस्तावक ने एक घंटे से अधिक समय लिया है। आप कितना समय देंगे? यह मेरा सदन से सवाल है।

माननीय सभापति: अधिक सदस्य बोलने के लिए तैयार हैं। आप सदस्यों की इच्छा से कैसे इनकार कर सकते हैं? आठ और सदस्य बोलने के लिए हैं। आप उन्हें यह अवसर देने से कैसे इंकार कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : आप उन्हें बोलने से कैसे रोक सकते हैं?...(व्यवधान) यह आपका अधिकार है तो प्राइवेट मेंबर में और भी आठ लोगों का अधिकार भी है, वे बोलना चाहते हैं।...(व्यवधान) यह सरकारी बिल तो है नहीं।...(व्यवधान) आप कैसे आठ लोगों की बात को रोक सकते हैं?...(व्यवधान) सरकार ने कह दिया है और वह चाहती है कि आपका बिल आ जाए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: हर सदस्य बोलने के लिए तैयार है। सदस्यों को बोलने का अधिकार है। यह सदन की मर्यादा का सवाल है। चर्चा को कैसे समाप्त करें? मान लीजिए कि सभी सदस्य बोलना चाहते हैं। क्या इसकी अनुमति दी जाएगी? यही मेरा प्रश्न है। इसलिए, हम विधेयक के लिए समय निर्धारित कर रहे हैं।

माननीय सभापति: आइये सबसे पहले इस विधेयक को पूरा करें। चलिए बाद में देखते हैं।

प्रो. सौगत राय (दम दम): मैं उनकी चिंता समझ सकता हूँ। वे स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं क्योंकि दूसरा विधेयक उनके नाम पर है। स्वाभाविक रूप से, जब उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया है, तो उन्हें उम्मीद होगी कि वे उस पर बोलें। मैं यह सुझाव देता हूँ। चूंकि कई सदस्यों की रुचि है, इसलिए चर्चा को जारी रखें। इस बीच, श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा अपना भाषण समाप्त करने के बाद, उन्हें यह प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाए कि विधेयक पर विचार किया जाए।

माननीय सभापति: प्रो. राय, यह भी एक महत्वपूर्ण विधेयक है। श्री प्रेमचन्द्रन, आप 18 तारीख को इस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: ऑलरेडी जब भी यह डिस्कशन खत्म होगा, वह बिल लैप्स नहीं करेगा।...(व्यवधान) मैं केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जब यह बिल खत्म होगा, ऑटोमेटिक वह बिल सबसे पहले लिया जाएगा।...(व्यवधान) इसके बाद वही होगा।...(व्यवधान) वह लैप्स नहीं होगा।...(व्यवधान) मूव तो वे करते हैं, जौ लैप्स होता है।...(व्यवधान) वह बिल लैप्स नहीं होगा।...(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, तब तो कोई बात ही नहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: सदन एक घंटे तक समय बढ़ाने के लिए सहमत है। श्री अधीर रंजन चौधरी, कृपया जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मैं अभी यह बात रख रहा था कि लोगों को हमें यह समझाना पड़ता है कि हिंदुस्तान में एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, आप डरो मत और चुनाव के समय आपके वोट डालने के मौके को सुरक्षित किया जाएगा। मैं इसलिए यह मुद्दा उठा रहा हूँ कि इससे यह साबित होता है कि आज भी हिन्दुस्तान में डैमोक्रेसी रहते हुए भी आम लोग चुनावों में भाग नहीं ले पाते हैं और इसीलिए चुनाव आयोग को करोड़ों रुपये खर्च कर फौज तैनात करनी पड़ती है। यह फौज हमें क्यों तैनात करनी पड़ती है? क्या यह हमारी डैमोक्रेसी की खामी नहीं है? हमारी डैमोक्रेसी की सबसे बड़ी खामी यह है कि- [अनुवाद] मतदाताओं को वोट डालने के लिए सुनिश्चित करने के लिए, हमें भारी खर्च वहन करते हुए अपने सुरक्षा बलों और टुकड़ियों को तैनात करना होगा। मुझे लगता है, यह हमारे देश में, बल्कि मैं तो कहूं, लोकतांत्रिक कमी का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह लोकतंत्र की कमी है; यह लोकतंत्र की कमी है जिसे हम अपने देश में देख रहे हैं। मेरे सम्मानित सहयोगी, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, बहुत विश्वास के साथ, उनके पास इस कानून को लाने का एक स्पष्ट दृष्टिकोण और इरादा है, उनका इरादा हमारे लोकतंत्र को

मजबूत करने का है ताकि हमें दुनिया के अन्य परिपक्व लोकतंत्रों के समान मान्यता मिल सके। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि केवल दंडात्मक उपायों से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हो सकते हैं जैसा कि इस कानून को लाकर मांगा गया है। मैं जोसेफ ए. शम्पीटर को उद्धृत करना चाहता हूं- "लोकतंत्र एक राजनीतिक पद्धति या राजनीतिक-विधायी और प्रशासनिक-निर्णयों पर पहुंचने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था है, जिसमें लोगों के वोट के सफल अनुसरण के परिणामस्वरूप सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए कुछ व्यक्तिगत शक्तियों में निहित किया जाता है। " भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और हमने अपने देश के लोगों के बलिदान से और आम लोगों के विवेक और सहमति को विश्वास में लेकर स्वतंत्रता प्राप्त की है, हमने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है। दुनिया में लोकतंत्र नया नहीं है। भारत में भी लोकतंत्र को हमारी प्राचीन सभ्यता द्वारा पोषित किया गया था। हालांकि, आधुनिक लोकतंत्र को एथेनियन नेता, पेरिकल्स से पता लगाया जा सकता है जिन्होंने इसे एक ऐसी सरकार के रूप में परिभाषित किया है जिसमें लोग शक्तिशाली हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार, यह लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा और लोगों के लिए। हेरोडोटस के समय से, 'लोकतंत्र' शब्द का उपयोग सरकार के उस रूप को दर्शाने के लिए किया गया है जिसमें किसी राज्य की सत्तारूढ़ शक्ति मुख्य रूप से किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं बल्कि समग्र रूप से समुदाय के सदस्यों में निहित है।

महोदय, एक लोकतंत्र में, मतदाता इस संस्था का केंद्रीय हिस्सा होते हैं। चुनाव लोकतंत्र की अवधारणा में केंद्रीय और मूल गतिविधि है। चूंकि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है, इसलिए मतदान के द्वारा ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा की जाती है। चुनावी प्रणालियाँ वे मुख्य उपकरण हैं जिनके माध्यम से सहभागिता और प्रतिनिधित्व के विचार वास्तविकता में परिवर्तित होते हैं। चुनाव प्रणाली का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों का संसद में सीटों पर आदान-प्रदान करना है। इसलिए, चुनाव और लोकतंत्र हमारे देश को मजबूत करने में सहजीवी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, अधिक से अधिक मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए ताकि हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों को और मजबूत किया जा सके। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, हमें आवश्यक उपायों के बारे में सोचना चाहिए।

यहां हम अनिवार्य मतदान पर विचार कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में अनिवार्य मतदान का अनुभव किया गया है। मेरे सम्मानित सहयोगी श्री निशिकान्त दुबे ने भी अनिवार्य मतदान और इसके परिणामों के संबंध में कई उदाहरणों का उल्लेख किया था। अनिवार्य मतदान की पहली वकालत अल्फ्रेड डेकिंग ने 20 वीं शताब्दी के मोड़ पर की थी। पहले संघीय चुनावों में स्वैच्छिक मतदान हुआ था। संघीय चुनावों के लिए अनिवार्य नामांकन वर्ष 1911 में पेश किया गया था। वर्ष 1915 में, प्रस्तावित जनमत संग्रह के लिए अनिवार्य मतदान शुरू करने पर विचार किया गया था। क्योंकि जनमत संग्रह कभी नहीं किया गया था, विचार का अनुसरण नहीं किया गया था। यहां, अनिवार्य मतदान पर पहली बार वर्ष 1950 में हमारी संसद द्वारा विचार किया गया था और हमारे संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि यह भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त नहीं था।

महोदय, दुनिया में, 28 देश उस प्रवृत्ति को इंगित करते हैं जिसके प्रति देश विश्व स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां मैं आपकी सुविधा के लिए कुछ संदर्भों को उद्धृत करना चाहूंगा। अनिवार्य मतदान पहली बार वर्ष 1892 में बेल्जियम में शुरू किया गया था।

अर्जेंटीना में इसे वर्ष 1914 में और ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 1924 में पेश किया गया था। अनिवार्य मतदान का क्या मतलब है? हम अनिवार्य मतदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

अनिवार्य मतदान एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मतदाताओं को चुनाव में मतदान करने या मतदान के दिन मतदान करने के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ पर दिनेश गोस्वामी समिति की प्रतिवेदन का भी हवाला दिया गया है, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। यहां, तारकुंडे समिति की रिपोर्ट भी प्रासंगिक है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा; मैं उद्धृत करता हूं:

> "हमने इन चुनावों में मतदाताओं के लिए मतदान करना अनिवार्य बनाने की वांछनीयता पर गंभीरता से विचार किया है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अनिवार्य मतदान से मतदाता नाराज हो सकते हैं और कुल मिलाकर यह अनुत्पादक साबित हो सकता है। यह वांछनीय है कि

किसी को वोट देने के कर्तव्य का अनुपालन मजबूरी के बजाय अनुनय और राजनीतिक शिक्षा द्वारा लाया जाना चाहिए। इसके अलावा, अनिवार्य मतदान के कानून का कार्यान्वयन बहुत कठिन होने की संभावना है और इसके दुरुपयोग हो सकता है। "

अनिवार्य मतदान को पहली बार 28 देशों में प्रतिवेदन के अनुसार पेश किया गया था। किंतु अधिकांश देश अनिवार्य मतदान के विचार को धीरे-धीरे अस्वीकार करते जा रहे हैं। यहां तक कि गुजरात में - इसे निशिकान्त दुबे *जी* को संदर्भित किया गया है - जहां अनिवार्य मतदान को प्रगतिशील उपाय के रूप में पेश किया गया था, इसे उच्च न्यायालय के फैसले से भी अस्वीकार कर दिया गया है। स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य मतदान की सफलता बहुत उत्साहजनक नहीं रही है, मैं यह कह सकता हूँ।

किसी भी तरह की बाध्यता एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार का मतलब है कि यह बुनियादी मानव स्वतंत्रताओं और अधिकारों, विशेष रूप से स्वतंत्र चयन, के सम्मान पर आधारित है। हालांकि, अगर मतदान को अनिवार्य बना दिया जाता है तो यह उल्लंघन हो सकता है क्योंकि लोगों के पास अपनी राय न व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। जैसे हम मतदान करने की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, वैसे ही हम मतदान न करने का अधिकार भी रखते हैं।… (*व्यवधान*) यह उन व्यक्तियों को मजबूर कर सकता है जो सरकार बनाने में हिस्सा लेने में कोई रुचि नहीं रखते, वोट देने के लिए। हालांकि यह नागरिकों को खुद को शिक्षित करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन यह भी संभावना है कि जो लोग ईमानदारी से रुचि नहीं रखते, उन्हें वोट देने के लिए मजबूर किया जाएगा। इससे लोग उम्मीदवारों को यादृच्छिक रूप से चुन सकते हैं, जिससे चुनाव का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, जो कि योग्य लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर रखना है। दूसरे शब्दों में, वोट और चुनावों पर खर्च किया गया बजट बर्बाद हो जाएगा। यह मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है; यह विशेषज्ञों की भी राय है।

यह धर्म को व्यक्त करने के अधिकार को कम कर सकता है। यह अपने धर्म को व्यक्त करने के लिए लोगों के अधिकारों को छीन सकता है। ऐसे धार्मिक क्षेत्र हैं जो अपने सदस्यों को राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग

लेने से हतोत्साहित करते हैं। इसलिए, उन्हें मतदान करने के लिए मजबूर करना स्पष्ट रूप से उनके धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है।

फिर से, जो लोग मतदान नहीं करना चुनेंगे, उन्हें दंडित करना अस्वीकार्य और गैरकानूनी होगा। यह उन लोगों को दंडित करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा जो अपने मताधिकार का पालन करने से इनकार करते हैं। फिर से, मतदान एक अधिकार है - यह एक कर्तव्य नहीं है - जिसका अर्थ है कि लोगों को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मतदान करना है या नहीं।

इसके अलावा, उन नागरिकों को दंड और सजा देना गैरकानूनी होगा, जिनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया; उन्होंने किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया; और उन्होंने किसी भी कानून को नहीं तोड़ा। लेकिन सभी के बावजूद, उन्हें बिना किसी गलती के दंडित किया जाएगा। मेरा मानना है कि यह किसी भी लोकतांत्रिक अवधारणा के विपरीत है।

महोदय, अनिवार्य मतदान का मतलब है ऐसे मत पत्र जिनमें सही तरीके से चिह्नित नहीं किया गया हो, जो अनौपचारिक मतों को बढ़ावा देता है। अनौपचारिक वोट का मतलब है कि मतदान नियमों के अनुसार सही तरीके से चिह्नित न किए गए मत पत्र, जिन्हें हर चुनाव में मतदाताओं की बड़ी संख्या के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने पहले ही हमारे चुनावी प्रक्रिया में 'नोटा' को शामिल किया है।

अब, मैं हमारे माननीय विधि मंत्री को बताना चाहूंगा कि इस तरह के कानून को लागू करने के लिए काफी धन की आवश्यकता होगी। आप संसाधनों को कैसे जुटाएंगे? यदि मतदान अनिवार्य हो जाता है, तो सरकार इसका उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए मजबूर होगी? इसे लागू करने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। इसमें यह भी पता लगाना शामिल होगा कि किसने जनादेश को तोड़ा है या नहीं, हालांकि कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप जुर्माना होगा। लेकिन यह इस बात की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सका कि सरकार को कानून लागू करने के लिए क्या खर्च करना है।

यदि सजा दी जाती, तो मुझे लगता है, केवल गरीब और सीमांत लोग ही गंभीर रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि अमीर जुर्माना भर सकते हैं। लंबे समय तक, यदि हम लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर करेंगे, तो गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग अधिक प्रभावित होंगे। यह सभी पक्षों के लिए डर पैदा करने जैसा है। यदि अनिवार्य मतदान को लागू करना लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, यानी न वोट डालने का अधिकार, तो यह एक व्यावहारिक कानून नहीं होगा।

इसलिए मेरा सुझाव है कि अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि हमारे आम लोग, जो हमारे देश के मतदाता हैं, उन्हें इस बात की जानकारी हो कि यह उनका मौलिक अधिकार है जिसे हमारे देश के नागरिक के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए यदि हम अपने मतदान तंत्र में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी चाहते हैं तो अधिक से अधिक शैक्षिक उपायों और जागरूकता उपायों का सहारा लिया जाना चाहिए।

मैं अपने सम्माननीय सहयोगी, श्री सीग्रीवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस कानून को ईमानदारी से पेश किया है। लेकिन तथ्य यह है कि भारत जैसे देश में, जहां अशिक्षा अभी भी एक बड़ी समस्या है, लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं और तंत्र-मंत्र का प्रचलन लगातार जारी है, वहां यह कदम लोकतांत्रिक रूप से उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए, मेरा सुझाव है कि अनिवार्य मतदान व्यवस्था को लागू करने से पहले अधिक प्रभावी और प्रेरक उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले अभिनन्दन देना चाहूँगा सीग्रीवाल जी को, जो यह कंपल्सरी वोटिंग का बिल इस सदन में लेकर आए हैं।

महोदय, इस पूरी सृष्टि को यदि हम देखते हैं तो मुझे तीन बातें ध्यान में आती हैं। यह कहा जाता है कि एक विधि का विधान होता है, दूसरा देश का जो हम संविधान बनाते हैं, वह संविधान होता है और तीसरा

मतदान होता है। विधि का विधान, यह कहा जाता है कि परमात्मा या प्रारब्ध से जो हमें मिलता है, उसे विधि का विधान हम कहते हैं, जो हमे प्रारब्ध में मिल जाता है। हम संविधान के तहत यह तय करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा हो सकता है, हम संविधान बनाते हैं, एक विधि का विधान जहां भविष्य तय हो जाता है, एक संविधान जहां पर हम इस भविष्य को तय करते हैं कि यह कैसे होगा और एक मतदान है, जहां पर हम यह तय करते हैं कि भविष्य देने वाला कौन हो सकता है? यह हम उस मतदान के माध्यम से तय करते हैं।

इस भारत देश के अंदर जहां सुशिक्षित समाज बसता है, वहीं पर आशिक्षित समाज भी बसता है। यहां गरीबी-अमीरी है। भारत कई सारी भाषाओं और विविधताओं के साथ चलता है और अनेकता में एकता के सूत्र को लेकर जब भारत चलता है, वहां कई सारे असामंजस्य भी फैले हुए हैं। अगड़ा-पिछड़ा और मेजॉरिटी-माइनॉरिटी, ऐसी कई बातों की वजह से देश कई बार संघर्ष भी करता है। जब मतदान की बात आती है तो इस देश के अंदर लगभग 70-80 करोड़ जो मतदाता हैं, ये मतदाता जिनको मतदान का आधिकार है, सबसे पहले तो यह तय होना जरूरी है कि मतदान हमारा आधिकार है, या यह जिम्मेदारी है। जब इस मतदान के लिए वोटर कार्ड्स बनते हैं तो मैं बड़े दुःख के साथ यह कहना चाहूंगा कि वोटर कार्ड्स मतदान से ज्यादा, कौन-सी सुविधायें ज्यादा से ज्यादा उस मतदान पत्र या उस वोटिंग कार्ड के साथ मिल सकती हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, न कि मतदान के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मैं यह मानता हूं कि जो मतदान पत्र या पहचान पत्र मिलते हैं, उस पहचान पत्र के साथ-साथ मतदान का आनिवार्यकरण करने के लिए हम विचार करते हैं तो सुविधाओं का उसमें विचार करना बहुत आवश्यक है।

इस देश के अंदर कई जगहों पर 55 प्रतिशत मतदान होता है और कई जगह पर यह बड़ी मुश्किल से 40-45 प्रतिशत मतदान होता है। यदि यह माना कि 55 प्रतिशत मतदान हुआ और 55 प्रतिशत मतदान होने पर लगभग 10 पार्टियां वहां से चुनाव लड़ती हैं तो वह मतदान 10 पार्टियों में विभाजित हो जाता है और 45 प्रतिशत लोगों ने वहां मतदान ही नहीं किया है, उनमें ज्यादातर वे लोग होते हैं जो डिसिजन मेकर्स भी कहे जाते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा यह प्रचार भी करते हैं कि सरकार यह काम नहीं करती है, वह काम नहीं करती

है, डिसिजन बनाने का काम समाज में करती है, लेकिन जब मतदान का समय आता है तो या तो वे छुट्टी पर चले जाते हैं या उसको हॉलीडे भी माना जाता है, वे मतदान नहीं करते हैं। लेकिन ये 55 प्रतिशत जो मतदान होता है, वह 10 पार्टियों में बंट जाता है और 12 प्रतिशत वोट प्राप्त करने वाली पार्टी चुनाव में जीत जाती है और उनकी सरकार बन जाती है। इस तरह से पारदर्शिता का महत्व भी खो जाता है। उस मतदान की सत्यता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यदि इस देश के अंदर हमें विकास लाना है तो मैं यह मानता हूं कि केवल विकास लाने से बात आगे नहीं बढ़ती है, उसकी शिक्षा भी बहुत जरूरी है कि उस विकास को कैसे भोगा जाये। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसका बीड़ा उठाया है कि विकास के साथ शिक्षा पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है, जिसके बाद हम इस विकास को भोगते हुए, उस विकास को और तीव्र गति से आगे बढ़ायेंगे। उसी के साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि यदि मतदान की आनिवार्यकरण की प्रक्रिया को हम लागू करते हैं तो इसके प्रॉस और कॉन्स को भी ध्यान में रखना होगा। उसे ध्यान में रखते हुए मतदान करने के लिए शिक्षा और संस्कार की भी उतनी ही आवश्यकता है कि उस आधिकार और जिम्मेदारी को कैसे निभाया जा सकता है। कई देशों ने इसे लागू भी किया है।

भारत में हमारे विजनरी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी गुजरात में 2009 में इसका प्रस्ताव भी लेकर आए थे। इस प्रस्ताव के साथ विजन और स्वप्न यह था कि एक विकासशील भारत को भी जन्म दिया जाए और गुजरात जो विकास कर रहा है, उसमें तीव्र गति लाई जाए क्योंकि जब मतदान होता है, महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब मतदान होता है तो क्या होता है। 50 प्रतिशत या 55 प्रतिशत मतदान होता है। एक तबका जो मतदान नहीं करता और दूसरा तबका जो मतदान करता है, उसमें पोलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा इनफ्लुएंस भी होना शुरू हो जाता है। उसमें बहुत ज्यादा गरीब तबका होता है जो झुग्गी-बस्तियों में रहता है, पिछड़ी जातियों से आता है, जो अपना विकास नहीं कर पाया हो। बहुत सा तबका आशिक्षित होता है। ऐसे लोगों को जिनको शायद यह अनुभव नहीं हो पाता या वह समझ नहीं हो पाती कि उनके आधिकारों का उपयोग कैसे किया जाए, तो बहुत सारे प्रलोभनों को लाया जाता है। न्यूज में कई बार देखा गया है कि शराब की तस्करी होती है, शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है या कोई प्रलोभन दिए

जाते हैं। ऐसी बातें होने की वजह से आधिकार का दुरुपयोग भी होता है। कई ऐसे असामाजिक तत्व भी उसका लाभ उठा लेते हैं। एक गरीब व्यक्ति किसी प्रलोभन में आने के बाद पांच साल की और गरीबी खरीद लेता है। मेरा मानना है कि यदि हम आनिवार्य मतदान कर देते हैं उसके प्रॉज़ एंड कॉन्स देखकर कि कैसे इसका एक अच्छा निर्णय लेकर आया जाए, उसमें सुधार कैसे किया जाए, इन्फ्रास्ट्रक्चर भी डैवलप किया जाए।

जैसे हमारे भाई निशिकान्त दुबे जी ने बहुत विस्तार से बात की कि इसके लिए सुधार लाने भी जरूरी हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा संस्कृति प्रधान देश है जिसमें शादी होती है, कई आनिवार्य चीजें आ जाती हैं। अगर आनिवार्य मतदान हुआ और उसमें दंडित करने की प्रणाली हुई तो क्या दूल्हे को घोड़े से उतारकर लेकर आएंगे कि तुझे शादी से पहले वोटिंग करना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो, कोई आईसीयू में हो, इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर इसके नियम-कानून बनने चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि मतदान आनिवार्य होने से जो दुरुपयोग होता है या प्रलोभन देकर एक निश्चित समाज के आधिकारों का जो दुरुपयोग होता है, कम से कम वह बंद हो जाएगा और पारदर्शिता आएगी। ऐसे प्रलोभन बंद हो जाएंगे और जो गरीब, पिछले लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ नहीं है कि वोट के आधिकार का उपयोग कैसे करना चाहिए, वे उस प्रलोभन में नहीं आएंगे और हम आनिवार्य मतदान की वजह से देश के विकास में एक नया अध्याय भी जोड़ सकते हैं।

मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मतदान आनिवार्य न होने की वजह से, आपको न्यूज चैनल में सुनने को मिलता है कि बहुत जगह फर्जी वोटिंग होती है। उसमें पारदर्शिता चुनाव प्राधिकरण लेकर आया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। हम इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग पर आ गए। उस बदलाव के बाद ये चीजें कम हुई हैं लेकिन रुकी नहीं हैं। जब आनिवार्य मतदान होगा तो इसका फायदा भी मिल सकता है और दुरुपयोग भी बहुत हो सकता है। कहीं कोई व्यक्ति मतदान करने के लिए आनिवार्य है और इसकी वजह से फर्जी वोटिंग बढ़ सकती है। फर्जी वोटिंग को इनफ्लुएंस किया जाता है, इसमें समाज प्रताड़ित होता है।

उनके आधिकारों का बहुत हनन होता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कई तरह के चुनाव होते हैं। हमारे साथी श्री निशिकान्त दुबे जी ने ध्यान दिलाया था कि वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अलग-अलग होते हैं फिर जब वोटिंग के लिए जाते हैं तो उसे पता भी नहीं होता है कि कहां वोट डालना है, पोलिंग बुथ बदल जाता है , उसकी वजह से भी दिक्कतें होती है। हमारे देश के अंदर कई तरह के चुनाव होते हैं इसके समय अल-अलग होते हैं, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद् का चुनाव हो, या वार्ड का चुनाव हो, स्टेट इलेक्शन का चुनाव या केन्द्र सरकार का चुनाव हो, इनके समय अलग-अलग होने की वजह से आचार संहिता भी अलग-अलग होती है, इससे विकास का काम भी रुक जाता है। पांच साल में चार-पांच चुनाव होने की वजह से हर बार दो-तीन महीने का समय लगता है, सत्ता में जो पार्टियां होती हैं वह भी प्रयास करना शुरू कर देती है, एक सुझाव यह भी रखा जा सकता है कि बार-बार वोटिंग करने की वजह से लोगों में रुचि कम होती है, क्या हम देश में सारे चुनाव एक निश्चित समय में नहीं करा सकते जिससे लोगों की रुचि भी बढ़े और देश के विकास में कोई बाधा न आए। यह बहुत अच्छा प्रस्ताव हो सकता है, यदि इसे सदन के सामने लाया जाता है।

प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि यह देश बुलेट से नहीं बैलेट से चलता है। आज मतदान का दुरुपयोग होता है, जहां शासन पहुंच नहीं पाता, जो कमजोर होते हैं उनके ऊपर गन रखकर वोटिंग करवाई जाती है ऐसी जगह पर मतदान की ताकत तभी उभरकर सामने आ सकती है जब मतदान आधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी तय होगी, हमें आनिवार्य मतदान के लिए उन सुविधाओं को भी लाना पड़ेगा नहीं तो उसका भी दुरुपयोग होगा। पूरे देशवासियों को मतदान की ताकत का पता चलेगा। 25 जनवरी, मतदान दिवस की घोषणा होने के बाद उसे उत्सव के रूप में मनाने की बात आई, इससे थोड़ा-बहुत बदलाव आएगा, इस तरह की जागरूकता भी बढ़नी आवश्यक है। अभी अधीर रंजन भाई और निशिकान्त जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें कैडर का भी होना बहुत जरूरी है, इसे कैडर बेस्ड बनाया जाए, मतदान के समय इलेक्शन कमीश्न का कैडर न होने की वजह से कोई व्यक्ति लड़के को लेकर जाता है और खुद ही बटन दबा देता है, जागरूकता न होने की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। आनिवार्य मतदान के साथ-

साथ बहुत सारे सुधार भी इलेक्शन कमीशन में लाने पड़ेंगे, तभी हम आनिवार्य मतदान के लिए आगे बढ़ पाएंगे। आनिवार्य मतदान के लिए जो अलग-अलग एजेंसियां इलेक्शन कमीशन के साथ काम करती हैं। अभी जो व्यवस्था है उसे ही हम अभी पूरा कर पाने में समक्ष नहीं हो पा रहे हैं। जो एजेंसियां वोटर कार्ड बनाती हैं या वोटिंग के लिए जो मतदान होता है, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि वक्त पर एजेंसियां वोटर कार्ड नहीं दे पातीं। वोटिंग एजेंसियां सही वक्त पर वोटिंग कार्ड पहुंचा नहीं पाती हैं और जब शख्स वोट डालने जाता है, उसके पास वोटिंग कार्ड नहीं होता है, उसे वोट देने का आधिकार है लेकिन वह वोट नहीं कर पाता है। इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आनिवार्य मतदान के साथ अभी जो व्यवस्था है, उसके साथ सुधारवादी आयोजनों, प्रयोजनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतदान की व्यवस्था के साथ जागरुकता का प्रोग्राम चलाया जाए तो देश का विकास होगा, हम तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रिय मित्र जनार्दन सीग्रीवाल जी ने आनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 को सदन में प्रस्तुत किया है। इस बिल को लेकर उनकी मंशा और विचार बहुत अच्छा है। देश में जब चुनाव होता है तो कई जगह पर 50 प्रतिशत तक ही वोटिंग होती है इसलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि मतदान को कम्पलसरी क्यों न बनाया जाए। हमारे छोटे भाई निशिकान्त जी, अधीर रंजन जी और महेश जी ने जो वक्तव्य रखे हैं, उसे सुनकर ऐसा लगा है कि इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक में कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं, जैसे जुर्माने की बात कही है, अगर कोई मतदान नहीं करता तो जुर्माना लगेगा, कारावास की सज़ा होगी, राशन कार्ड जब्त होगा। आपने कुछ खंड रखे हैं। इस तरह से लोगों को लगेगा कि जो आधिकार उन्हें संविधान से मिले हैं, उनको छीना जा रहा है और इससे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक में बाधा आ जाएगी।

वैसे तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा कि वहां की आबादी सिर्फ 13 लाख है लेकिन उसमें आप देखिए कि वहां जो एरिया है, वह 83000 स्कवेयर कि.मी. है, तो आप सोचिए कि अगर ऐसा कानून लागू कर देंगे क्योंकि वहां एक-दो ऐसी जगह हैं, जैसे अंजाव है, दिवांग वैली है, तमांग जिला है, जहां के लोगों को पहुंच पाना असंभव है। अगर आप वोटिंग उससे जबर्दस्ती कराएंगे तो कई ऐसी जगह हैं जहां लोगों को तीन-चार दिन या एक सप्ताह वोटिंग करने में लग जाएगा। वहां टीम्स जाती हैं। जहां पुलिस स्टेशन होता है, वहां से भी लोगों को दो-तीन दिन का समय लेकर आना पड़ता है। हालांकि यह आवश्यक है कि मतदान जरूर हो। देश को हम किस प्रकार बनाएंगे, सरकार कैसे बनाएंगे, लोगों में विकास के जो कार्यक्रम लेते हैं, चाहे वह संसद में हो या विधान सभा में हो, मतदान के प्रति जो जागरूकता है, उसे तो हम सबको बढ़ाना होगा। जिस प्रकार से आप इस विधेयक को हमारे बीच में लाए हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं लेकिन अगर कम्पलसरी वोटिंग होगी, उसमें हमारे जैसे इलाके में बहुत सारी कठिनाइयां महसूस करनी पड़ेगी।

इसलिए मैं सोचता हूं कि जो आपका प्रस्ताव है, लोगों को ज्यादा जागरूक कराना अच्छा होगा क्योंकि लोगों को जो वोटिंग का कमपलशन है कि किस पार्टी को वह वोट करना चाहते हैं। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा है कि आजकल तो नोटा की भी सुविधा दी गई है कि यानी किसी विधायक या सांसद को या किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनना चाहते हैं तो आप नोटा को भी दे सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रस्ताव हैं, मेरिट्स और डीमैरिट्स हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि समय भी हो रहा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री इरिंग, आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सभा सोमवार अर्थात 7 दिसंबर, 2015 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 7 दिसंबर, 2015 / 16 अग्रहायण, 1937 (शक)
के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं***:***

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित